



संघ लोक सेवा आयोग

परीक्षा नोटिस सं.3/2021-एनडीए-1

दिनांक : 30.12.2020

(आवेदन भरने की अंतिम तारीख 19.01.2021)

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (I), 2021

(आयोग की वेबसाइट - <http://upsc.gov.in>)

महत्वपूर्ण

1. परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें :

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है।

उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के बाद ही मूल प्रमाण पत्रों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन करता है।

2. आवेदन कैसे करें :

2.1 उम्मीदवार - <http://upsonline.nic.in> वेबसाइट का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए संक्षेप में अनुदेश परिशिष्ट-II (क) में दिए गए हैं, विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

2.2 जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं आयोग ने उनके लिए आवेदन वापस लेने की सुविधा का प्रावधान किया है। इस संबंध में अनुदेश परीक्षा नोटिस के परिशिष्ट II (ख) में प्रदान किए गए हैं।

2.3 उम्मीदवारों के पास किसी एक फोटो पहचान-पत्र अर्थात् आधार कार्ड/मतदाता कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/स्कूल पहचान-पत्र/ राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान-पत्र का विवरण होना चाहिए। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय इस फोटो आईडी का विवरण प्रदान करना होगा। इसी फोटो आईडी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ भी अपलोड करना होगा। इस फोटो आईडी का इस्तेमाल भविष्य में सभी संदर्भों के लिए किया जाएगा और उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा/एसएसबी में शामिल होते समय इस आईडी को अपने साथ रखें।

3. आवेदन प्रपत्र भरने व वापस लेने की अंतिम तारीख:

(i) ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र 19 जनवरी, 2021 सांय 6:00 बजे तक भरे जा सकते

हैं।

- (i) ऑनलाइन आवेदन दिनांक **27.01.2021 से 02.02.2021 को सायं 6:00** बजे तक वापस लिए जा सकते हैं। आवेदन वापस लेने संबंधी विस्तृत अनुदेश **परिशिष्ट-II (ख)** में प्रदान किए गए हैं।

4. परीक्षा आरंभ होने के तीन सप्ताह पूर्व पात्र उम्मीदवारों को ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। ई-प्रवेश पत्र संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट - <http://upsconline.nic.in> पर उपलब्ध होगा जिसे उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय सभी आवेदकों को वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत करना अपेक्षित है क्योंकि आयोग उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल करेगा।

5. गलत उत्तरों के लिये दंड :

अभ्यर्थी नोट कर लें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) दिया जाएगा।

6. ओएमआर पत्रक (उत्तर पत्रक) में लिखने और चिन्हित करने हेतु उम्मीदवार केवल काले रंग के बॉल पेन का इस्तेमाल करें। किसी अन्य रंग के पेन का इस्तेमाल वर्जित है, पेंसिल अथवा स्याही वाले पेन का इस्तेमाल न करें। उम्मीदवार नोट करें कि ओएमआर उत्तर पत्रक में विवरण कूटबद्ध करने/भरने में किसी प्रकार की चूक/त्रुटि/विसंगति, विशेषकर अनुक्रमांक तथा परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड के संदर्भ में, होने पर उत्तर पत्रक अस्वीकृत किया जाएगा। उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे नोटिस के परिशिष्ट-III में निहित "विशेष अनुदेशों" को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

7. उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु सुविधा काउन्टर :

उम्मीदवार अपने आवेदन प्रपत्र, उम्मीदवारी आदि से संबंधित किसी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए कार्यदिवसों में 10.00 बजे से 5.00 बजे के मध्य तक आयोग परिसर के गेट 'सी' के पास संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. **011-23385271/ 011-23381125/011-23098543** पर संपर्क कर सकते हैं।

8. मोबाइल फोन प्रतिबंधित:

(क (किसी भी मोबाइल फोन (यहां तक कि स्विच ऑफ मोड में), पेजर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्रामेबल उपकरण या स्टोरेज मीडिया जैसे कि पेन ड्राइव, स्मार्ट घड़ियाँ आदि अथवा कैमरा या ब्लू टूथ उपकरण अथवा कोई अन्य उपकरण या उससे संबंधित सहायक सामग्री, चालू अथवा स्विच ऑफ मोड में जिसे परीक्षा के दौरान संचार

उपकरण के तौर पर उपयोग किया जा सकता है, का उपयोग पूर्णतया प्रतिबंधित है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित उन्हें भावी परीक्षाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित भी किया जा सकता है।

(खउम्मीदवारों को उनके (अपने हित में मोबाइल फोन सहित कोई भी प्रतिबंधित वस्तु अथवा मूल्यवान महंगी वस्तु परीक्षा स्थल पर/न जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि परीक्षा स्थल पर सामान की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। आयोग इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन मोड <http://upsconline.nic.in> से ही आवेदन करने की जरूरत है। किसी दूसरे मोड द्वारा आवेदन करने की अनुमति नहीं है।

फा.सं.7/2/2020-प.1(ख) - राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना स्कंधों के लिए **02 जनवरी, 2022** से शुरू होने वाले **147** वें पाठ्यक्रम हेतु और नौसेना अकादमी के **109** वें भारतीय नौसेना अकादमी कोर्स (आईएनएसी) में प्रवेश हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा **18 अप्रैल, 2021** को एक परीक्षा आयोजित की जाएगी।

आयोग यदि चाहे तो उपर्युक्त परीक्षा की तारीख में परिवर्तन कर सकता है।

इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या इस प्रकार होगी:-

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी : 370 जिनमें से 208 थल सेना के लिए, 42 नौसेना के लिए और 120 वायु सेना के लिए है। (इसमें ग्राउंड ड्यूटियों के लिए 28 रिक्तियां शामिल हैं)

भारतीय नौसेना अकादमी : 30
(10+2 कैडेट एंट्री स्कीम)

योग 400

रिक्तियां अनंतिम हैं तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा भारतीय नौ सेना अकादमी कोर्स की प्रशिक्षण क्षमतानुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

विशेष ध्यान: (i) प्रत्येक उम्मीदवार को अपने आनलाइन आवेदन प्रपत्र में अपने वरीयता क्रम के अनुसार (1 से 4) सेवाओं का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। उसे यह भी सलाह दी जाती है कि वह जितनी चाहे उतनी वरीयताओं का उल्लेख करें, ताकि योग्यता क्रम में उनके

रैंक को ध्यान में रखते हुए, नियुक्ति करते समय उनकी वरीयताओं पर भली-भांति विचार किया जा सके।

(ii) उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केवल उन्हीं सेवाओं पर उनकी नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा जिनके लिए वे अपनी वरीयता व्यक्त करते हैं, अन्य सेवा व सेवाओं पर नहीं। उम्मीदवार द्वारा अपने प्रपत्र में पहले निर्दिष्ट वरीयता में वृद्धि/परिवर्तन के अनुरोध को आयोग स्वीकार नहीं करेगा।

(iii) आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा तथा उसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आयोजित बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षा के परिणाम के आधार पर उपर्युक्त कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा।

2. परीक्षा के केन्द्र:

परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी:

अगरतला, अहमदाबाद, ऐजल, प्रयागराज (इलाहाबाद), बेंगलुरु, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, धारवाड़, दिसपुर, गंगटोक, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, जोरहाट, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मदुरै, मुंबई, नागपुर, पणजी (गोवा), पटना, पोर्ट- ब्लेयर, रायपुर, रांची, सम्बलपुर, शिलांग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, उदयपुर और विशाखापट्टनम।

आवेदक यह नोट करें कि चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर केन्द्रों के सिवाय प्रत्येक केन्द्र पर आवंटित उम्मीदवारों की संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित होगी। केन्द्रों का आवंटन “पहले आवेदन करो पहले आवंटन पाओ” पर आधारित होगा तथा यदि किसी विशेष केन्द्र की क्षमता पूरी हो जाती है तब वहां किसी आवेदक को कोई केन्द्र आवंटित नहीं किया जाएगा। जिन आवेदकों को निर्धारित अधिकतम सीमा की वजह से अपनी पसंद का केन्द्र नहीं मिलता है तब उन्हें शेष केन्द्रों में से एक केन्द्र का चयन करना होगा। अतएव आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे शीघ्र आवेदन करें जिससे उन्हें अपनी पसंद का केन्द्र मिले।

ध्यान दें: उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद स्थिति के अनुसार आयोग के पास अपने विवेकानुसार केन्द्रों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

जिन उम्मीदवारों को इस परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जाएगी।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. पात्रता की शर्तें:

(क) राष्ट्रीयता: उम्मीदवार या तो:--

1. भारत का नागरिक हो, या

2. नेपाल की प्रजा हो, या

3. भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे कीनिया, उगाण्डा तथा तंजानिया, संयुक्त गणराज्य, जांबिया, मलावी, जैरे तथा इथियोपिया या वियतनाम से प्रवर्जन कर के आया हो।

परन्तु उपर्युक्त वर्ग 2 और 3 के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान किया हो, पर नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए यह पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं होगा।

(ख) आयु-सीमाएं, लिंग और वैवाहिक स्थिति:

केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार जिनका जन्म **दो जुलाई, 2002** से पहले न हुआ हो तथा **पहली जुलाई, 2005** के बाद न हुआ हो, पात्र हैं।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाणपत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्ट्रों में दर्ज की गई हो और यह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। मूल प्रमाणपत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे। आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ-पत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा अन्य ऐसे ही प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेशों के इस भाग में आए हुए 'मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र' वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाणपत्र सम्मिलित हैं।

टिप्पणी-1: उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र या समकक्ष प्रमाणपत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी-2: उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में या बाद की किसी अन्य परीक्षा में परिवर्तन करने की अनुमति किसी भी आधार पर नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी-3: उम्मीदवारों को आवेदन-प्रपत्र के संबंधित कालम में जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद की किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि की उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरुद्ध नियम के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

टिप्पणी-4: उम्मीदवार यह भी नोट करे लें कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा, में ऑनलाइन आवेदन-प्रपत्र जमा कर लेने के प्रश्नात, उसमें कोई जानकारी जोड़ने/हटाने/उसमें परिवर्तन करने की अनुमति, किसी भी परिस्थिति में नहीं होगी

टिप्पणी-5: उम्मीदवारों को इस बात का वचन देना है कि जब तक उनका सारा प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा तब तक वे शादी नहीं करेंगे। जो उम्मीदवार अपने आवेदन की तारीख के बाद शादी कर लेता है उसको प्रशिक्षण के लिए चुना नहीं जाएगा। चाहे वह उस परीक्षा में या अगली किसी परीक्षा में भले ही सफल हो। जो उम्मीदवार प्रशिक्षण काल में शादी कर लेगा उसे वापस भेजा जाएगा और उस पर सरकार ने जो पैसा खर्च किया है सब उससे वसूल किया जाएगा।

(ग) शैक्षिक योग्यताएं:

(i) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना स्कंध के लिए: किसी राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष।

(ii) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के वायु सेना और नौ सेना स्कंधों तथा भारतीय नौ सेना अकादमी की 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के लिए:— स्कूल शिक्षा के 10 + 2 पैटर्न के भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा किसी राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित समकक्ष परीक्षा.

जो उम्मीदवार स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 के अधीन 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में बैठ रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे उम्मीदवार जो एसएसबी साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं लेकिन एसएसबी साक्षात्कार के समय मैट्रिक/10 + 2 या समकक्ष प्रमाणपत्र मूल रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाते, उन्हें विधिवत अनुप्रमाणित फोटोप्रति “महानिदेशालय, भर्ती, सेना मुख्यालय, वैस्ट ब्लॉक-III, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066 को तथा नौ सेना अकादमी के उम्मीदवारों के मामले में “नौसेना मुख्यालय, डीएमपीआर, ओआई एण्ड आर अनुभाग, कमरा सं. 204, ‘सी’ स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011” को **24 दिसम्बर, 2021** तक भेजना होगा। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अन्य वे सभी उम्मीदवार जो मूल रूप में अपने मैट्रिक और 10 + 2 पास या समकक्ष प्रमाणपत्र एसएसबी साक्षात्कार के समय प्रस्तुत कर चुके हैं तथा एसएसबी प्राधिकारियों द्वारा उनका सत्यापन करवा चुके हैं उन्हें सेना मुख्यालय या नौसेना मुख्यालय, जैसा भी मामला हो, इन्हें फिर से प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है।

ऐसे मामलों में जहां बोर्ड/विश्वविद्यालय के द्वारा अभी तक प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए हों, शिक्षा संस्थाओं के प्रधानाचार्य के द्वारा दिये गये मूल प्रमाणपत्र भी स्वीकार्य होंगे, ऐसे प्रमाणपत्रों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियां/फोटोस्टेट प्रतियां स्वीकार नहीं की जायेंगी। अपवाद

की परिस्थितियों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं से युक्त न होने पर भी शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है बशर्ते कि उनके पास ऐसी योग्यताएं हों, आयोग के विचार से जिनका स्तर, उसे इस परीक्षा में प्रवेश देना उचित ठहराता हो।

टिप्पणी-1: वे उम्मीदवार जो 11वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं। इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं हैं।

टिप्पणी-2: वे उम्मीदवार, जिन्हें 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में अभी तक अर्हता प्राप्त करनी है और जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है, नोट कर लें कि उनको दी गई यह विशेष छूट है। उन्हें 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण निर्धारित तारीख **24 दिसम्बर, 2021** तक प्रस्तुत करना है और बोर्ड/ विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के देर से आयोजित किये जाने, परिणाम घोषणा में विलंब या अन्य किसी कारण से इस तारीख को और आगे बढ़ाने से संबद्ध किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी-3: जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमीशन से अपवर्जित हैं, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, अगर प्रवेश दे दिया गया तो भी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी-4: जो अभ्यर्थी सीपीएसएस/पीएबीटी में पहले असफल हो चुके हैं, वे वायु सेना में ग्राउंड इयूटी शाखाओं के लिए पात्र होंगे यदि वे इस संबंध में आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी इच्छुकता (Willingness) भरते हैं।

(घ) शारीरिक मानक:

उम्मीदवार को **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (I) 2021** हेतु परिशिष्ट-IV में दिए गए शारीरिक मानकों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

वे उम्मीदवार जिन्होंने या तो इस्तीफा दे दिया है या जिन्हें सशस्त्र बल के किसी प्रशिक्षण संस्थान से अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत निकाल दिया गया हो, आवेदन करने की योग्यता नहीं रखते हैं।

4. शुल्क:

उम्मीदवारों को रु. 100/- (रुपए एक सौ मात्र) फीस के रूप में (अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों/टिप्पणी 2 में उल्लिखित जे.सी.ओ./ एन.सी.ओ./ओ.आर. के बच्चों को छोड़कर जिन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा) या तो स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी भी शाखा में नकद जमा करके या स्टेट बैंक आफ इंडिया की नेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करके या वीजा/मास्टरकार्ड/रूपे क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना होगा।

ध्यान दें-1: जो उम्मीदवार भुगतान के लिए नकद भुगतान प्रणाली का चयन करते हैं वे सिस्टम द्वारा सृजित (जनरेट) पे-इन-स्लिप को मुद्रित करें और अगले कार्यदिवस को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शाखा के काउंटर पर शुल्क जमा करवाएं। 'नकद भुगतान प्रणाली'

का विकल्प अंतिम तिथि से एक दिन पहले, अर्थात दिनांक 18.01.2021 को रात्रि 23.59 बजे निष्क्रिय हो जाएगा। तथापि, जो उम्मीदवार अपने पे-इन-स्लिप का सृजन (जनरेशन) इसके निष्क्रिय होने से पहले कर लेते हैं, वे अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में काउंटर पर नकद भुगतान कर सकते हैं। वे उम्मीदवार जो वैध पे-इन-स्लिप होने के बावजूद किसी भी कारणवश अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में नकद भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं तो उनके पास कोई अन्य आफलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं होगा लेकिन वे अंतिम तिथि अर्थात 19.01.2021 को सांय 6:00 बजे तक आनलाइन डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग भुगतान के विकल्प का चयन कर सकते हैं।

ध्यान दें-2: उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि शुल्क का भुगतान ऊपर निर्धारित माध्यम से ही किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान न तो वैध है न स्वीकार्य है। निर्धारित माध्यम/शुल्क रहित आवेदन (शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त रहित आवेदन को छोड़कर) एकदम अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

ध्यान दें-3: एक बार शुल्क अदा किए जाने पर वापस करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है और न ही किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

ध्यान दें-4: जिन आवेदकों के मामले में बैंक से भुगतान संबंधी विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें अवास्तविक भुगतान मामला समझा जाएगा और उनके आवेदन पत्र तुरन्त अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। ऐसे सभी आवेदकों की सूची आनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के बाद दो सप्ताह के भीतर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आवेदकों को अपने शुल्क भुगतान का प्रमाण ऐसी सूचना की तारीख से 10 दिनों के भीतर दस्ती अथवा स्पीड पोस्ट के जरिए आयोग को भेजना होगा। दस्तावेज के रूप में प्रमाण प्राप्त होने पर, शुल्क भुगतान के वास्तविक मामलों पर विचार किया जाएगा और उनके आवेदन स्वीकार कर लिए जाएंगे, बशर्ते वे पात्र हों।

टिप्पणी-1: अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और टिप्पणी-2 में उल्लिखित उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा तथापि अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित शुल्क का पूरा भुगतान करना होगा।

टिप्पणी-2: थल सेना में सेवारत/भूतपूर्व जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों/गैर कमीशन प्राप्त अफसरों/अन्य रैंकों तथा भारतीय नौसेना/ भारतीय वायु सेना के समकक्ष रैंकों के अफसरों के बच्चों को निर्धारित शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी यदि वे मिलिट्री स्कूल (जिन्हें पहले किंग

जार्ज स्कूल के नाम से जाना जाता था)/सैनिक स्कूलों की सोसायटी द्वारा चलाए जाने वाले सैनिक स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं। (विशेष ध्यान दें: ऐसे सभी उम्मीदवारों को संबद्ध प्रिंसीपलों से शुल्क में छूट हेतु उनकी पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा और एस.एस.बी. परीक्षण/साक्षात्कार के लिए अर्हक घोषित किए गए उम्मीदवारों द्वारा एस. एस. बी. परीक्षण/साक्षात्कार के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा)।

5. आवेदन कैसे करें:

उम्मीदवार www.upsconline.nic.in वेबसाइट सुविधा का प्रयोग कर आनलाइन आवेदन करें। आनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश उपर्युक्त वेबसाइट में उपलब्ध हैं।

टिप्पणी-1: आवेदकों को केवल एक ही आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाता है। तथापि, किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश यदि वह एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, वह यह सुनिश्चित कर लें कि उच्च आर आई डी वाला आवेदन पत्र हर तरह अर्थात् आवेदक का विवरण, परीक्षा केन्द्र, फोटो, हस्ताक्षर, फोटो पहचान पत्र सम्बन्धी दस्तावेज, शुल्क आदि से पूर्ण है। एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने वाले उम्मीदवार यह नोट कर लें कि केवल उच्च आर आई डी (रजिस्ट्रेशन आई डी) वाले आवेदन पत्र ही आयोग द्वारा स्वीकार किए जाएंगे और एक आर आई डी के लिए अदा किए गए शुल्क का समायोजन किसी अन्य आर आई डी के लिए नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी-2 : उम्मीदवारों के पास किसी एक फोटो पहचान-पत्र अर्थात् आधार कार्ड/मतदाता कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/स्कूल पहचान-पत्र/ राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान-पत्र का विवरण होना चाहिए। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय इस फोटो आईडी का विवरण प्रदान करना होगा। इसी फोटो आईडी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ भी अपलोड करना होगा। इस फोटो आईडी का इस्तेमाल भविष्य में सभी संदर्भों के लिए किया जाएगा और उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा/एसएसबी में शामिल होते समय इस आईडी को अपने साथ रखें।

टिप्पणी-3: सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले ही सरकारी सेवा में हों, जिनमें सशस्त्र सेना बल के उम्मीदवार भी शामिल हैं और भारतीय नौसेना के नौसैनिक (बाल एवं परिशिल्पी शिक्षार्थियों सहित), राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज (जिसे पहले सैनिक स्कूल, देहरादून कहा जाता था) के कैडेट्स, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों (जिन्हें पहले मिलिट्री स्कूल कहा जाता था) और सैनिक स्कूलों की सोसायटी द्वारा चलाए जाने वाले सैनिक स्कूलों के छात्रों, सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रम अथवा इसी प्रकार के अन्य संगठनों अथवा निजी रोजगार में कार्यरत उम्मीदवारों को आयोग को सीधे आनलाइन आवेदन करना होगा।

विशेष ध्यान दें--(क) जो व्यक्ति पहले से ही स्थायी या अस्थायी हैसियत से सरकारी सेवा में हों या आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्तियों को छोड़कर कार्य प्रभारित कर्मचारी या जो लोक उद्यमों में सेवारत हैं, (ख) सशस्त्र सेना बल में कार्यरत उम्मीदवार भारतीय नौसेना के नौसैनिक (बाल एवं परिशिल्पी शिक्षार्थियों सहित), और (ग) राष्ट्रीय इंडियन

मिलिट्री कालेज (जिसे पहले सैनिक स्कूल, देहरादून कहा जाता था) के कैडेट्स, मिलिट्री स्कूलों (जिन्हें पहले किंग जार्ज स्कूल कहा जाता था) और सैनिक स्कूलों की सोसायटी द्वारा चलाए जाने वाले सैनिक स्कूलों को छात्रों को अपने कार्यालय/विभाग अध्यक्ष, कमांडिंग अधिकारी, संबद्ध कालेज/स्कूल के प्रिंसिपल, जैसा भी मामला हो, को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवार नोट करें कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता/संबद्ध प्राधिकारी से इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले/बैठने वाले उम्मीदवारों की अनुमति रोकने संबंधी कोई पत्राचार प्राप्त होता है तो उनके आवेदन पत्र अस्वीकृत किए जा सकते हैं/उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

टिप्पणी-4: उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्र में परीक्षा के लिए केन्द्र भरते समय सावधानी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए।

यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा प्रेषित ई-प्रवेश प्रमाणपत्र में दर्शाये गये केन्द्र से इतर केन्द्र में बैठता है तो उस उम्मीदवार के प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

टिप्पणी-5: जिन आवेदन प्रपत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (उपर्युक्त पैरा 4 के अंतर्गत शुल्क माफी के दावे को छोड़कर) या जो अधूरे भरे हुए हों, उनको एकदम अस्वीकृत कर दिया जायेगा और किसी भी अवस्था में अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन या पत्र-व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जायेगा। उम्मीदवारों को अपने आवेदनों के साथ फोटो पहचान-पत्र के अतिरिक्त आयु, शैक्षणिक योग्यताओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग तथा परीक्षा शुल्क से छूट के संबंध में अपने किसी दावे के समर्थन में कोई प्रमाणपत्र संलग्न नहीं करना है। इसलिए वे इस बात को सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं। अतः परीक्षा में उनका प्रवेश भी पूर्णतः अनन्तिम होगा। यदि किसी बाद की तारीख को सत्यापन करते समय यह पता चलता है कि वे पात्रता की सभी शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के जून, 2021 में घोषित होने की संभावना है। लिखित परीक्षा में सफलतापूर्वक अर्हक हुए सभी उम्मीदवारों को महानिदेशक भर्ती की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत करना होगा। www.joinindianarmy.nic.in पर पंजीकरण करते हुए अनिवार्यतः उसी ई-मेल आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो आईडी संघ लोक सेवा आयोग का ऑनलाइन आवेदन भरते समय संघ लोक सेवा आयोग को प्रदान की गई है। इसके बाद इन उम्मीदवारों को पूर्वोक्त वेबसाइट के माध्यम से चयन केन्द्रों का आबंटन किया जाएगा। किसी समस्या/स्पष्टीकरण के मामले में उम्मीदवार, महानिदेशक भर्ती की वेबसाइट पर प्रदान किए गए टेलीफोन नंबरों पर या अपने प्रोफाइल पर लॉगइन करके फीडबैक/क्वेरी मॉड्यूल के जरिए महानिदेशक भर्ती से संपर्क कर सकते हैं।

टिप्पणी-6: जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षण में अर्हता प्राप्त कर ली है, उन्हें आयु और शैक्षिक योग्यता संबंधी अपने मूल प्रमाण-पत्र भर्ती निदेशालय, सेना मुख्यालय, वेस्ट ब्लॉक-III, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 अथवा नौसेना मुख्यालय, डीएमपीआर, ओआईएंडआर अनुभाग, 'सी' विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

साक्षात्कार के लिये बुलाये गये सभी उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) के समक्ष मैट्रिक परीक्षा का मूल प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे। जो उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त कर लेंगे उन्हें साक्षात्कार के तुरंत बाद मूल प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना होगा। जांच पड़ताल के बाद मूल प्रमाणपत्र लौटा दिए जाएंगे जो उम्मीदवार पहले ही 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं वे सेवा चयन बोर्ड हेतु अपना 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण करने का मूल प्रमाणपत्र या अंक सूची अवश्य लाएं।

यदि उनका कोई भी दावा असत्य पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आयोग द्वारा निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है:

कोई उम्मीदवार जो आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसी मामले में दोषी करार दिया जाता है या दोषी करार दिया जा चुका है:-

- (i) निम्नलिखित माध्यमों से अपनी उम्मीदवारी हेतु समर्थन प्राप्त करना:-
 - (क) परीक्षा के संचालन कार्य से जुड़े किसी व्यक्ति को अवैध रूप से मदद प्रदान करके; या
 - (ख) उस पर दबाव डालकर; या
 - (ग) ब्लैकमेल करके या ब्लैकमेल करने की धमकी देकर; या
- (ii) प्रतिरूपधारण ; या
- (iii) किसी व्यक्ति को प्रतिरूपधारी बनाना ; या
- (iv) जाली दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज जमा करना जिनके साथ छेड़छाड़ की गई हो; या
- (v) आवेदन-पत्र में वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत फोटो अपलोड करना।
- (vi) गलत या झूठे वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को छिपाना; या
- (vii) परीक्षा हेतु अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित तरीके अपनाना, नामतः:
 - (क) अनुचित माध्यम से प्रश्न-पत्र की प्रति हासिल करना;
 - (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्तियों का विवरण हासिल करना;

- (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना; या
- (viii) परीक्षा के समय अपने पास अनुचित सामग्री रखना या अनुचित तरीके अपनाना; या
- (ix) उत्तर-पुस्तिकाओं में अश्लील सामग्री लिखना या अश्लील रेखाचित्र बनाना या असंगत सामग्री लिखना; या
- (x) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जैसे उत्तर-पुस्तिकाएं फाड़ना, अन्य परीक्षार्थियों को उकसाना कि वे परीक्षा का बहिष्कार करें, अव्यवस्था फैलाना या इसी प्रकार की हरकतें करना; या
- (xi) परीक्षा के संचालन कार्य हेतु आयोग द्वारा तैनात कार्मिकों को परेशान करना या शारीरिक क्षति पहुंचाना; या
- (xii) कोई मोबाइल फोन (स्विच ऑफ मोड में भी नहीं), पेजर या कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्रामेबल उपकरण या स्टोरेज मीडिया जैसे पेन ड्राइव, स्मार्ट घड़ी आदि या कोई कैमरा या ब्लूटूथ उपकरण या कोई अन्य उपकरण या संबंधित एक्सेसरी, चालू या स्विच ऑफ मोड में भी अपने पास रखना, जिसका इस्तेमाल परीक्षा के दौरान संचार उपकरण के रूप में किया जा सके; या
- (xiii) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित उनके प्रवेश प्रमाणपत्रों के साथ जारी सभी या किसी भी अनुदेश का उल्लंघन करना; या
- (xiv) ऊपर खण्डों में उल्लिखित सभी या किसी कदाचार को करने की कोशिश करना या करने के लिए उकसाना;

वह अपने को दण्ड अभियोजना का शिकार बनाने के अतिरिक्त

- (क) आयोग की जिस परीक्षा का उम्मीदवार है उसके लिए आयोग द्वारा अयोग्य ठहराया जा सकता है; और/या
- (ख) उसे निम्नलिखित के लिए स्थायी रूप से या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए विवर्जित किया जा सकता है:
- (i) आयोग द्वारा उसकी किसी परीक्षा या चयन के लिए;
 - (ii) केन्द्र सरकार द्वारा उसके अधीन किसी नियुक्ति के लिए; और

(ख) यदि वह पहले से ही सरकारी नौकरी में हो तो उसे विरुद्ध समुचित नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बशर्ते कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं लगाई जाएगी जब तक कि :

- (i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो; और
- (ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न कर लिया गया हो।

कोई भी व्यक्ति, जो आयोग द्वारा उप नियम/खंड(i) से (xiii) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में कि किसी अन्य उम्मीदवार के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध उप नियम/खंड(xiv) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

6. आवेदन करने व वापस लेने की अंतिम तारीख:

- (i) आनलाइन आवेदन **19 जनवरी, 2021** सांय **6:00** बजे तक भरे जा सकते हैं ।
- (ii) ऑनलाइन आवेदन दिनांक **27.01.2021** से **02.02.2021** को सांय **6:00** बजे तक वापस लिए जा सकते हैं। आवेदन वापस लेने संबंधी विस्तृत अनुदेश **परिशिष्ट-II (ख)** में प्रदान किए गए हैं।

7. यात्रा भत्ता:

किसी विशेष प्रकार के कमीशन अर्थात् स्थायी अथवा अल्पकालिक के लिए एसएसबी साक्षात्कार हेतु प्रथम बार उपस्थित होने वाले उम्मीदवार भारतीय सीमा के अंदर आरक्षण एवं स्लीपर प्रभारों सहित एसी-3 टायर आने-जाने के रेल के किराए अथवा बस के किराए के हकदार होंगे। जो उम्मीदवार समान प्रकार के कमीशन के लिए पुनः आवेदन करते हैं, वे किसी परवर्ती अवसर के लिए यात्रा भत्ता के हकदार नहीं होंगे।

8. आयोग/थल सेना/नौ सेना/वायु सेना मुख्यालय के साथ पत्र-व्यवहार:

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

- (i) पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारंभ होने के तीन सप्ताह पूर्व ई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। ई-प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.upsconline.nic.in पर उपलब्ध होगा जिसे उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं। डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार के पास उसके महत्वपूर्ण विवरण अर्थात् आर.आई.डी. तथा जन्म तिथि अथवा अनुक्रमांक (यदि प्राप्त हुआ हो) तथा जन्म तिथि अथवा नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि उपलब्ध होने चाहिए।
- (ii) यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से एक सप्ताह पूर्व तक ई-प्रवेश पत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबद्ध कोई सूचना न मिले तो उसे आयोग

से तत्काल संपर्क करना चाहिए। इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. 011-23385271/011-23381125/ 011-23098543 से भी प्राप्त की जा सकती है। यदि उम्मीदवार से ई-प्रवेश पत्र प्राप्त होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है तो इसके लिए उम्मीदवार ई-प्रवेश पत्र प्राप्त न होने के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा।

- (iii) सामान्यतः किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में ई-प्रवेश पत्र के बिना बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर इसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की त्रुटि/असंगति होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें।

किसी कोर्स में प्रवेश विभिन्न कोर्सों की शैक्षिक योग्यता के आधार पर उनकी पात्रता तथा उम्मीदवार द्वारा दिये गये वरीयता क्रम को ध्यान में रखकर दिया जाएगा।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर रहेगा। यह पात्रता की शर्तों के सत्यापन किए जाने पर आधारित होगा।

- (iv) उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र की स्वीकार्यता तथा वह उक्त परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं है इस बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।
- (v) उम्मीदवार ध्यान रखें कि ई-प्रवेश पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं।
- (vi) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित अवश्य कर लेना चाहिए कि आवेदन में उनके द्वारा दी गई ई-मेल आई डी मान्य और सक्रिय हो।

महत्वपूर्ण: आवेदन के सम्बन्ध में सभी पत्र-व्यवहार परीक्षा नियंत्रक, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 के पते पर करना चाहिए और उसमें निम्नलिखित विवरण अवश्य होना चाहिए:

1. परीक्षा का नाम और वर्ष
2. रजिस्ट्रेशन आई डी (आर आई डी)
3. अनुक्रमांक (यदि मिला हो)
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा और साफ लिखा हुआ)
5. पत्र व्यवहार का पता, जैसा आवेदन प्रपत्र में दिया है।

विशेष ध्यान (1): जिन पत्रों में ऊपर का ब्यौरा नहीं होगा, हो सकता है, उन पर कोई कार्रवाई न हो।

विशेष ध्यान (2): यदि किसी परीक्षा की समाप्ति के बाद किसी उम्मीदवार का पत्र/पत्रादि प्राप्त होता है या जिसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों के अगर परीक्षा के लिए आवेदन करने के बाद, अपना पता बदल लिया हो तो उनको चाहिए कि परीक्षा के लिए लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाते ही अपना नया पता तत्काल सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए सेना मुख्यालय, ए.जी. ब्रांच, आरटीजी (रा.र.अ. प्रविष्टि), पश्चिमी खंड III स्कंध-1 आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066, दूरभाष सं. 26175473 नौसेना/नौसेना अकादमी को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिये.नौ सेना मुख्यालय, जनशक्ति एवं भर्ती निदेशालय, ओ आई एण्ड आर अनुभाग, कमरा नं. 204, 'सी' स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011, दूरदभाष सं. 23010097/23011282।

वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए वायु सेना मुख्यालय, कार्मिक (अधिकारी) निदेशालय, पी. ओ. 3(ए), कमरा नं. 17, 'जे' ब्लाक, वायु सेना भवन के सामने, मोतीलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110106, दूरदभाष सं. 23010231 एकसटेशन 7645/7646/7610, को सूचित कर देना चाहिए।

जो उम्मीदवार इन अनुदेशों का पालन नहीं करेगा वह सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिये सम्मन-पत्र न मिलने पर अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से वंचित हो जाएगा।

लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उम्मीदवारों को अपने एसएसबी केन्द्र और साक्षात्कार की तारीख के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर लागू-आन करना चाहिए:-

www.joinindianarmy.nic.in
www.joinindiannavy.gov.in
www.careerindianairforce.cdac.in

जिन उम्मीदवारों के नाम सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करने के लिए अनुशंसित हैं वह अपने साक्षात्कार के संबंध में सभी पूछताछ और अनुरोध लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा से 20 दिन के पश्चात् सम्बन्धित सर्विस हेडक्वार्टर्स के निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें या वेबसाइट को देखें:-

सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए--सेना मुख्यालय, ए. जी. ब्रांच, आरटीजी (रा.र.अ. प्रविष्टि), पश्चिमी खण्ड-III, स्कंध-1, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066, दूरभाष सं. 26175473, या www.joinindianarmy.nic.in

नौसेना/नौसेना अकादमी को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए नौ सेना मुख्यालय, जनशक्ति एवं भर्ती निदेशालय, ओ.आई. एण्ड आर. अनुभाग, कमरा नं. 204,

'सी' स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011, दूरभाष सं. 23010097/या ईमेल: officer-navy@nic.in या www.joinindiannavy.gov.in

वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवार के लिए--वायु सेना मुख्यालय, कार्मिक (अधिकारी) निदेशालय, पी. ओ. 3 (ए), कमरा नं. 17, 'जे' ब्लाक, वायु सेना भवन के सामने, मोतीलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110106, दूरभाष सं. 23010231 एक्सटेंशन 7645/7646/7610 या www.careerindianairforce.cdac.in

उम्मीदवार को भेजे गए सम्मन-पत्र द्वारा सूचित तारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार के लिए पहुंचना है। साक्षात्कार को स्थगित करने से संबद्ध अनुरोध पर केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही विचार किया जायेगा जिसके लिए निर्णायक प्राधिकरण सेना मुख्यालय होगा। इस प्रकार के अनुरोध उस चयन केन्द्र के प्रशासनिक अधिकारी को संबोधित होने चाहिए जहां से साक्षात्कार हेतु अह्वान-पत्र (काल लेटर) प्राप्त हुआ है। सेना/नौ सेना/वायु सेना मुख्यालय में प्राप्त पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार **जुलाई, 2021 से सितंबर, 2021** में अथवा भर्ती निदेशालय की सुविधानुसार किए जाएंगे। योग्यताक्रम सूची कार्यभार ग्रहण अनुदेशों और चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी अन्य संगत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in का अवलोकन करें।

9. लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा, अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार, अन्तिम परिणामों की घोषणा और अन्तिम रूप से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश:

संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेकाधिकार के आधार पर निर्धारित लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। ये उम्मीदवार बुद्धिमत्ता परीक्षण तथा व्यक्तित्व परीक्षण के लिए सेवा चयन बोर्ड के समक्ष उपस्थित होंगे, जहां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की थल सेना, नौसेना शाखाओं और भारतीय नौसेना अकादमी की 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के उम्मीदवारों की अधिकारी क्षमता का मूल्यांकन होगा। वायु सेना के उम्मीदवारों को उपरोक्त के अतिरिक्त कंप्यूटरीकृत पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) में भी अर्हता प्राप्त करनी होगी। वायु सेना को एक विकल्प के रूप में चुनने वाले और एसएसबी में अर्हक हुए उम्मीदवारों को भी सीपीएसएस परीक्षण देना होगा, यदि वे इसके इच्छुक हों।

दो चरणों की चयन प्रक्रिया

मनोवैज्ञानिक अभिरूचि परीक्षण और बुद्धिमत्ता परीक्षण पर आधारित दो चरणों की चयन-प्रक्रिया चयन केन्द्रों/वायुसेना चयन बोर्ड/नौसेना चयन बोर्ड में प्रारंभ कर दी गई है। सभी उम्मीदवारों को चयन केन्द्रों/वायु सेना चयन बोर्ड/नौसेना चयन बोर्ड पर पहुंचने से पहले दिन प्रथम चरण परीक्षण में रखा जाएगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को द्वितीय चरण/शेष परीक्षणों के लिए प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने पहला चरण उत्तीर्ण कर लिया होगा। वे उम्मीदवार जो चरण-II उत्तीर्ण कर लेंगे उन्हें इन प्रत्येक में से (i) अपनी जन्मतिथि के समर्थन के लिए मैट्रिक उत्तीर्ण या समकक्ष प्रमाणपत्र; और (ii) शैक्षिक योग्यता के समर्थन में 10+2 या समकक्ष उत्तीर्ण के प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ-साथ 2 फोटो प्रति भी जमा करनी होंगी।

जो उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होकर वहां परीक्षण देंगे वे अपने ही जोखिम पर इन परीक्षणों में शामिल होंगे और सेवा चयन बोर्ड में उनका जो परीक्षण होता है उसके दौरान या उसके फलस्वरूप अगर उनको किसी व्यक्ति की लापरवाही से या अन्यथा कोई चोट पहुंचती है उसके लिए वे सरकार की ओर से कोई क्षतिपूर्ति या सहायता पाने के हकदार नहीं होंगे। उम्मीदवारों के माता-पिता या अभिभावकों को इस आशय के एक प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

स्वीकार्यता हेतु थल सेना/नौ सेना/नौ सेना अकादमी और वायुसेना के अभ्यर्थियों को (i) लिखित परीक्षा तथा (ii) अधिकारी क्षमता परीक्षा में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे, जो क्रमशः आयोग तथा सेना चयन बोर्ड द्वारा उनके स्वनिर्णय के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। वायु सेना के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सेना चयन बोर्ड में अर्हता प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को उनकी इच्छुकता (Willingness) पात्रता और वायु सेना की उड़ान शाखा वरीयता के रूप में देने पर सीपीएसएस में अलग अर्हता प्राप्त करनी होगी।

अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को इन शर्तों पर उनके द्वारा लिखित परीक्षा तथा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर एकल संयुक्त सूची में रखा जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की थल सेना, नौ सेना, वायु सेना में और भारतीय नौ सेना, अकादमी की 10+2 कैडेट एंटी स्कीम में प्रवेश के लिए अंतिम रूप से नियतन/चयन, उपलब्ध रिक्तियों की संख्या को देखते हुए उम्मीदवारों की पात्रता, शारीरिक स्वास्थ्यता और योग्यता/ सह-वरीयता के अनुसार होगा। वे उम्मीदवार जो एक से अधिक सेवाओं/ पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के पात्र हैं, उनके नियतन/चयन पर, उनके द्वारा दिए गए वरीयता-क्रम के संदर्भ में विचार किया जाएगा और किसी एक सेवा/ पाठ्यक्रम में उनके अंतिम रूप से नियतन/चुन लिए जाने पर, उनके नाम पर शेष सेवाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

विशेष टिप्पणी : वायु सेना की उड़ान शाखा के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी कंप्यूटरीकृत पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) (पायलट अभिरुचि टेस्ट) में केवल एक बार शामिल हो सकेगा। अतः उसके द्वारा प्रथम टेस्ट में प्राप्त ग्रेड ही उसके द्वारा बाद में दिए जाने वाले वायु सेना चयन बोर्ड के प्रत्येक साक्षात्कार में लागू होंगे। सीपीएसएस में अनुत्तीर्ण होने वाला अभ्यर्थी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा की वायु सेना की उड़ान शाखा या जनरल ड्यूटी (पायलट) शाखा या नौसेना वायु आयुध शाखा (नेवल एयर आर्मामेंट) में प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर सकता।

जिन उम्मीदवारों का किसी पिछले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पाठ्यक्रम में कंप्यूटरीकृत पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) परीक्षण हो चुका हो, उन्हें इस परीक्षा की वायु सेना शाखा के लिए केवल तभी आवेदन करना चाहिए, यदि उन्हें सीपीएसएस में अर्हक घोषित कर दिया गया हो। यदि कोई अभ्यर्थी सी पी एस एस में फेल हो गया हो या एच डब्लू जी होने के कारण उस की सी पी एस एस के लिए परीक्षा न ली गई हो तो उस अभ्यर्थी पर भारतीय वायु सेना, नौ सेना, थल सेना व एन ए वी ए सी की ग्रांड ड्यूटी शाखा के लिए विचार किया जाएगा।

अलग-अलग उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम किस रूप में और किस प्रकार सूचित किए जाएं इस बात का निर्णय आयोग अपने आप करेगा और परिणाम के संबंध में उम्मीदवारों से कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

परीक्षा में सफल होने मात्र से अकादमी में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। उम्मीदवार को नियुक्ति प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा कि वह अकादमी में प्रवेश के लिए सभी तरह से उपयुक्त है।

10. प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश के लिए अनर्हताएं:

जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अथवा भारतीय नौ सेना अकादमी की 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के किसी पहले कोर्स में प्रवेश पा चुके थे पर अधिकारी सुलभ विशेषताओं के अभाव के कारण या अनुशासनिक आधार पर वहां से निकाल दिये गये थे उनको अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

किंतु जिन उम्मीदवारों को अस्वस्थता के आधार पर पहले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय नौ सेना अकादमी से वापस ले लिया गया था या जिन्होंने अपनी इच्छा से उक्त अकादमी छोड़ दी हो उन्हें अकादमी में प्रवेश मिल सकता है बशर्ते कि वे स्वास्थ्य तथा अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

11. (क) परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य विवरण (ख) आवेदन प्रपत्र भरने के लिए दिशानिर्देश/अनुदेश (ग) वस्तुपरक परीक्षाओं हेतु उम्मीदवार के लिए विशेष अनुदेश (घ) अकादमी में प्रवेश हेतु शारीरिक मानक से मार्गदर्शक संकेत और (ङ) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौ सेना अकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की सेवा आदि के संक्षिप्त विवरण आदि की विस्तृत जानकारी के संबंध में क्रमशः परिशिष्ट I, II, III, IV और V में विस्तार से समझाया गया है।

12. आवेदनों की वापसी: जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं आयोग ने उनके लिए आवेदन वापस लेने की सुविधा का प्रावधान किया है। इस संबंध में अनुदेश परीक्षा नोटिस के परिशिष्ट II (ख) में प्रदान किए गए हैं।

(ओम प्रकाश)
अवर सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

परिशिष्ट-I

(परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य विवरण)

(क) परीक्षा की योजना:

1. लिखित परीक्षा के विषय, नियत समय तथा प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे:--

विषय	कोड	अवधि	अधिकतम अंक
गणित	01	2-1/2 घंटे	300
सामान्य योग्यता परीक्षण	02	2-1/2 घंटे	600
		कुल	900
सेवा चयन बोर्ड टेस्ट / साक्षात्कार		कुल	900

2. सभी विषयों के प्रश्न-पत्रों में केवल वस्तुपरक प्रश्न ही होंगे। गणित और सामान्य योग्यता परीक्षण के भाग-ख के प्रश्न-पत्र (परीक्षण पुस्तिकाएं) द्विभाषी रूप हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किये जाएंगे।
3. प्रश्न-पत्रों में, जहां भी आवश्यक होगा केवल तोल और माप की मीटरी पद्धति से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा।
4. उम्मीदवारों को प्रश्न -पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने चाहिए। किसी भी हालत में उन्हें प्रश्न पत्र के उत्तर लिखने के लिए लिखने वाले की सहायता सुलभ नहीं की जायेगी।
5. परीक्षा के एक अथवा सभी विषयों के अर्हक अंकों का निर्धारण आयोग की विविक्षा पर रहेगा।
6. उम्मीदवारों को वस्तुपरक प्रश्न-पत्रों (प्रश्न-पुस्तिकाओं) के उत्तर लिखने के लिये केलकुलेटर अथवा गणितीय अथवा लघुगणकीय सारणियां प्रयोग करने की अनुमति नहीं है, अतः ये उन्हें परीक्षा भवन में नहीं लानी चाहिए।

(ख) परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण:

प्रश्न--पत्र-।

गणित

(कोड संख्या 01)

(अधिकतम अंक 300)

1. बीज गणित:

समुच्चय की अवधारणा, समुच्चयों पर संक्रिया, वेन आरेख। द-मारगन नियम, कार्तीय गुणन, संबंध, तुल्यता-संबंध।

वास्तविक संख्याओं का एक रेखा पर निरूपण। संमिश्र संख्याएं- आधारभूत गुणधर्म, मापक, कोणांक, इकाई का घनमूल। संख्याओं की द्विआधारी प्रणाली। दशमलव प्रणाली की एक संख्या का द्विआधारी प्रणाली में परिवर्तन तथा विलोमतः परिवर्तन। अंकगणितीय, ज्यामितीय तथा हरात्मक श्रेणी, वास्तविक गुणांकों सहित द्विघात समीकरण। ग्राफों द्वारा दो चरों वाले रैखिक असमिका का हल। क्रमचय तथा संचय। द्विपद प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग लघुगणक तथा उनके अनुप्रयोग।

2. आव्यूह तथा सारणिक:

आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों पर संक्रिया। आव्यूह के सारणिक, सारणिकों के आधारभूत गुणधर्म, वर्ग आव्यूह के सहखंडन तथा व्युत्क्रम, अनुप्रयोग-दो या तीन अज्ञातों में रैखिक समीकरणों के तंत्र का कैमर के नियम तथा आव्यूह पद्धति द्वारा हल।

3. त्रिकोणमिति:

कोण तथा डिग्रियों तथा रेडियन में उनका मापन। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय सर्वसमिका योग तथा अंतर सूत्र। बहुल तथा अपवर्तक कोण। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन। अनुप्रयोग-ऊँचाई तथा दूरी, त्रिकोणों के गुणधर्म।

4. दो तथा तीन विमाओं की विश्लेषिक ज्यामिति:

आयतीय कार्तीय निर्देशक पद्धति, दूरी सूत्र, एक रेखा का विभिन्न प्रकारों में समीकरण। दो रेखाओं के मध्य कोण। एक रेखा से एक बिन्दु की दूरी। मानक तथा सामान्य प्रकार में एक वृत्त का समीकरण। परवलय, दीर्घवृत्त तथा अतिपरवलय के मानक प्रकार। एक शांकव की उत्केन्द्रता तथा अक्ष त्रिविम आकाश में बिन्दु, दो बिन्दुओं के मध्य दूरी। दिक्-को साइन तथा दिक्-अनुपात। समतल तथा रेखा के विभिन्न प्रकारों में समीकरण। दो रेखाओं के मध्य कोण तथा दो तलों के मध्य कोण। गोले का समीकरण।

5. अवकल गणित:

वास्तविक मान फलन की अवधारणा-फलन का प्रांत, रेंज व ग्राफ। संयुक्त फलन, एकैकी, आच्छादक तथा व्युत्क्रम फलन, सीमांत की धारणा, मानक सीमांत-उदाहरण। फलनों के सांतत्य-उदाहरण, सांतत्य फलनों पर बीज गणितीय संक्रिया। एक बिन्दु पर एक फलन का अवकलन एक अवकलन के ज्यामितीय तथा भौतिक निर्वचन-अनुप्रयोग। योग के अवकलज, गुणनफल और फलनों के भागफल, एक फलन का दूसरे फलन के साथ अवकलज, संयुक्त फलन का अवकलज। द्वितीय श्रेणी अवकलज, वर्धमान तथा हास फलन। उच्चिष्ठ तथा अल्पिष्ठ की समस्याओं में अवकलजों का अनुप्रयोग।

6. समाकलन गणित तथा अवकलन समीकरण:

अवकलन के प्रतिलोम के रूप में समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन तथा खंडशः समाकलन, बीजीय व्यंजकों सहित मानक समाकल, त्रिकोणमितीय, चरघातांकी तथा अतिपरवलयिक फलन निश्चित समाकलनों का मानांकन वक्ररेखाओं द्वारा घिरे समतल क्षेत्रों के क्षेत्रफलों का निर्धारण -अनुप्रयोग।

अवकलन समीकरण की डिग्री तथा कोटि की परिभाषा, उदाहर उदाहरणों द्वारा अवकलन समीकरण की रचना। अवकलन समीकरण का सामान्य तथा विशेष हल। विभिन्न प्रकार के प्रथम कोटि तथा प्रथम डिग्री अवकलन समीकरणों का हल-उदाहरण। वृद्धि तथा क्षय की समस्याओं में अनुप्रयोग।

7. सदिश बीजगणित:

दो तथा तीन विमाओं में सदिश, सदिश का परिमाण तथा दिशा, इकाई तथा शून्य सदिश, सदिशों का योग, एक सदिश का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणनफल या बिन्दुगुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल या क्रास गुणनफल, अनुप्रयोग-बल तथा बल के आघूर्ण तथा किया गया कार्य तथा ज्यामितीय समस्याओं में अनुप्रयोग।

8. सांख्यिकी तथा प्रायिकता:

सांख्यिकी: आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता-बंटन, संचयी बारंबारता-बंटन-उदाहरण, ग्राफीय निरूपण-आयत चित्र, पाई चार्ट, बारंबारता बहुभुज-उदाहरण केन्द्रीय प्रवृत्ति का मापन-माध्य, माध्यिका तथा बहुलक। प्रसरण तथा मानक विचलन-निर्धारण तथा तुलना। सहसंबंध तथा समाश्रयण।

प्रायिकता: यादृच्छिक प्रयोग, परिणाम तथा सहचारी प्रतिदर्श समष्टि घटना, परस्पर परवर्जित तथा निशेष घटनाएं-असंभव तथा निश्चित घटनाएं, घटनाओं का सम्मिलन तथा सर्वनिष्ठ, पूरक, प्रारंभिक तथा संयुक्त घटनाएं। प्रायिकता पर प्रारंभिक प्रमेय-साधारण प्रश्न। प्रतिदर्श समाविष्ट पर फलन के रूप में यादृच्छिक चरद्वि आधारी बंटन, द्विआधारी बंटन को उत्पन्न करने वाले यादृच्छिक प्रयोगों के उदाहरण।

प्रश्न-पत्र-II

सामान्य योग्यता परीक्षण

(कोड संख्या 02)

(अधिकतम अंक-600)

भाग (क) अंग्रेजी:

(अधिकतम अंक 200)

अंग्रेजी का प्रश्न-पत्र इस प्रकार का होगा जिससे उम्मीदवार की अंग्रेजी की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग का परीक्षण हो सके। पाठ्यक्रम में विभिन्न पहलू समाहित हैं जैसे व्याकरण और प्रयोग विधि शब्दावली तथा अंग्रेजी में उम्मीदवार की प्रवीणता की परख हेतु विस्तारित परिच्छेद की बोधगम्यता तथा संबद्धता।

भाग (ख) सामान्य ज्ञान:

(अधिकतम अंक 400)

सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्रों में मुख्य रूप से भौतिकी, रसायन शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भूगोल तथा सामायिक विषय आयेंगे। इस प्रश्न-पत्र में शामिल किए गए विषयों का क्षेत्र निम्न पाठ्य-विवरण पर आधारित होगा। उल्लिखित विषयों को सर्वांग पूर्ण नहीं मान लेना चाहिए तथा इसी प्रकार के ऐसे विषयों पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनका इस पाठ्य विवरण में उल्लेख नहीं किया गया है। उम्मीदवार के उत्तरों में विषयों को बोधगम्य ढंग से समझने की मेधा और ज्ञान का पता चलना चाहिए।

खंड-क (भौतिकी):

द्रव्य के भौतिक गुणधर्म तथा स्थितियां, संहति, भार, आयतन, घनत्व तथा विशिष्ट घनत्व, आर्कमिडिज का सिद्धांत, वायु दाब मापी, बिम्ब की गति, वेग और त्वरण, न्यूटन के गति

नियम, बल और संवेग, बल समान्तर चतुर्भुज, पिण्ड का स्थायित्व और संतुलन, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, शक्ति और ऊर्जा का प्रारंभिक ज्ञान।

ऊष्मा का प्रभाव, तापमान का माप और ऊष्मा, स्थिति परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा अभिगमन की विधियां।

ध्वनि तरंग और उनके गुण-धर्म, सरल वाद्य यंत्र, प्रकाश का ऋतुरेखीय चरण, परावर्तन और अपवर्तन, गोलीय दर्पण और लेन्सेज, मानव नेत्र, प्राकृतिक तथा कृत्रिम चुम्बक, चुम्बक के गुण धर्म। पृथ्वी चुम्बक के रूप में स्थैतिक तथा धारा विद्युत। चालक और अचालक, ओहम नियम, साधारण विद्युत परिपथ। धारा के मापन, प्रकाश तथा चुम्बकीय प्रभाव, वैद्युत शक्ति का माप। प्राथमिक और गौण सेल। एक्स-रे के उपयोग। निम्नलिखित के कार्य के संचालन के सिद्धान्त: सरल लोलक, सरल घिरनी, साइफन, उत्तोलक, गुब्बारा, पंप, हाईड्रोमीटर, प्रेशर कुकर, थर्मस फ्लास्क, ग्रामोफोन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, पेरिस्कोप, टेलिस्कोप, माइक्रोस्कोप, नाविक दिक्सूचक, तड़ित चालक, सुरक्षा फ्यूज।

खंड-ख (रसायन शास्त्र):

भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, तत्व मिश्रण तथा यौगिक, प्रतीक सूत्र और सरल रासायनिक समीकरण रासायनिक संयोग के नियम (समस्याओं को छोड़कर) वायु तथा जल के रासायनिक गुण धर्म, हाइड्रोजन, आक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाई-आक्साइड की रचना और गुण धर्म, आक्सीकरण और अपचयन।

अम्ल, क्षारक और लवण।

कार्बन-भिन्न रूप

उर्वरक-प्राकृतिक और कृत्रिम।

साबुन, कांच, स्याही, कागज, सीमेंट, पेंट, दियासलाई और गनपाउडर जैसे पदार्थों को तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री।

परमाणु की रचना, परमाणु तुल्यमान और अणुभार, संयोजकता का प्रारंभिक ज्ञान।

खंड-ग (सामान्य विज्ञान):

जड़ और चेतन में अंतर। जीव कोशिकाओं, जीव द्रव्य और ऊतकों का आधार। वनस्पति और प्राणियों में वृद्धि और जनन। मानव शरीर और उसके महत्वपूर्ण अंगों का प्रारंभिक ज्ञान। सामान्य महामारियों और उनके कारण तथा रोकने के उपाय।

खाद्य-मनुष्य के लिए ऊर्जा का स्रोत। खाद्य के अवयव। संतुलित आहार, सौर परिवार, उल्का और धूमकेतु, ग्रहण। प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की उपलब्धियां

खंड-घ (इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन आदि):

भारतीय इतिहास का मोटे तौर पर सर्वेक्षण तथा संस्कृति और सभ्यता की विशेष जानकारी भारत में स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय संविधान और प्रशासन का प्रारंभिक अध्ययन। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं, पंचायती राज, सहकारी समितियां और सामुदायिक विकास की प्रारंभिक जानकारी। भूदान, सर्वोदय, राष्ट्रीय एकता और कल्याणकारी राज्य। महात्मा गांधी के मूल उपदेश ।

आधुनिक विश्व निर्माण करने वाली शक्तियां, पुनर्जागरण, अन्वेषण और खोज, अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति और रूसी क्रांति, समाज पर विज्ञान और औद्योगिकी का प्रभाव। एक विश्व की संकल्पना, संयुक्त राष्ट्र, पंचशील, लोकतंत्र, समाजवाद तथा साम्यवाद, वर्तमान विश्व में भारत का योगदान।

खंड-ड (भूगोल):

पृथ्वी, इसकी आकृति और आकार, अक्षांश और रेखांश, समय संकल्पना, अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा, पृथ्वी की गतियां और उसके प्रभाव, पृथ्वी का उद्भव, चट्टानें और उनका वर्गीकरण, अपक्षय-यांत्रिक और रासायनिक, भूचाल तथा ज्वालामुखी। महासागर धाराएं और ज्वार भाटे। वायुमण्डल और इसका संगठन, तापमान और वायुमण्डलीय दाब। भूमण्डलीय पवन, चक्रवात और प्रति चक्रवात, आर्द्रता, द्रव्यण और घर्षण। जलवायु के प्रकार, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र, भारत का क्षेत्रीय भूगोल-जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज और शक्ति संसाधन, कृषि और औद्योगिक कार्यकलापों के स्थान और वितरण। भारत के महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन, मुख्य समुद्री, भू और वायु मार्ग, भारत के आयात और निर्यात की मुख्य मर्दे।

खंड-च (सामयिक घटनाएं):

हाल ही के वर्षों में भारत में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी सामयिक महत्वपूर्ण विश्व घटनाएं। महत्वपूर्ण व्यक्ति-भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय, इनमें सांस्कृतिक कार्यकलापों और खेलकूद से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति भी शामिल हैं।

टिप्पणी: इस प्रश्न-पत्र के भाग (ख) में नियत अधिकतम अंकों में सामान्यतः खण्ड क, ख, ग, घ, ङ तथा च प्रश्नों के क्रमशः लगभग 25%, 15%, 10%, 20%, 20% तथा 10% अंक होंगे।

बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण:

सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) प्रक्रिया के अंतर्गत चयन प्रक्रिया के दो चरण होते हैं चरण-। चरण-।। । चरण-।। में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है जो चरण-। में सफल रहते हैं इसका विवरण निम्नानुसार है:

(क) चरण-। के अंतर्गत अधिकारी बुद्धिमत्ता रेटिंग (ओआईआर) परीक्षण चित्र बोध (पिक्चर परसेप्शन)* विवरण परीक्षण (पीपी एवं डीटी) शामिल होते हैं। उम्मीदवारों को ओआईआर परीक्षण तथा पीपी एवं डीटी में उनके संयुक्त रूप से कार्यनिष्पादन के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा ।

(ख) चरण-11 के अंतर्गत साक्षात्कार ग्रुप टेस्टिंग अधिकारी टास्क मनोविज्ञान परीक्षण तथा सम्मेलन कांफ्रेंस शामिल होता है। ये परीक्षण चरणबद्ध होते हैं। इन परीक्षणों का विवरण वेबसाइट www.joinindianary.nic.in पर मौजूद है।

किसी उम्मीदवार के व्यक्तित्व का आकलन तीन विभिन्न आकलनकर्ताओं नामतः साक्षात्कार अधिकारी (आईओ) ग्रुप टेस्टिंग अधिकारी (जीटीओ) तथा मनोवैज्ञानिक द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक परीक्षण के लिए अलग अलग अंक वेटेज नहीं हैं। आकलनकर्ताओं द्वारा उम्मीदवारों को अंकों का आबंटन सभी परीक्षणों में उनके समग्र कार्यनिष्पादन पर विचार करने के पश्चात ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त (कांफ्रेंस हेतु अंको का आबंटन भी तीनों तकनीकों में उम्मीदवार के आरंभिक तथा कार्यनिष्पादन तथा बोर्ड के निर्णय के आधार पर किया जाता है। इन सभी के अंक (वेटेज) समान हैं।

आईओ, जीटीओ तथा मनोविज्ञान के विभिन्न परीक्षण इस प्रकार तैयार किये हैं जिससे उम्मीदवार में अधिकारीसम्मत गुणों (आफिसर लाइक क्वालिटीज) के होने / नहीं होने तथा प्रशिक्षित किए जाने की उसकी क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तदनुसार, एसएसबी में उम्मीदवारों की अनुसंशा की अथवा नहीं की जाती है।

परिशिष्ट - II (क)

ऑनलाइन आवेदन के लिए अनुदेश

उम्मीदवारों को वेबसाइट www.upsconline.nic.in का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन करना अपेक्षित होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- ऑनलाइन आवेदनों को भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- उम्मीदवारों को ड्रॉप डाउन मेनू के माध्यम से उपर्युक्त साइट में उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार दो चरणों अर्थात् भाग-I और भाग-II में निहित ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को पूरा करना अपेक्षित होगा।
- उम्मीदवारों को 100/- रु. (केवल एक सौ रुपये) के शुल्क (अजा/अजजा और नोटिस के पैरा 4 की टिप्पणी 2 में उल्लिखित उम्मीदवारों जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है को छोड़कर) को या तो भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में नकद जमा करके या भारतीय स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीजा/मास्टरकार्ड/रूपे क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना अपेक्षित है।
- उम्मीदवारों के पास किसी एक फोटो पहचान-पत्र अर्थात् आधार कार्ड/मतदाता कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/स्कूल पहचान-पत्र/ राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान-पत्र का विवरण होना चाहिए। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन-पत्र

भरते समय इस फोटो आईडी का विवरण प्रदान करना होगा। इसी फोटो आईडी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ भी अपलोड करना होगा। इस फोटो आईडी का इस्तेमाल भविष्य में सभी संदर्भों के लिए किया जाएगा और उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा/एसएसबी में शामिल होते समय इस आईडी को अपने साथ रखें।

- ऑनलाइन आवेदन भरना प्रारंभ करने से पहले उम्मीदवार के पास विधिवत स्कैन की गई फोटो और हस्ताक्षर .जेपीजी (.JPG) प्रारूप में इस प्रकार होने चाहिए ताकि प्रत्येक फाइल 300 के.बी. से अधिक न हो और यह फोटो और हस्ताक्षर के मामले में 20 के.बी. से कम न हो।
- ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले उम्मीदवार के पास अपने फोटो पहचान पत्र दस्तावेज की पीडीएफ प्रति उपलब्ध होनी चाहिए। पीडीएफ फाइल का डिजिटल आकार 300 केबी से अधिक और 20 केबी से कम नहीं होना चाहिए।
- ऑनलाइन आवेदन (भाग-I और भाग-II) को दिनांक **30 दिसम्बर, 2020 से 19 जनवरी, 2021 सांय 6:00 बजे** तक भरा जा सकता है।
- आवेदकों को एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं भरने चाहिए, तथापि यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश कोई आवेदक एक से अधिक आवेदन पत्र भरता है तो वह यह सुनिश्चित कर लें कि उच्च आरआईडी वाला आवेदन पत्र हर तरह से पूर्ण है।
- एक से अधिक आवेदन पत्रों के मामले में, आयोग द्वारा उच्च आरआईडी वाले आवेदन पत्र पर ही विचार किया जाएगा और एक आरआईडी के लिए अदा किए गए शुल्क का समायोजन किसी अन्य आरआईडी के लिए नहीं किया जाएगा।
- आवेदक अपना आवेदन प्रपत्र भरते समय यह सुनिश्चित करें कि वे अपना वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि आयोग परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है।
- आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ई-मेल लगातार देखते रहें तथा यह सुनिश्चित करें कि @nic.in से समाप्त होने वाले ई-मेल पते उनके इनबॉक्स फोल्डर की ओर निर्देशित हैं तथा उनके एसपीएएम (SPAM) फोल्डर या अन्य किसी फोल्डर की ओर नहीं।
- उम्मीदवारों को सख्त सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। इसके अतिरिक्त, आयोग ने आवेदन वापस लेने का प्रावधान किया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित होने के इच्छुक नहीं हैं वे अपना आवेदन वापस ले सकते हैं।

परिशिष्ट- II (ख)

आवेदन वापस लेने संबंधी महत्वपूर्ण अनुदेश

1. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन वापस लेने संबंधी अनुरोध पत्र भरने से पहले अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
2. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित होने के इच्छुक नहीं है उनके लिए आयोग ने दिनांक 27.01.2021 से 02.02.2021 (सायं 6.00 बजे तक) आवेदन वापस लेने की सुविधा का प्रावधान किया है।
3. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पूर्ण और अंतिम रूप से सब्मिट किए गए आवेदन का पंजीकरण आईडी और विवरण प्रदान करें। अपूर्ण आवेदनों को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है।
4. आवेदन वापसी का अनुरोध प्रस्तुत करने से पहले उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि उनके पास वह पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी उपलब्ध है, जो उन्होंने ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय प्रदान किया था। अनुरोध तभी स्वीकार किया जाएगा जब उम्मीदवार के मोबाइल और ई-मेल पर भेजे गए ओटीपी को वैलीडेट किया जाएगा। यह ओटीपी 30 मिनट के लिए मान्य होगा।
5. आवेदन वापसी के संबंध में ओटीपी जनरेट करने का अनुरोध दिनांक 02.02.2021 को सायं 5:30 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा।
6. यदि किसी उम्मीदवार ने एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किए हैं तब आवेदन (सबसे बाद वाले) के उच्चतर पंजीकरण आईडी पर ही वापसी संबंधी विचार किया जाएगा और पहले के सभी आवेदनों को स्वतः ही खारिज मान लिया जाएगा।
7. आवेदन वापसी के ऑनलाइन अनुरोध को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिए जाने के बाद आवेदक अधिप्रमाणित रसीद प्रिंट करेगा। उम्मीदवार द्वारा आवेदन वापस लिए जाने के बाद भविष्य में इसे पुनः सक्रिय नहीं किया जा सकेगा।
8. संघ लोक सेवा आयोग में उम्मीदवार द्वारा अदा किए गए परीक्षा शुल्क को लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः, उम्मीदवार द्वारा सफलतापूर्वक आवेदन वापस लिए जाने के बाद ऐसे मामलों में शुल्क लौटाया नहीं जाएगा।
9. वापसी संबंधी आवेदन के पूरा होने के बाद उम्मीदवार के पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाइल पर ऑटो-जनरेटेड ई-मेल और एसएमएस भेजा जाएगा। यदि उम्मीदवार ने आवेदन वापसी संबंधी आवेदन जमा नहीं किया है तब वह ई-मेल आईडी : upscsoap@nic.in के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क कर सकता है।
10. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से प्राप्त ओटीपी किसी से साझा न करें।

परिशिष्ट-III

वस्तुपरक परीक्षाओं हेतु उम्मीदवार के लिए विशेष अनुदेश

1. परीक्षा हाल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति होगी

क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड (जिस पर कुछ न लिखा हो) उत्तर पत्रक पर प्रत्युत्तर को अंकित करने के लिए एक अच्छी किस्म का काला बॉल पेन, लिखने के लिए भी उन्हें काले बॉल पेन का ही प्रयोग करना चाहिए, उत्तर पत्रक और कच्चे कार्य हेतु कार्य पत्रक निरीक्षक द्वारा दिए जाएंगे।

2. परीक्षा हाल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति नहीं होगी । ऊपर दर्शाई गई वस्तुओं के अलावा अन्य कोई वस्तु जैसे पुस्तकें, नोट्स, खुले कागज, इलैक्ट्रॉनिक या अन्य किसी प्रकार के केलकुलेटर, गणितीय तथा आरेख उपकरणों, लघुगुणक सारणी, मानचित्रों के स्टैंसिल, स्लाइड रूल, पहले सत्र (सत्रों) से संबंधित परीक्षण पुस्तिका और कच्चे कार्यपत्रक, परीक्षा हाल में न लाएं।

मोबाइल फोन, पेजर, ब्लूटूथ एवं अन्य संचार यंत्र उस परिसर में जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, लाना मना है, इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन/पेजर/ब्लूटूथ सहित कोई भी वर्जित वस्तु परीक्षा परिसर में न लाएं क्योंकि इनकी अभिरक्षा के लिए व्यवस्था की गारंटी नहीं ली जा सकती।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हॉल में कोई भी बहुमूल्य वस्तु न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती । इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

3. गलत उत्तरों के लिए दंड

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) दिया जाएगा।

- (i) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं, उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का $1/3$ (0.33) दंड के रूप में काटा जाएगा।
- (ii) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दंड दिया जाएगा।

(iii) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए **कोई दंड नहीं** दिया जाएगा।

4. अनुचित तरीकों की सखती से मनाही

कोई भी उम्मीदवार किसी भी अन्य उम्मीदवार के पेपरों से न तो नकल करेगा न ही अपने पेपरों से नकल करवाएगा, न ही किसी अन्य तरह की अनियमित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

5. परीक्षा भवन में आचरण

कोई भी परीक्षार्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें तथा परीक्षा हाल में अव्यवस्था न फैलाएं तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दंड दिया जाएगा।

6. उत्तर पत्रक विवरण

(i) उत्तर पत्रक के ऊपरी सिरे के निर्धारित स्थान पर आप अपना केन्द्र और विषय, परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (कोष्ठकों में) विषय कोड और अनुक्रमांक काले बॉल प्वाइंट पेन से लिखें। उत्तर पत्रक में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में अपनी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (ए.बी.सी.डी., यथास्थिति), विषय कोड तथा अनुक्रमांक काले बॉल पेन से कूटबद्ध करें। उपर्युक्त विवरण लिखने तथा उपर्युक्त विवरण कूटबद्ध करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत अनुबंध में दिए गए हैं। यदि परीक्षण पुस्तिका पर श्रृंखला मुद्रित न हुई हो अथवा उत्तर पत्रक बिना संख्या के हों तो कृपया निरीक्षक को तुरंत रिपोर्ट करें और परीक्षण पुस्तिका/उत्तर पत्रक को बदल लें।

(ii) उम्मीदवार नोट करे कि ओ एम आर उत्तर पत्रक में विवरण कूटबद्ध करने/भरने में किसी प्रकार कि चूक/त्रुटि/विसंगति विशेषकर अनुक्रमांक तथा परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड के संदर्भ में होने पर उत्तर पत्रक अस्वीकृत किया जाएगा ।

(iii) परीक्षा आरंभ होने के तत्काल बाद कृपया जांच कर लें कि आपको जो परीक्षण पुस्तिका दी गई है उसमें कोई पृष्ठ या मद आदि अमुद्रित या फटा हुआ अथवा गायब तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उसे उसी श्रृंखला तथा विषय की पूर्ण परीक्षण पुस्तिका से बदल लेना चाहिए।

7. उत्तर पत्रक/परीक्षण पुस्तिका/कच्चे कार्य पत्रक में मांगी गई विशिष्ट मदों की सूचना के अलावा कहीं पर भी अपना नाम या अन्य कुछ नहीं लिखें।

8. उत्तर पत्रकों को न मोड़ें या न विकृत करें अथवा न बर्बाद करें अथवा उसमें न ही कोई अवांछित/असंगत निशान लगाएं। उत्तर पत्रक के पीछे की ओर कुछ भी न लिखें।

9. उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कंप्यूटरीकृत मशीनों पर होगा, अतः उम्मीदवारों को उत्तर पत्रकों के रख-रखाव तथा उन्हें भरने में अति सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें वृत्तों को काला करने के लिए केवल काले बॉल पेन का उपयोग करना चाहिए। बॉक्सों में लिखने के लिए उन्हें काले बॉल पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। चूंकि उम्मीदवारों द्वारा वृत्तों को काला करके भरी गई प्रविष्टियों को कम्प्यूटरीकृत मशीनों द्वारा उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखा जाएगा, अतः उन्हें इन प्रविष्टियों को बड़ी सावधानी से तथा सही-सही भरना चाहिए।

10. उत्तर अंकित करने का तरीका

“वस्तुपरक” परीक्षा में आपको उत्तर लिखने नहीं होंगे, प्रत्येक प्रश्न (जिन्हें आगे प्रश्नांश कहा जाएगा) के लिए कई सुझाए गए उत्तर (जिन्हें आगे प्रत्युत्तर कहा जाएगा) दिए जाते हैं उनमें से प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक प्रत्युत्तर चुनना है।

प्रश्न पत्र परीक्षण पुस्तिका के रूप में होगा। इस पुस्तिका में क्रम संख्या 1,2,3... आदि के क्रम में प्रश्नांश के नीचे (ए), (बी), (सी) और (डी) के रूप में प्रत्युत्तर अंकित होंगे। आपका काम एक सही प्रत्युत्तर को चुनना है। यदि आपको एक से अधिक प्रत्युत्तर सही लगें तो उनमें से आपको सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। यदि आप एक से अधिक प्रत्युत्तर चुन लेते हैं तो आपका प्रत्युत्तर गलत माना जाएगा।

उत्तर पत्रक में क्रम संख्याएं 1 से 160 छापे गए हैं, प्रत्येक प्रश्नांश (संख्या) के सामने (ए), (बी), (सी) और (डी) चिन्ह वाले वृत्त छपे होते हैं। जब आप परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लें और यह निर्णय करने के बाद कि दिए गए प्रत्युत्तरों में से कौन सा एक प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम है, आपको अपना प्रत्युत्तर उस वृत्त को काले बॉल पेन से पूरी तरह से काला बनाकर अंकित कर देना है।

उदाहरण के तौर पर यदि प्रश्नांश 1 का सही प्रत्युत्तर (बी) है तो अक्षर (बी) वाले वृत्त को निम्नानुसार काले बॉल पेन से पूरी तरह काला कर देना चाहिए जैसाकि नीचे दिखाया गया है।

उदाहरण (a) • (c) (d)

11. स्कैनेबल उपस्थिति सूची में एंट्री कैसे करें :

उम्मीदवारों को स्कैनेबल उपस्थिति सूची में, जैसा नीचे दिया गया है, अपने कॉलम के सामने केवल काले बॉल पेन से संगत विवरण भरना है:

उपस्थिति/अनुपस्थिति कॉलम में [P] वाले गोले को काला करें।

- (i) समुचित परीक्षण पुस्तिका सीरीज के संगत गोले को काला करें।
- (ii) समुचित परीक्षण पुस्तिका क्रम संख्या लिखें।
- (iii) समुचित उत्तर पत्रक क्रम संख्या लिखें और प्रत्येक अंक के नीचे दिए गए गोले को भी काला करें।
- (iv) दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें।

12. कृपया परीक्षण पुस्तिका के आवरण पर दिए गए अनुदेशों को पढ़ें और उनका पालन करें। यदि कोई उम्मीदवार अव्यवस्थित तथा अनुचित आचरणों में शामिल होता है तो वह अनुशासनिक कार्रवाई और/या आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले दंड का भागी बन सकता है।

अनुबंध

परीक्षा भवन में वस्तुपरक परीक्षाओं के उत्तर पत्रक कैसे भरें

कृपया इन अनुदेशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक पालन करें। आप यह नोट कर लें कि चूंकि उत्तर-पत्रक का अंकन मशीन द्वारा किया जाएगा, इन अनुदेशों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन आपके प्राप्तांकों को कम कर सकता है जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

उत्तर पत्रक पर अपना प्रत्युत्तर अंकित करने से पहले आपको इसमें कई तरह के विवरण लिखने होंगे। उम्मीदवार को उत्तर-पत्रक प्राप्त होते ही यह जांच कर लेनी चाहिए कि इसमें नीचे संख्या दी गई है। यदि इसमें संख्या न दी गई हो तो उम्मीदवार को उस पत्रक को किसी संख्या वाले पत्रक के साथ तत्काल बदल लेना चाहिए।

आप उत्तर-पत्रक में देखेंगे कि आपको सबसे ऊपर की पंक्ति में इस प्रकार लिखना होगा।

Centre Subject S.Code

केन्द्र विषय विषय कोड

--	--

Roll Number

अनुक्रमांक

--	--	--	--	--	--

मान लो यदि आप गणित के प्रश्न-पत्र* के वास्ते परीक्षा में दिल्ली केन्द्र पर उपस्थित हो रहे हैं और आपका अनुक्रमांक 081276 है तथा आपकी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला 'ए' है तो आपको काले बाल पेन से इस प्रकार भरना चाहिए।*

Centre	Subject	S.Code	Roll Number
<u>केन्द्र</u>	<u>विषय</u>	<u>विषय कोड</u>	<u>अनुक्रमांक</u>
दिल्ली	गणित (ए)	0 1	0 8 1 2 7 6

आप केन्द्र का नाम अंग्रेजी या हिन्दी में काले बॉल पेन से लिखें।

परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड पुस्तिका के सबसे ऊपर दायें हाथ के कोने पर ए बी सी अथवा डी के अनुक्रमांक के अनुसार निर्दिष्ट हैं।

आप काले बाल पेन से अपना ठीक वही अनुक्रमांक लिखें जो आपके प्रवेश प्रमाण पत्र में है।

यदि अनुक्रमांक में कहीं शून्य हो तो उसे भी लिखना न भूलें।

आपको अगली कार्रवाई यह करनी है कि आप नोटिस में से समुचित विषय कोड ढूँढ़ें। जब आप परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला, विषय कोड तथा अनुक्रमांक को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में कूटबद्व करने का कार्य काले बॉल पेन से करें। केन्द्र का नाम कूटबद्व करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला को लिखने और कूटबद्व करने का कार्य परीक्षण पुस्तिका प्राप्त होने तथा उसमें से पुस्तिका श्रृंखला की पुष्टि करने के पश्चात ही करना चाहिए।


'ए' परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के गणित विषय प्रश्न पत्र के लिए आपको विषय कोड सं0 01 लिखनी है, इसे इस प्रकार लिखें।

पुस्तिका क्रम (ए) Booklet Series(A)	विषय Subject	0	1
<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

बस इतना भर करना है कि परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के नीचे दिए गए अंकित वृत्त 'ए' को पूरी तरह से काला कर दें और विषय कोड के नीचे '0' के लिए (पहले उर्ध्वाधर कॉलम में) और 1 के लिए (दूसरे उर्ध्वाधर कॉलम में) वृत्तों को पूरी तरह काला कर दें। आप वृत्तों को पूरी तरह उसी प्रकार काला करें जिस तरह आप उत्तर पत्रक में विभिन्न प्रश्नांशों के प्रत्युत्तर अंकित करते समय करेंगे, तब आप अनुक्रमांक 081276 को कूटबद्ध करें। इसे उसी के अनुरूप इस प्रकार करेंगे।

अनुक्रमांक
Roll Number

0	8	1	2	7	6
---	---	---	---	---	---



महत्वपूर्ण : कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना विषय, परीक्षण पुस्तिका क्रम तथा अनुक्रमांक ठीक से कूटबद्ध किया है,

* यह एक उदाहरण मात्र है तथा आपकी संबंधित परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है।

परिशिष्ट-IV

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौ सेना अकादमी में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को शारीरिक मानक के मार्गदर्शक संकेत

टिप्पणी: उम्मीदवारों को निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुसार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। इस संबंध में मार्गदर्शक संकेत नीचे दिये गये हैं। चिकित्सा परीक्षण के निम्नलिखित मानदंड प्रकाशन की तारीख को विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं। ये दिशा-निर्देश संशोधन के अध्यधीन हैं।

बहुत से अर्हताप्राप्त उम्मीदवार बाद में स्वास्थ्य के आधार पर अस्वीकृत कर दिये जाते हैं, अतः उम्मीदवारों को उनका अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे अन्तिम अवस्था पर निराशा से बचने के लिए आवेदन प्रपत्र भेजने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करा लें।

1. उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि सेवा चयन बोर्ड से अनुशंसा के बाद सैनिक अस्पताल में चिकित्सा परीक्षा में शीघ्र निर्णय के लिए छोटी-मोटी कमियों/बीमारियों को दूर कर लें।

2. कुछ ऐसे दोष/बीमारियां नीचे दर्शाई गई हैं:--

(क) कान का मैल

(ख) डेवियेटिड नेजल सेप्टम

(ग) हाइड्रोसिल/फीमोसिस

(घ) अधिक भार/कम भार

(ङ) छाती कम होना

(च) बवासीर

(छ) गाहनी कामेस्टिया

(ज) टांसिल

(झ) वेरिकोसिल

नोट: केवल हाथ के भीतर की तरफ अर्थात् कुहनी के भीतर से कलाई तक और हथेली के ऊपरी भाग/हाथ के पिछले हिस्से की तरफ शरीर पर स्थायी टैटू की अनुमति है। शरीर के किसी अन्य हिस्से पर स्थायी टैटू स्वीकार्य नहीं है और उम्मीदवार को आगे के चयन से विवर्जित कर दिया जाएगा। जनजातियों को उनके मौजूदा रीति रिवाजों एवं परंपरा के अनुसार मामला दर मामला के आधार पर उनके चेहरे या शरीर पर टैटू के निशान की अनुमति होगी। ऐसे मामलों में मंजूरी प्रदान करने के लिए कमांडेंट चयन केन्द्र सक्षम प्राधिकरण होगा।

3. सशस्त्र सेना में सभी प्रकार के कमीशन के लिए प्रवेश पाने वाले असैनिक उम्मीदवार चयन बोर्ड द्वारा अपनी जांच के दौरान किसी क्षति या संक्रमित रोग होने पर सेना के स्रोतों से सरकारी खर्च पर बाह्य-रोगी चिकित्सा के हकदार होंगे, वे अस्पताल के अधिकारी-वार्ड में सरकारी खर्च पर अंतरोगी चिकित्सा के भी पात्र होंगे, बशर्ते कि--

(क) क्षति परीक्षण के दौरान हुई हो, अथवा

(ख) चयन बोर्ड द्वारा परीक्षण के दौरान रोग का संक्रमण हुआ हो और स्थानीय सिविल अस्पताल में उपयुक्त जगह नहीं हो या रोगी को सिविल अस्पताल में ले जाना अव्यवहारिक हो; अथवा

(ग) चिकित्सा बोर्ड उम्मीदवार को प्रेषण हेतु दाखिल करना अपेक्षित समझे।

नोट: वे विशेष सेवा के हकदार नहीं हैं।

4. चिकित्सा प्रक्रिया

सेना चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी को सेना चिकित्सा अफसर बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य जांच करानी होगी। अकादमी में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाएंगे। चिकित्सा बोर्ड की कार्यवाही गोपनीय होती है, जिसके बारे में किसी को नहीं बताया जाएगा। किन्तु चिकित्सीयरूप से अयोग्य घोषित अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की जानकारी चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दी जाएगी तथा अभ्यर्थियों को अपील चिकित्सा बोर्ड से अनुरोध करने की प्रक्रिया भी बता दी जाएगी।

5. अपील चिकित्सा बोर्ड द्वारा की गई जांच के दौरान अयोग्य घोषित अभ्यर्थियों को समीक्षा चिकित्सा बोर्ड संबंधी प्रावधान के बारे में सूचित किया जायेगा।

6. थल सेना, वायु सेना (उडान और ग्राउंड इयूटी शाखाओं) एवम नौ सेना के लिये चिकित्सा मानक और चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया क्रमशः परिशिष्ट 'क', 'ख', 'ग' में दी गई है जो कि **निम्नलिखित वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।**

(क) सेना में अधिकारियों के प्रवेश के लिए : चिकित्सा मानको और चिकित्सा प्रक्रिया www.joinindianarmy.nic.in

(ख) वायु सेना (उडान और ग्राउंड इयूटी शाखाओं) में अधिकारियों के प्रवेश के लिए: चिकित्सा मानको और चिकित्सा प्रक्रिया www.careerindianairforce.cdac.in

(ग) नौसेना में अधिकारियों के प्रवेश के लिए : चिकित्सा मानको और चिकित्सा प्रक्रिया www.joinindiannavy.gov.in

नोट : मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही गोपनीय है, किसी को भी नहीं दी जाएगी । भर्ती महानिदेशक की किसी मेडिकल बोर्ड में भूमिका नहीं है और सक्षम चिकित्सा अधिकारियों द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाएगा।

संलग्नक 'क'

थल सेना में अफसर पदों पर भर्ती के लिए चिकित्सा मानक और मेडिकल परीक्षा की प्रक्रिया

1. परिचय

(क) सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख उत्तरदायित्व देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है और इसीलिए सशस्त्र सेनाओं को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखा जाता है। युद्ध की तैयारी के लिए

सैन्यकर्मियों को कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। इसके साथ-साथ जब भी जरूरत हो जैसे कि आपदाओं के समय, सशस्त्र सेनाएं सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए भी उपलब्ध रहती हैं। इस प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए सशस्त्र सेनाओं में शारीरिक सौष्ठव और सुदृढ़ मानसिक संतुलन वाले जवानों की जरूरत होती है। ऐसे उम्मीदवार दुर्गम क्षेत्रों और विषम परिस्थितियों में बगैर मेडिकल सुविधाओं के भी अपने सैन्य दायित्वों के निर्वाह में सक्षम होने चाहिए जो उन परिस्थितियों में कठोर तनाव को झेल सकें। किसी रोग/अपंगता के कारण चिकित्सीय रूप से अयोग्य कार्मिक न केवल कीमती संसाधनों की बरबादी करेगा बल्कि सैन्य ऑपरेशनों के दौरान अपने दल के अन्य सदस्यों के लिए भी मुसीबत और खतरे का सबब बन सकता है। इसलिए केवल चिकित्सीय रूप से योग्य अथवा फिट उम्मीदवारों का ही चयन किया जाता है जो युद्ध प्रशिक्षण के लिए योग्य हों।

(ख) सशस्त्र सेनाओं में 'चिकित्सीय रूप से योग्य' कार्मिकों का चयन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सशस्त्र सेना मेडिकल सर्विस का होता है।

(ग) अपनी पेशेवर विशिष्टता यूनिट में सौंपा गया कार्य, आयु अथवा लिंग से परे हटकर हर सशस्त्र सेना कार्मिक के लिए सेना में शामिल होने के समय आधारभूत 'मेडिकल फिटनेस' होना अनिवार्य है। फिटनेस के इसी आधारभूत स्तर को उनकी भावी पेशेवर विशिष्टताओं अथवा यूनिट कार्यों के लिए प्रशिक्षण के बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इससे युद्ध में उनकी तैनाती की तत्परता में भी वृद्धि होगी।

(घ) सशस्त्र सेना मेडिकल सर्विस के मेडिकल अफसरों द्वारा चिकित्सा जांच का कार्य अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाता है। बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण के बाद ये मेडिकल अफसर सशस्त्र सेनाओं की विशिष्ट कार्य परिस्थितियों में काम करने के लिए भली-भांति तैयार होते हैं। एक मेडिकल अफसर बोर्ड द्वारा इन चिकित्सा जांचों का अंतिम निर्णय लिया जाता है। **गौरतलब है कि मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। उम्मीदवार के नामांकन/कमीशन के दौरान किसी रोग/अपंगता/चोट/आनुवांशिक रोग अथवा विकार के संबंध में यदि कोई संदेह उत्पन्न हो तो संदेह का लाभ प्राधिकारी को दिया जाएगा।**

चिकित्सा मानक

2. निम्नलिखित पैराग्राफों में विर्णित चिकित्सा मानक सामान्य दिशानिर्देश हैं जो रोगों से संबंधित अथाह ज्ञान के संदर्भ में संपूर्ण नहीं हैं। वैज्ञानिक ज्ञान में प्रगति और नए उपकरणों/ट्रेड के प्रवेश के साथ सशस्त्र सेनाओं में काम करने के तरीकों में परिवर्तनों के चलते यह मानक भी परिवर्तनशील होते हैं। ये परिवर्तन समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी के नीति पत्रों द्वारा लागू किए

जाते हैं। इन दिशानिर्देशों व सिद्धांतों के आधार पर मेडिकल अफसरों, विशेष मेडिकल अफसरों तथा मेडिकल बोर्ड द्वारा उपयुक्त निर्णय लिए जाते हैं।

3. ‘चिकित्सीय रूप से फिट अथवा योग्य करार दिए जाने के लिए यह आवश्यक है कि उम्मीदवार की शारीरिक व मानसिक दशा सही हो तथा वह ऐसे किसी भी रोग/अपंगता/लक्षणों से मुक्त हो जो समुद्र व हवाई भूभागों सहित दुर्गम क्षेत्रों में तथा विषम परिस्थितियों में मेडिकल सुविधाओं की उपलब्धता के बगैर उसके सैन्य दायित्वों के निर्वहन में बाधक हों। उम्मीदवार ऐसी किसी भी चिकित्सीय परिस्थितियों से मुक्त होना चाहिए जिसमें नियमित रूप से दवाओं अथवा चिकित्सा सुविधाओं के उपयोग की जरूरत हो।

- (क) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उम्मीदवार स्वस्थ हो तथा उसके शरीर के किसी अंग अथवा प्रणाली में खराबी, जन्मजात विकृति/बीमारी के लक्षण न हों।
- (ख) ट्यूमर/सिस्ट/लिम्फ नोड्स में सूजन सहित शरीर के किसी भी भाग में कोई सूजन न हो तथा शरीर में कहीं साइनस अथवा नासूर की शिकायत न हो।
- (ग) शरीर की त्वचा पर कहीं हाइपर या हाइपो पिगमेंटेशन अथवा किसी अन्य प्रकार की बीमारी के लक्षण/अपंगता न हो।
- (घ) शरीर में हार्निया की शिकायत न हो।
- (च) शरीर पर ऐसे कोई निशान न हो, जो कामकाज को बाधित करते हों या विकलांगता अथवा अक्षमता उत्पन्न करते हों।
- (छ) शरीर में कहीं भी धमनी व शिराओं से संबंधित खराबी न हो।
- (ज) सिर और चेहरे में किसी प्रकार की खराबी जिसमें एकरूपता न हो, अस्थिभंग अथवा खोपड़ी की हड्डियों के दबाव से बनी विकृतियां, अथवा पूर्व में किए गए किसी मेडिकल ऑपरेशन के निशान तथा साइनस व नासूर इत्यादि जैसी खराबियां शामिल हैं, न हों।
- (झ) रंगों की पहचान करने में खराबी तथा दृष्टि क्षेत्र में खराबी सहित किसी प्रकार की दृष्टिबाधिता न हो।
- (ट) सुनने में किसी प्रकार की अक्षमता, कानों के प्रकोष्ठ-कर्णावर्त प्रणाली में किसी प्रकार की खराबी/अक्षमता न हो।
- (ठ) किसी बीमारी के कारणवश बोलने में किसी प्रकार की बाधा न हो।

- (ड) नाक अथवा जिहवा की हड्डियों अथवा उपास्थि में किसी प्रकार की बीमारी/अक्षमता/जन्मजात विकृति/लक्षण न हों अथवा तालू नाक में पॉलिप्स अथवा नाक व गले की कोई बीमारी न हो। नाक में कोई विकृति अथवा टॉन्सिलाइटिस की शिकायत न हो।
- (ढ) गले, तालू टॉसिल अथवा मसूड़ों की कोई बीमारी/लक्षण/अक्षमता न हो अथवा दोनों जबड़ों के जोड़ों के काम को बाधित करने वाली कोई बीमारी अथवा चोट न हो।
- (त) जन्मजात, आनुवांशिक, रक्तचाप और चालन विकारों सहित दिल तथा रक्त वाहिकाओं संबंधी कोई रोग/लक्षण/अक्षमता न हो।
- (थ) पलमोनरी टी बी अथवा इस रोग से संबंधित पुराने लक्षण अथवा फेफड़ों व छाती संबंधी कोई अन्य बीमारी/लक्षण/अक्षमता जिसमें किसी प्रकार की एलर्जी/प्रतिरक्षा स्थितियां, संयोजी ऊतक विकार तथा छाती के मस्क्यूलोस्केलेटल विकार शामिल हैं, न हों।
- (द) पाचन तंत्र संबंधी कोई बीमारी जिसमें असामान्य लिवर तथा लिवर रोग तथा अग्न्याशय की जन्मजात, आनुवांशिक बीमारयां/लक्षण तथा अक्षमताएं शामिल हैं, न हों।
- (ध) एंडोक्राइन सिस्टम अथवा प्रणाली तथा रेटिक्युलोएंडोथीलियल सिस्टम संबंधी किसी प्रकार का रोग/लक्षण /अक्षमता न हो।
- (न) जेनिटो-यूरीनरी सिस्टम संबंधी कोई रोग/लक्षण /अक्षमता जिसमें किसी अंग अथवा ग्रंथि की विकलांगता, एट्रॉफी/हाइपरट्रॉफी शामिल हैं, न हो।
- (प) किसी प्रकार का सक्रिय, अव्यक्त या छिपा हुआ अथवा जन्मजात यौन रोग न हो।
- (फ) किसी प्रकार के मानसिक रोग, मिर्गी, मूत्र नियंत्रण संबंधी अक्षमता न हो अथवा उसका इतिहास न हो।
- (ब) मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम तथा खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी व अन्य अंगों सहित जोड़ों से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी/अक्षमता/लक्षण न हों।
- (भ) कोई जन्मजात अथवा आनुवांशिक रोग/लक्षण /अक्षमता न हों।

4. एस एस बी चयन प्रक्रिया के दौरान मनोवैज्ञानिक परीक्षा आयोजित की जाएगी मगर चिकित्सीय जांच के दौरान यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो वह उम्मीदवार के चयन की अस्वीकृति का कारण हो सकता है।

5. उपर्युक्त दिशानिर्देशों के आधार पर सामान्यतः जिन चिकित्सीय जांच अनियमितताओं, कमियों या अक्षमताओं के कारण किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को अस्वीकृत किया जाता है, वे निम्नलिखित हैं :-

(क) रीढ़ की हड्डी, छाती व कूल्हे तथा अन्य अंगों से संबंधित मस्क्युलो-स्केलेटल विकलांगता जैसे, स्कोलियोसिस, टॉर्टीकोलिस, कायफॉसिस, मेरूदण्ड, पसलियों, वक्ष-अस्थि तथा अस्थि पिंजर की अन्य विकलांगताएं, विकृत अंग, उंगलियां, पैरो की उंगलियां तथा रीढ़ की हड्डी के जन्मजात विकार।

(ख) अंगों की विकलांगता: विकृत अंग, हाथों व पैरों की उंगलियां, विकृत जोड़ जैसे कि क्यूबिटस वलगस, क्यूबिटस, वॉरस, नॉक नीज, बो लेग, हाइपरमोबाइल जोड़, हाथ व पैरों की विच्छेदित उंगलियां तथा शरीर के अंग, जो वास्तविक आकार से छोटे हों।

(ग) नेत्र व नेत्रज्योति : मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग, कॉर्निया, लेंस, रेटिना में चोट, आंखों में भैंगापन एवं टॉसिस।

(घ) सुनने की क्षमता, कान, नाक व गला : सुनने की क्षमता अथवा श्रवण शक्ति कम होना, बाह्य कर्ण, कान की पट्टी की झिल्लियों, कान का भीतरी हिस्सा, नाक का सेक्टम मुड़ा हुआ होना एवं होंठ, तालू, पेरी-ऑरिक्युलर साइनस तथा लिम्फेंडिनाइटिस/एडीनोपैथी ऑफ नेक। दानों कानों के लिए बातचीत तथा फुसफुसाहट को सुनने की क्षमता 610 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

(च) दंतचिकित्सा की स्थिति :

(i) जबड़ों की प्रारंभिक रोगात्मक स्थिति जो बढ़ भी सकता है और बार-बार भी हो सकता है।

(ii) ऊपरी और निचले जबड़े के बीच विसंगति होना जिससे खाना चबाने में और बोलने में दिक्कत होती है जो उम्मीदवारी रद्द करता है।

- (iii) रोगसूचक टेम्पोरो-मेंडीबुलर जोड़ एवं उसमें सूजन होना। मुंह का किनारों पर 30 सेंटीमीटर से कम खुलना तथा मुंह ज्यादा खोलने पर टेम्पोरो-मेंडीबुलर जोड़ अपने स्थान से हटना।
- (iv) कैंसर की सभी संभावित स्थितियां।
- (v) मुंह खोलने के प्रतिबंध के साथ तथा उसके बगैर सब-म्यूकस फाइब्रोसिस की नैदानिक पहचान।
- (vi) दंतसंरचना में खराबी तथा/अथवा मसूड़ों से खून निकलना जिसके कारण दंत-स्वास्थ्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।
- (vii) दांत ढीले होना, दो से अधिक दांत हिलने पर या कमजोर होने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द होगी।
- (viii) कॉस्मेटिक अथवा मैक्सिलोफैशियल सर्जरी/ट्रामा के बाद उम्मीदवार सर्जरी/चोट लगने की तारीख से, जो भी बाद में हो, कम से कम 24 सप्ताह तक उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी के अयोग्य ठहराया जाएगा।
- (ix) यदि दांतों के रखरखाव में कमी के कारण भोजन चबाने, दंत-स्वास्थ्य एवं मुंह की स्वस्थता को बनाए रखने अथवा सामान्य पोषण को कायम रखने में दिक्कत हो अथवा उम्मीदवार के कर्तव्यों के निर्वहन में दिक्कत हो तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।
- (छ) **छाती** : तपेदिक रोग अथवा तपेदिक होने के प्रमाण हों, दिल या फेफड़ों में घाव, छाती की दीवार पर मस्क्यूलो-स्केलेटल घाव हों।
- (ज) **पेट तथा जेनिटर-मूत्र प्रणाली** : हर्निया, अन-डिसेंडेड टेस्टीस, वेरिकोसील, ऑर्गेनोमिगैली, सॉलिटरी किडनी, हॉर्सशू किडनी, तथा किडनी/लिवर में सिस्ट होना, गॉल ब्लेडर में पथरी, रीनल एवं यूरेट्रिक पथरी, यूरोजिनाइटल अंगों में अपंगता अथवा घाव होना, बवासीर रोग तथा लिम्फैडिनाइटिस रोग होना।
- (झ) **तंत्रिका तंत्र** : झटके/दौरे पड़ना, बोलने में दिक्कत होना या असंतुलन होना।
- (ट) **त्वचा** : विटिलिगो, हीमैजियोमास, मस्से होना, कॉर्न की समस्या होना, त्वचा रोग, त्वचा संक्रमण, त्वचा पर कहीं वृद्धि तथा हाइपरहाइड्रोसिस होना।

6. लम्बाई एवं वजन

सेना में प्रवेश की शाखा के आधार पर वांछित लम्बाई भिन्न-भिन्न होती है। शरीर का वजन शरीर की लम्बाई के अनुपात में होना चाहिए जैसा कि निम्नलिखित चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है :-

आयु (वर्ष में)	सभी आयु के लिए न्यूनतम वजन	आयु वर्ग: 17 से 20 वर्ष	आयु वर्ग: 20+01दिन 30 वर्ष	आयु वर्ग: 30+01दिन से 40 वर्ष	आयु 40 वर्ष से अधिक
लंबाई (से.मी.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)
140	35.3	43.1	45.1	47.0	49.0
141	35.8	43.7	45.7	47.7	49.7
142	36.3	44.4	46.4	48.4	50.4
143	36.8	45.0	47.0	49.1	51.1
144	37.3	45.6	47.7	49.8	51.8
145	37.8	46.3	48.4	50.5	52.6
146	38.4	46.9	49.0	51.2	53.3
147	38.9	47.5	49.7	51.9	54.0
148	39.4	48.2	50.4	52.6	54.8
149	40.0	48.8	51.1	53.3	55.5
150	40.5	49.5	51.8	54.0	56.3
151	41.0	50.2	52.4	54.7	57.0
152	41.6	50.8	53.1	55.4	57.8
153	42.1	51.5	53.8	56.2	58.5
154	42.7	52.2	54.5	56.9	59.3
155	43.2	52.9	55.3	57.7	60.1
156	43.8	53.5	56.0	58.4	60.8
157	44.4	54.2	56.7	59.2	61.6
158	44.9	54.9	57.4	59.9	62.4
159	45.5	55.6	58.1	60.7	63.2
160	46.1	56.3	58.9	61.4	64.0
161	46.7	57.0	59.6	62.2	64.8
162	47.2	57.7	60.4	63.0	65.6
163	47.8	58.5	61.1	63.8	66.4

164	48.4	59.2	61.9	64.6	67.2
165	49.0	59.9	62.6	65.3	68.1
166	49.6	60.6	63.4	66.1	68.9
167	50.2	61.4	64.1	66.9	69.7
168	50.8	62.1	64.9	67.7	70.6
169	51.4	62.8	65.7	68.5	71.4
170	52.0	63.6	66.5	69.4	72.3
171	52.6	64.3	67.3	70.2	73.1
172	53.3	65.1	68.0	71.0	74.0
173	53.9	65.8	68.8	71.8	74.8
174	54.5	66.6	69.6	72.7	75.7
175	55.1	67.4	70.4	73.5	76.6
176	55.8	68.1	71.2	74.3	77.4
177	56.4	68.9	72.1	75.2	78.3
178	57.0	69.7	72.9	76.0	79.2
179	57.7	70.5	73.7	76.9	80.1
180	58.3	71.3	74.5	77.8	81.0
181	59.0	72.1	75.4	78.6	81.9
182	59.6	72.9	76.2	79.5	82.8
183	60.3	73.7	77.0	80.4	83.7
184	60.9	74.5	77.9	81.3	84.6
185	61.6	75.3	78.7	82.1	85.6
186	62.3	76.1	79.6	83.0	86.5
187	62.9	76.9	80.4	83.9	87.4
188	63.6	77.8	81.3	84.8	88.4
189	64.3	78.6	82.2	85.7	89.3
190	65.0	79.4	83.0	86.6	90.3
191	65.7	80.3	83.9	87.6	91.2
192	66.4	81.1	84.8	88.5	92.2
193	67.0	81.9	85.7	89.4	93.1
194	67.7	82.8	86.6	90.3	94.1
195	68.4	83.7	87.5	91.3	95.1
196	69.1	84.5	88.4	92.2	96.0

197	69.9	85.4	89.3	93.1	97.0
198	70.6	86.2	90.2	94.1	98.0
199	71.3	87.1	91.1	95.0	99.0
200	72.0	88.0	92.0	96.0	100.0
201	72.7	88.9	92.9	97.0	101.0
202	73.4	89.8	93.8	97.9	102.0
203	74.2	90.7	94.8	98.9	103.0
204	74.9	91.6	95.7	99.9	104.0
205	75.6	92.5	96.7	100.9	105.1
206	76.4	93.4	97.6	101.8	106.1
207	77.1	94.3	98.6	102.8	107.1
208	77.9	95.2	99.5	103.8	108.2
209	78.6	96.1	100.5	104.8	109.2
210	79.4	97.0	101.4	105.8	110.3

(क) ऊपर दिया गया लंबाई-वजन चार्ट सभी वर्गों के कार्मिकों के लिए है। यह चार्ट बी एम आई के आधार पर बनाया गया है। इस चार्ट में किसी लंबाई विशेष के उम्मीदवार का न्यूनतम स्वीकृत वजन दिया गया है। किसी भी मामले में न्यूनतम स्वीकृत वजन से कम वजन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दी गई लंबाई के अनुसार अधिकतम स्वीकृत वजन को विभिन्न आयु-वर्ग में विभाजित किया गया है। अधिकतम स्वीकृत वजन सीमा से अधिक वजन वाले उम्मीदवारों को केवल उन मामलों में स्वीकार किया जाएगा। जहां वे राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती, बॉडी-बिल्डिंग एवं बॉक्सिंग खेलों में शामिल होने का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। ऐसे मामलों में निम्नलिखित मानक होंगे :-

- (i) बॉडी मास इंडेक्स 25 से कम होना चाहिए।
- (ii) कमर और कूल्हे का अनुपात पुरुषों के लिए 0.9 तथा महिलाओं के लिए 0.8 होगा।
- (iii) कमर का घेरा पुरुषों के लिए 90 सेंटीमीटर तथा महिलाओं के लिए 80 सेंटीमीटर से कम होगा।
- (iv) सभी बायोकेमिकल मेटाबॉलिक मानक सामान्य सीमाओं में होंगे।

नोट : 17 वर्ष से कम आयु के उम्मीदवारों के लिए लंबाई तथा वजन का मापदंड '05 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए इंडियन एकेडेमी ऑफ पेडियाट्रिक्स के लंबाई, वजन बी एम आई विकास चार्ट ' के दिशानिर्देशानुसार होगा।

7. सभी अफसर प्रवेश और प्री-कमीशन प्रशिक्षण अकादमियों में निम्नलिखित जांच की जाएंगी परंतु यदि मेडिकल अफसर/मेडिकल बोर्ड चाहे या ठीक समझे तो इसके अलावा अन्य किसी बिन्दु पर भी जांच कर सकते हैं।

- (क) संपूर्ण हीमोग्राम
- (ख) यूरिन आर ई (रूटीन)
- (ग) चेस्ट एक्सरे
- (घ) अल्ट्रासाउंड (यू एस जी) पेट व पेडू

8. आयु वर्ग एवं भर्ती या प्रवेश के प्रकार के आधार पर नेत्र ज्योति संबंधी कुछ मानक भिन्न हो सकते हैं जैसा कि निम्नलिखित है :-

मानदण्ड	स्टैंडर्ड : 10+2 प्रवेश एन डी	स्नातक एवं समकक्ष प्रवेश	स्नातकोत्तर एवं समकक्ष
	ए(सेना), टी ई एस	सी डी एस ई, आई एम ए, ओ टी ए, यू ई एस, एन सी सी, टी जी सी एवं समकक्ष	प्रवेश : जैग, ए ई सी, ए पी एस, टी ए, ए एम सी, ए डी सी, एस एल एवं समकक्ष
असंशोधित दृष्टि (अधिकतम स्वीकृत)	6/36 एवं 6/36	6/60 एवं 6/60	3/60 एवं 3/60
बी सी वी ए	दायां 6/6 तथा बायां 6/6	दायां 6/6 तथा बायां 6/6	दायां 6/6 तथा बायां 6/6
मायोपिया	≤-2.5 डी स्फ (अधिकतम द्रष्टिवैषम्य सहित ≤+/- 2.0 डी साईल)	≤-3.50 डी स्फ (अधिकतम द्रष्टिवैषम्य सहित ≤+/- 2.0 डी साईल)	≤-5.50 डी स्फ (अधिकतम द्रष्टिवैषम्य सहित ≤+/- 2.0 डी साईल)
हाइपरमेट्रोपिया	≤+2.5 डी स्फ (अधिकतम द्रष्टिवैषम्य सहित ≤+/- 2.0 डी साईल)	≤+3.50 डी स्फ (अधिकतम द्रष्टिवैषम्य सहित ≤+/- 2.0 डी साईल)	≤+3.50 डी स्फ (अधिकतम द्रष्टिवैषम्य सहित ≤+/- 2.0 डी साईल)
लौसिक/समकक्ष	अनुमति नहीं है	अनुमति*	अनुमति*

सर्जरी			
रंग धारणा	सी पी - ॥	सी पी - ॥	सी पी - ॥

*लौसिक अथवा समकक्ष केराटो-रिफ्रेक्टिव प्रक्रिया

(क) यदि कोई उम्मीदवार केराटो-रिफ्रेक्टिव प्रक्रिया करवाता है तो उसे प्रक्रिया तारीख व सर्जरी किस प्रकार की है, इस बात का उल्लेख करते हुए उस मेडिकल सेंटर से इस आशय का एक प्रमाण पत्र/ऑपरेटिव नोट्स प्रस्तुत करने होंगे जहां यह काम किया गया है।

नोट: इस तरह के प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति के लिये नेत्र रोग विशेषज्ञ को “अप्रतिबंधित दृश्य तीक्ष्णता सुधारात्मक प्रक्रिया के कारण अनफिट”के विशिष्ट समर्थन के साथ उम्मीदवार को अस्वीकार करने का निर्णय लेने की आवश्यकता होगी ।

(ख) इस संबंध में ‘योग्य ‘ अथवा ‘फिट ‘ करार देने के लिए निम्नलिखित का ध्यान रखा जाएगा।

- (i) सर्जरी के समय उम्मीदवार की आयु 20 वर्ष से अधिक हो।
- (ii) लासिक सर्जरी के बाद न्यूनतम 12 माह का समय हो गया हो।
- (iii) केन्द्र में कॉर्निया की मोटाई 450ड के बराबर या उससे अधिक हो।
- (iv) आई ओ एल मास्टर द्वारा अक्षीय लंबाई 26 मिमी के बराबर या उससे अधिक हो।
- (v) +/-1.0 डी एवं सिलिंडर से कम या उसके बराबर अवशिष्ट अपवर्तन हो, बशर्ते वह उस वर्ग में मान्य हो जिसमें उम्मीदवार द्वारा आवेदन किया गया हो।
- (vi) सामान्य स्वस्थ रेटिना।
- (vii) अतिरिक्त मापदंड के रूप में कॉर्निया की स्थलाकृति और एक्टेशिया मार्कर को भी शामिल किया जा सकता है।

वे उम्मीदवार जिन्होंने रेडियल कॉर्निया (केराटोटॉमी) करवा रखी है, वे स्थायी रूप से अयोग्य माने जाएंगे।

9. मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही के लिए प्रयुक्त फॉर्म ए एफ एम एस एफ-2 ए है।

10. **चिकित्सा जांच बोर्ड की कार्यवाही :** अफसरों के चयन और प्री-कमीशनिंग प्रशिक्षण अकादमियों के लिए चिकित्सा जांच बोर्ड का आयोजन सर्विस चयन बोर्ड (एस एस बी) के निकट नियत सशस्त्र सेना मेडिकल सर्विस अस्पतालों में किया जाता है। इन मेडिकल बोर्ड को ‘विशेष मेडिकल बोर्ड ‘ (एस एम बी)

कहा जाता है। एस एस बी साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को पहचान दस्तावेजों सहित सशस्त्र सेना मेडिकल सर्विस अस्पताल के पास भेजा जाता है। अस्पताल के स्टॉफ सर्जन उम्मीदवार की पहचान कर उसे ए एफ एम एस एफ-2 में संबंधित भाग भरने के लिए मार्गदर्शन देते हैं, मेडिकल, सर्जिकल, नेत्र रोग, ई एन टी तथा डेंटल विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सा जांच आयोजित करवाते हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ भी महिला उम्मीदवारों की जांच करते हैं। इन विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा जांच के बाद उम्मीदवार मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की जांच से संतुष्ट होने के बाद मेडिकल बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों की मेडिकल फिटनेस संबंधी घोषणा की जाती है। यदि विशेष मेडिकल बोर्ड (एस एम बी) द्वारा किसी उम्मीदवार को 'अयोग्य' या 'अनफिट' घोषित किया जाता है, तो उसे उम्मीदवार 'अपील मेडिकल बोर्ड' (ए एम बी) के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ए एम बी से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख अध्यक्ष एस एम बी द्वारा किया जाएगा।

11. विविध पहलू :

- (क) परीक्षण अथवा जांच के नैदानिक तरीक डी जी ए एफ एम एस कार्यालय द्वारा स्थापित किए जाते हैं।
- (ख) महिला उम्मीदवारों की मेडिकल जांच महिला मेडिकल अफसरों द्वारा की जाएगी परंतु यदि महिला डॉक्टर मौजूद न हों तो यह काम महिला परिचारिकाओं की उपस्थिति में पुरुष डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा।
- (ग) सर्जरी के बाद फिटनेस देना :

सर्जरी के बाद उम्मीदवार को फिट घोषित किया जाएगा परंतु सर्जरी में किसी प्रकार की जटिलता या दिक्कत नहीं होनी चाहिए, घाव भर गए हों और उस अंग विशेष की शक्ति पर्याप्त रूप से मिल गई हो, यह आवश्यक होगा। हर्निया की ओपन/लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के 01 वर्ष बाद तथा कॉलसिस्टेक्टमी की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के 12 सप्ताह बाद किसी उम्मीदवार को फिट घोषित किया जाएगा। किसी अन्य सर्जरी के मामले में भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के 12 सप्ताह बाद और ओपन सर्जरी के 12 माह बाद ही फिटनेस दी जाएगी। चोट लगने, मांस फटने और जोड़ों में किसी प्रकार की चोट लगने पर सर्जरी की अवधि को ध्यान में न रखते हुए उम्मीदवार को 'अयोग्य' घोषित किया जाएगा।

e

नौसेना में अफसरों के प्रवेश के लिए चिकित्सा जांच के चिकित्सा मानक और प्रक्रिया

मेडिकल बोर्ड के संचालन की प्रक्रिया

1. सैन्य सेवा चयन बोर्ड (एस एस बी) द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी को सेना मेडिकल अफसरों के एक बोर्ड द्वारा संचालित चिकित्सीय जांच (स्पेशल मेडिकल बोर्ड) से होकर गुजरना होगा। केवल मेडिकल बोर्ड द्वारा योग्य (फिट) घोषित अभ्यर्थियों को ही अकादमी में प्रवेश दिया जाएगा। तथापि मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष अनफिट घोषित हुए अभ्यर्थी को उनके परिणामों की जानकारी देंगे और अपील मेडिकल बोर्ड की प्रक्रिया बताएंगे जिसे विशेष मेडिकल बोर्ड के 42 दिनों के भीतर कमान अस्पताल या समकक्ष में अभ्यर्थी द्वारा पूरा करना होगा।
2. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अपील मेडिकल बोर्ड (ए एम बी) द्वारा अनफिट घोषित किया जाता है, वे अपील मेडिकल बोर्ड पूरा होने के एक दिन के भीतर रीव्यू मेडिकल बोर्ड के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ए एम बी के अध्यक्ष अभ्यर्थियों को ए एमबी के जांच-परिणामों को चुनौती देने की प्रक्रिया की जानकारी देंगे। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाएगा कि रीव्यू मेडिकल बोर्ड (आर एम बी) के संचालन के लिए मंजूरी डी जी ए एफ एम एस द्वारा मामले की मेरिट के आधार पर ही प्रदान की जाएगी इसे अभ्यर्थी का अधिकार नहीं माना जाएगा। यदि अभ्यर्थी आर एम बी के लिए अनुरोध करना चाहता/चाहती है तो उसे डी एम पी आर, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना), सेना भवन, राजाजी मार्ग, नई दिल्ली-110011- को लिखना होगा एवं उसकी एक प्रति ए एम बी के अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। डी जी ए एफ एम एस का कार्यालय अभ्यर्थी को आर एम बी के लिए उपस्थित होने की तारीख एवं स्थान (केवल दिल्ली और पूना) के विषय में सूचित करेगा।
3. स्पेशल मेडिकल बोर्ड के दौरान, निम्नलिखित जांच अनिवार्य रूप से की जाएंगी। तथापि अभ्यर्थी की जांच करने वाले मेडिकल अफसर/मेडिकल बोर्ड आवश्यकता पड़ने पर या सूचित किए जाने पर कोई अन्य जांच करवाने को कह सकते हैं:-

(क) कम्प्लीट हीमोग्राम

- (ख) यूरिन आर ई/एम ई
- (ग) एक्स-रे चेस्ट पी ए व्यू
- (घ) यू एस जी एब्डोमन और पेल्विस

एन्ट्री के समय अफसरों (पुरुष/महिला) के लिए शारीरिक मानदंड

4. अभ्यर्थी को विनिर्दिष्ट शारीरिक मानदंडों के अनुसार शारीरिक रूप से स्वस्थ (फिट) होना चाहिए:-

(क) अभ्यर्थी शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसी किसी भी बीमारी/अक्षमता से मुक्त होना चाहिए जो तट और समुद्री ड्यूटी पर विश्व के किसी भी हिस्से में शांति एवं युद्ध परिस्थितियों में सक्षम कार्य निष्पादन में बाधा डाल सकती है, ।

(ख) अभ्यर्थी में किसी भी तरह की शारीरिक कमजोरी, शारीरिक दोष अथवा कम वजन के लक्षण नहीं होने चाहिए। अभ्यर्थी को अधिक वजन का या मोटा नहीं होना चाहिए।

5. वजन

कद-वजन तालिका: नौसेना

कद (मीटर में)	17 वर्ष तक		17 वर्ष + 1 दिन से 18 वर्ष तक		18 वर्ष + 1 दिन से 20 वर्ष तक		20 वर्ष + 1 दिन से 30 वर्ष तक		30 वर्ष तक	
	न्यूनतम वजन (किग्रा में)	अधिकतम वजन (किग्रा में)	न्यूनतम वजन (किग्रा में)	अधिकतम वजन (किग्रा में)	न्यूनतम वजन (किग्रा में)	अधिकतम वजन (किग्रा में)	न्यूनतम वजन (किग्रा में)	अधिकतम वजन (किग्रा में)	न्यूनतम वजन (किग्रा में)	अधिकतम वजन (किग्रा में)
1.47	37	45	40	45	40	48	40	50	40	52
1.48	37	46	41	46	41	48	41	50	41	53
1.49	38	47	41	47	41	49	41	51	41	53
1.5	38	47	42	47	42	50	42	52	42	54
1.51	39	48	42	48	42	50	42	52	42	55
1.52	39	49	43	49	43	51	43	53	43	55
1.53	40	49	43	49	43	51	43	54	43	56
1.54	40	50	44	50	44	52	44	55	44	57
1.55	41	50	44	50	44	53	44	55	44	58
1.56	41	51	45	51	45	54	45	56	45	58
1.57	42	52	46	52	46	54	46	57	46	59
1.58	42	52	46	52	46	55	46	57	46	60
1.59	43	53	47	53	47	56	47	58	47	61
1.6	44	54	47	54	47	56	47	59	47	61

1.61	44	54	48	54	48	57	48	60	48	62
1.62	45	55	49	55	49	58	49	60	49	63
1.63	45	56	49	56	49	58	49	61	49	64
1.64	46	56	50	56	50	59	50	62	50	65
1.65	46	57	50	57	50	60	50	63	50	65
1.66	47	58	51	58	51	61	51	63	51	66
1.67	47	59	52	59	52	61	52	64	52	67
1.68	48	59	52	59	52	62	52	65	52	68
1.69	49	60	53	60	53	63	53	66	53	69
1.7	49	61	53	61	53	64	53	66	53	69
1.71	50	61	54	61	54	64	54	67	54	70
1.72	50	62	55	62	55	65	55	68	55	71
1.73	51	63	55	63	55	66	55	69	55	72
1.74	51	64	56	64	56	67	56	70	56	73
1.75	52	64	57	64	57	67	57	70	57	74
1.76	53	65	57	65	57	68	57	71	57	74
1.77	53	66	58	66	58	69	58	72	58	75
1.78	54	67	59	67	59	70	59	73	59	76
1.79	54	67	59	67	59	70	59	74	59	77
1.8	55	68	60	68	60	71	60	75	60	78
1.81	56	69	61	69	61	72	61	75	61	79
1.82	56	70	61	70	61	73	61	76	61	79
1.83	57	70	62	70	62	74	62	77	62	80
1.84	58	71	63	71	63	74	63	78	63	81
1.85	58	72	63	72	63	75	63	79	63	82
1.86	59	73	64	73	64	76	64	80	64	83
1.87	59	73	65	73	65	77	65	80	65	84
1.88	60	74	65	74	65	78	65	81	65	85
1.89	61	75	66	75	66	79	66	82	66	86
1.9	61	76	67	76	67	79	67	83	67	87
1.91	62	77	67	77	67	80	67	84	67	88
1.92	63	77	68	77	68	81	68	85	68	88
1.93	63	78	69	78	69	82	69	86	69	89
1.94	64	79	70	79	70	83	70	87	70	90
1.95	65	80	70	80	70	84	70	87	70	91

नोट:-

(क) कद के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम वजन सभी वर्गों के कार्मिकों के लिए एक समान होगा। निर्धारित न्यूनतम वजन से कम वजन वाले अभ्यर्थियों को स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(ख) निर्धारित वजन से अधिक वजन वाले पुरुष अभ्यर्थी आपवादिक स्थिति में केवल तभी स्वीकार्य होंगे जब वे बॉडी बिल्डिंग, कुश्ती, मुक्केबाजी अथवा मसक्यूलर बिल्ड के संबंध में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। ऐसे मामलों में, निम्नलिखित मानदंड का पालन किया जाता है।

- (i) शरीर द्रव्यमान सूचकांक 25 से अधिक नहीं होना चाहिए।
 - (ii) कमर तथा कूल्हे का अनुपात 0.9 से कम हो।
 - (iii) ब्लड शुगर फास्टिंग और पी पी ब्लड यूरिया, क्रिटिनाइन, कोलेस्ट्रॉल, HbA1C% आदि जैसे सभी बायोकेमिकल पैरामीटर सामान्य रेंज में हों।
- (ग) केवल चिकित्सा विशेषज्ञ ही किसी अभ्यर्थी को स्वस्थ (फिट) घोषित कर सकते हैं।

(घ) न्यूनतम स्वीकार्य ऊंचाई 157 सेमी है। हालांकि, ऊंचाई में छूट नीचे वर्णित क्षेत्रों के अधिवास रखने वाले उम्मीदवारों के लिए स्वीकार्य है:

क्रम संख्या	श्रेणी	पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई
(i)	लद्दाख क्षेत्र से आदिवासी	155 से.मी.
(ii)	अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और मिनिकाँय द्वीप	155 से.मी.
(iii)	गोरखा, नेपाली, असमिया, गढ़वाली, कुमाऊँनी और उत्तराखंड	152 से.मी.
(iv)	भूटान, सिक्किम और उत्तर पूर्व क्षेत्र	152 से.मी.

6. अभ्यर्थी की चिकित्सीय जांच के दौरान, निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं को सुनिश्चित किया जाएगा:-

- (क) अभ्यर्थी पर्याप्त रूप से बुद्धिमान हो।
- (ख) श्रवण-शक्ति अच्छी हो और कान, नाक अथवा गले की किसी भी बीमारी के लक्षण न हों।
- (ग) दोनों नेत्रों की दृष्टि क्षमता अपेक्षित मानदंडों के अनुरूप हो। उनके नेत्र चमकदार, स्पष्ट हों और भेंगापन अथवा असामान्यता से रहित हो। आंखों की पुतलियों की गति सभी दिशाओं में पूरी और निर्बाध हों।
- (घ) बोलने की क्षमता बाधा रहित हो।
- (च) ग्रन्थियों में किसी प्रकार की सूजन न हो।
- (छ) वक्ष की बनावट अच्छी हो और हृदय एवं फेफड़े स्वस्थ हों।
- (ज) अभ्यर्थियों के सभी अंग सुगठित एवं सुविकसित हों।
- (झ) किसी भी प्रकार की हर्निया के लक्षण न हों।

- (ट) सभी जोड़ों के कार्य निर्बाध एवं त्रुटि रहित हों।
- (ठ) पैर एवं पंजे सुविकसित हों।
- (ड) किसी भी प्रकार की जन्मजात विकृति अथवा गड़बड़ी न हो।
- (ढ) किसी भी प्रकार के पूर्व काल की गंभीर एवं लंबी बीमारी के लक्षण जो कि शारीरिक अपंगता को दर्शाता/दर्शाते हों, न हों।
- (त) भली-भांति चबाने के लिए पर्याप्त संख्या में मजबूत दांत हों।
- (थ) जेनिटो-यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित कोई भी बीमारी न हो।

7. अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित करने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:-

- (क) कमजोर शारीरिक रचना, अपूर्ण विकास, जन्मजात विकृति, मांसपेशी क्षय।
- (ख) सिर की विकृति जिसमें फ्रैक्चर से उत्पन्न विकृति अथवा खोपड़ी की हड्डियों के संकुचन से उत्पन्न विकृति शामिल है।

(ग) मेरूदंड संबंधी रोग अथवा उनकी असामान्य वक्रता, कॉब्स मेथड के अनुसार 25 वर्ष की आयु से नीचे 10 डिग्री से अधिक और 25 वर्ष की आयु से अधिक की आयु वाले अभ्यर्थियों में 15 डिग्री से अधिक का स्कोलिओसिस।

नोट:- मेरूदंड का एकसरे सामान्यतः नहीं किया जाएगा। तथापि, शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ के परामर्श पर जहां पर आवश्यकता हो, करवाया जाएगा।

(घ) आनुवांशिक अथवा गैर-आनुवांशिक अस्थि पंजर संबंधी विकृति और अस्थियों या संधियों की बीमारी या अक्षमता।

नोट:- रूडीमेंटरी सरवाइकल रिब जिसमें कोई भी संकेत या लक्षण न दिखाई देते हो, स्वीकार्य है।

- (च) धड़ एवं अंगों की असममिति, अंग-छेदन सहित गतिशीलता में असमाम्यता।
- (छ) पैरों एवं पंजों की विकृति।

8. **आंख**

(क) आंख या पलकों की विकृति या रोग ग्रस्त स्थिति जिसके अधिक बढ़ने या दुबारा होने की संभावना हो।

(ख) किसी भी स्तर का प्रत्यक्ष दिखाने वाला भेंगापन।

(ग) सक्रिय ट्रेकोमा या उसकी पेचीदगी या रोगोत्तर लक्षण।

(घ) निर्धारित मानदंडों से कम दृष्टि तीक्ष्णता।

नोट:-

1. सी डी एस ई (CDSE) अफसरों की एंट्री हेतु दृष्टि संबंधी मानदंड निम्नलिखित हैं:-

मानदंड	सी डी एस ई/एन सी सी
असंशोधित दृष्टि	6/126/12
संशोधित दृष्टि	6/6 6/6
निकट दृष्टि (Myopia) संबंधी सीमाएं	-1.5D Sph
दीर्घ दृष्टि संबंधी (hypermetropia) सीमाएं	+1.5 D Cyl
अबिंदुकता (निकट दृष्टि तथा दीर्घ दृष्टि सीमा के भीतर)	± 0.75 D Sph/Cyl
दोनों आंखों की दृष्टि	III
रंगों की समझ	I

2. **कैराटो रिफ्रेक्टिव सर्जरी** जिन अभ्यर्थियों ने किसी भी प्रकार की कैराटो रिफ्रेक्ट्री सर्जरी (PRK, LASIK, SMILE) करवाई हो उन्हें सभी शाखाओं में एंट्री के लिए फिट माना जाएगा (सबमरीन, डाइविंग और MARCO काडर को छोड़कर) और उन पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:-

(क) 20 वर्ष की आयु से पहले कोई शल्यचिकित्सा न हुई हो।

(ख) जांच के कम से कम 12 महीने पूर्व हुई अनकॉम्प्लीकेटेड सर्जरी। (अभ्यर्थी इस आशय का एक सर्टिफिकेट जिसमें सर्जरी की तारीख तथा ऑपरेशन पूर्वसंबंधित नेत्र में रिफ्रेक्टिव दोष में कितना था इसका उल्लेख किया गया हो, अभ्यर्थी यह सर्टिफिकेट रिफ्रूटमेंट मेडिकल एक्जामिनेशन के समय प्रस्तुत करेगा)।

(ग) आई ओ एल मास्टर या ए स्कैन द्वारा एक्सियल लंबाई 25.0 मि मी या उससे कम।

(घ) लैसिक के बाद पैकीमीटर द्वारा मापे गए कॉर्नियल की मोटाई 450 माइक्रोन्स से कम नहीं होनी चाहिए।

(च) रेजिडुअल रिफ्रैक्शन ± 1.0 डी स्फैरिकल या सिलिंड्रिकल (Sph or Cyl) से कम हो या बराबर हो बशर्ते जिस वर्ग (केटेगरी) के लिए आवेदन किया गया हो यह उसकी अनुज्ञेय सीमा के अंदर हो। लेकिन पायलट तथा ऑबजर्वर एंटी के लिए यह शून्य (Nil) होना चाहिए।

(छ) प्री-ऑपरेटिव एरर ± 6.0 डी से अधिन नहीं होना चाहिए।

(ज) रेटिना संबंधी सामान्य जांच।

3. कैराटो रिफ्रैक्ट्री सर्जरी (PRK, LASIK, SMILE) सबमरीन, डाइविंग एवं MARCO जैसे विशिष्ट संवर्गों के लिए स्वीकार्य नहीं है। जिन अभ्यर्थियों ने रेडियल कैराटोटॉमी करवाई हो वे भर्ती के लिए स्थायी रूप से अनफिट माने जाएंगे।

9. कान, नाक तथा गला

(क) कान बार-बार कान में दर्द होना या इसका कोई इतिहास हो, कम सुनाई देना, टिनीटस हो या चक्कर आते हों। ट्रेशिया, एक्सोस्टोसिस या नियोप्लाज्म सहित बाह्य मीटस के रोग जो ड्रम की पूर्ण जांच को रोकते हैं। टिम्पैनिक मैम्ब्रेन के असाध्य छिद्रण, कान का बहना, अक्यूट या क्रोनिक सुपरेटिव ऑटिटिस मीडिया के लक्षण, रेडिकल या मोडिफाइड रेडिकल मैस्टॉयड ऑपरेशन के प्रमाण।

टिप्पणी:-

(1) अभ्यर्थी अलग-अलग दोनों कानों से 610 से मी की दूरी सेफोर्ड्स फुसफुसाहट (हिवस्पर) सुनपाता हो। सुनने के समय उसकी पीठ परीक्षक की तरफ होनी चाहिए।

(2) टिम्पैनिक मैम्ब्रेन के ड्राई सेंट्रल परफोरेशन के लिए कोर्टिकल मैस्टॉयटेक्टोमी के साथ या सहित टिम्पेनोप्लास्टी का ऑपरेशन तब सफल माना जाता है जब ग्राफ्ट सफलतापूर्वक काम करना शुरू कर देता है, बशर्ते मैम्ब्रेन सही-सलामत हो तथा प्रत्येक कान से, गतिशील रहते हुए, 610 से मी की फ्री फील्ड हायरिंग हो तथा प्योर टोन ऑडियोमैट्री पर नॉर्मल हियरिंग थ्रेशोल्ड हो। फिटनेस के लिए, अभ्यर्थी को टिम्पेनोमैट्री पर नार्मल कम्प्लैरेंस को दर्शाना चाहिए।

(ख) नाक नाक की उपास्थि या अस्थि के रोग, मार्कड नेजल एलर्जी, नेजल पॉलिप्स, एट्रोफिक रायनाइटिस, एक्सेसरी साइनस के रोग तथा नैसोफैरिक्स।

टिप्पणी:- नाक की सामान्य विकृति जिससे नाक का आकार बिगड़े नहीं, साधारण सेप्टल डेविएशन जिससे नेजल एयरवे (Airway)में कोई दिक्कत न हों तथा छोटा-सा ट्रौमेटिक सेप्टल परफोरेशन जो लक्षण रहित हो स्वीकार्य हैं।

(ग) **गला** थोट पैलेट, जीभ, टॉसिल, मसूड़े के रोग या दोनों मेंडिब्यूलर के सामान्य क्रिया को प्रभावित करने वाले रोग।

(घ) **लैरिंग्स के रोग वाक् अवरोध (बोलने में कठिनाई)**- आवाज सामान्य होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से हकलाने वाले अभ्यर्थी को भर्ती नहीं किया जाएगा।

10. **दांतों की स्थिति:-** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चबाने के लिए पर्याप्त संख्या में स्वस्थ दांत हों।

(क) एक अभ्यर्थी के 14 डेंटल प्वाइंट्स (Points) होने चाहिए ताकि उस व्यक्ति के दांतों की स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके। 14 से कम डेंटल प्वाइंट्स वाले अभ्यर्थी की भर्ती नहीं की जाएगी। दूसरे जबड़े में संगत दांतों के साथ अच्छी अवस्था वाले दांतों के प्वाइंट के बारे में नीचे बताया जा रहा है:-

(i) सेंट्रल इनसाइजर, लेटरल इनसाइजर, केनाइन, प्रथम प्रीमोलर, द्वितीय प्रीमोलर तथा प्रत्येक प्वाइंट के साथ अंडर डेवलेपमेंट तृतीय मोलर।

(ii) प्रथम मोलर, द्वितीय मोलर तथा पूरी तरह विकसित तृतीय मोलर। प्रत्येक में दो प्वाइंट होंगे।

(iii) जब सभी 32 दांत मौजूद हों तो 22 या 20 प्वाइंट की कुल गितनी होगी और उनके अनुसार यह कहा जाएगा कि तीसरे मोलर विकसित हैं या नहीं।

(ख) प्रत्येक जबड़े में सही ढंग से काम करने वाले दांत होने चाहिए।

(i) 6 एंटेरियर में से कोई 4

(ii) 10 पोस्टरियर में कोई 6

ये सभी दांत स्वस्थ/दुरुस्त करने योग्य होने चाहिए।

(ग) गंभीर रूप से पायरिया ग्रस्त अभ्यर्थियों की भर्ती नहीं की जाएगी। यदि डेंटल अफसर की राय हो कि पायरिया को बिना दांत निकाले ही ठीक किया जा सकता है तो अभ्यर्थी

की भर्ती कर ली जाएगी। इस बाबते मेडिकल/डेंटल अफसर चिकित्सकीय दस्तावेज में टिप्पणी लिखेंगे।

(घ) डेंटल प्वाइंट की गिनती करते समय कृत्रिम दांतों को शामिल नहीं किया जाएगा।

11. गर्दन

(क) बड़े हुए ग्लैंड, ट्यूबरक्यूलर या गर्दन या शरीर के अन्य भाग में अन्य रोगों के कारण।

टिप्पणी:- ट्यूबरक्यूलर ग्लैंड को हटाने के लिए किए गए ऑपरेशन के कारण आए दागों के कारण उम्मीदवारी समाप्त नहीं की जाएगी बशर्ते पिछले पांच वर्षों के अंदर कोई सक्रिय रोग न हो तथा सीना नैदानिक (Clinically) दृष्टि से तथा रेडियोलॉजी के हिसाब से दोषरहित हो।

(ख) थायराइड ग्लैंड के रोग।

12. त्वचा तथा यौन संक्रमण (एस टी आई)

(क) त्वचा रोग जब तक अस्थायी या मामूली न हो।

(ख) अपने आकार या अपनी सीमा के कारण ऐसे दाग जो बड़ी विकृति उत्पन्न कर रहे हों या भविष्य में उत्पन्न कर देंगे।

(ग) हाइपरहाइड्रोसिस-पैल्मर, प्लांटर या एक्सीलेरी।

(घ) जन्मजात, सक्रिय या गुप्त, यौन-संचारित रोग (Sexually transmitted disease)।

नोट:- ऊसन्धि (गोइन) या पुरुष जननांग/स्त्री जननांग के ऊपर अतीत के यौन संचारित संक्रमण के कारण पुराने घाव का निशान होने की स्थिति में, गुप्त यौन संचारित रोग को वर्जित करने के लिए यौन संचारित संक्रमण (जिसमें एच आई वी भी शामिल है) हेतु रक्त की जांच की जाएगी।

13. श्वसन तंत्र

(क) चिरकालिक खांसी या श्वास दमा का इतिहास।

(ख) फेफड़े के क्षयरोग का प्रमाण।

(ग) छाती की रेडियोलॉजिकल जांच किए जाने पर ब्रांकाई, फेफड़े या फुफफुस आवरणों जैसी बीमारियों के प्रमाण पाए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी अयोग्य होंगे।

नोट:- छाती की एक्स-रे जांच की जाएगी।

14. **हृदय तंत्र हृदय-वाहिका तंत्र (हार्ट-वस्कुलर सिस्टम)**

(क) हृदय या धमनियों का कार्यात्मक या जैविक रोग, वक्ष परीक्षण (धड़कन) में सरसराहट या क्लिक की उपस्थिति।

(ख) क्षिप्रहृदयता (विश्रामावस्था में स्पंदन दर हमेशा 96 प्रति मिनट से अधिक रहना), मंदस्पंदन (विश्रामावस्था में स्पंदन दर हमेशा 40 प्रति मिनट से कम रहना), कोई असामान्य परिधीय स्पंदन (नाड़ी)।

(ग) रक्तचाप 140 मि मी पारा सिस्टोलिक या 90 मि मी पारा डायस्टोलिक से अधिक होना।

15. **उदर**

(क) गैस्ट्रोइंटेसस्टिनल ट्रैक्ट संबंधी किसी रोग का प्रमाण, यकृत, पित्ताशय या तिल्ली में वृद्धि, उदर परिस्पर्शन कोमलता, पेप्टिक अल्सर का इतिहास/प्रमाण या बड़ी उदर शल्य चिकित्सा का पूर्व विवरण। सभी अफसर एंटी अभ्यर्थी आंतरिक अंगों में किसी प्रकार की असामान्यता का पता लगाने के लिए उदर तथा श्रेणी की अल्ट्रा साउंड जांच करवाएंगे।

(ख) वंक्षणीय या कोई अन्य हर्निया या वैसी प्रवृत्ति।

नोट:- ऐसा अभ्यर्थी, जिसकी हर्निया/हाइड्रोसिल, वैरिकाँज-वेंस, वृषण-शिरापस्फीति (वेरिकोसिल) का ऑपरेशन हुआ है उन्हें निम्न शर्तों पर योग्य (फिट) घोषित किया जा सकता है:-

(i) हर्निया की शल्य चिकित्सा को छः महीने तथा अन्य लघु शल्य चिकित्सा को कराए छः सप्ताह बीत चुके हों। इस कार्य का लिखित प्रमाण अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।

(ii) उदर की मासंपेशियों की दशा सामान्य हो।

(iii) हर्निया या शल्य चिकित्सा (ऑपरेशन) से संबंधित किसी अन्य जटिलता की पुनरावृत्ति न रही हो।

(ग) फिसटूला इन एनो, एनल फिशर और बवासीर का जब तक उचित उपचार न किया गया हो।

16. **मूत्र-तंत्र (जेनिटो-न्यूरिनरी सिस्टम)**

(क) जननांगों संबंधी रोग का कोई प्रमाण।

(ख) द्विपक्षीय अनवतीर्ण वृषण (बाइलाटरल अनडिसेंडड टेस्टिस), एकपक्षीय अनवतीर्ण (यूनीलाटरल अनडिसेंडड टेस्टिस), वृषण का वंक्षण नाल (इन्ग्वनाल केनाल) में या बाह्य उदर (अबडोमिनल) रिंग में होना, जब तक कि ऑपरेशन से सही किया जाए।

नोट:- एक वृषण (टेस्टिस) की अनुपस्थिति तब तक अस्वीकृति का कारण नहीं है जब तक कि किसी रोग के कारण वृषण (टेस्टिस) को निकाल दिया गया हो या इसकी अनुपस्थिति अभ्यर्थी के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करती हो।

(ग) किडनी या मूत्रमार्ग (यूरेथ्रा) का रोग या इसकी बनावट में विकार।

(घ) मूत्र या रात्रि की शय्या मूत्रण असंयतता।

(च) मूत्र की जांच करने पर कोई अन्य असामान्यता जिसमें पेशाब में अन्नसार जाना या पेशाब में शर्करा शामिल है।

17. **केन्द्रीय स्नायुतंत्र**

(क) केन्द्रीय स्नायुतंत्र का जैविक रोग।

(ख) स्पंदन

(ग) दौरा (मिरगी) तथा सिर दर्द/माइग्रेन का बार-बार दौरा पड़ने वाले अभ्यर्थी स्वीकार्य नहीं होंगे।

18. **मानसिक विकार** अभ्यर्थी अथवा उसके परिवार में मानसिक रोग या तंत्रिकात्मक अस्थिरता (नरवस इनस्टेबिलिटी) का इतिहास या प्रमाण।

संलग्नक 'ग'

भारतीय वायु सेना एन डी ए (उड़ान और ग्राउंड इयूटी शाखाएं) में भर्ती के लिए शारीरिक मानदंड संबंधी

दिशा-निर्देश

सामान्य अनुदेश

1. इस खण्ड में एन डी ए द्वारा भारतीय वायु सेना की उड़ान और ग्राउंड इयूटी शाखाओं में कमीषन प्रदान करने के लिए अभ्यर्थी का आकलन किया जाता है।

2. चिकित्सीय रूप से स्वस्थता की मूल आवश्यकता सभी शाखाओं के लिए अनिवार्यतः एकसमान होगी, केवल उन एयरक्रू को छोड़कर जिनके लिए पैनी नज़र के पैरामीटर, एन्थ्रोपोमेट्री और कुछ अन्य शारीरिक मानक अधिक सख्त होते हैं किसी अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से तब तक पूरी तरह फिट नहीं

माना जाएगा जब तक कि पूरी तरह जांच करने के बाद यह पाया जाए कि वह विश्व के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार के मौसम में लंबी अवधि तक कठोर शारीरिक और मानसिक तनाव सहन करने की शारीरिक और मानसिक क्षमता रखता हो।

3. निर्दिष्ट चिकित्सा मानक प्रारंभिक भर्ती से संबंधित चिकित्सा मानक हैं। कमीशन प्रदान करने से पहले प्रशिक्षण के दौरान मेडिकल फिटनेस के बने रहने की जांच एन डी ए में होने वाली आवधिक चिकित्सा जांच द्वारा की जाती है। परंतु, यदि, प्रशिक्षण के दौरान किसी रोग अथवा अशक्तता का पता लगता है, जिसका असर फ्लाइट कैडेटों के बाद की शारीरिक फिटनेस और चिकित्सा श्रेणी पर पड़ेगा, तो इस प्रकार के मामलों की सूचना तुरंत डी जी एम एस (वायु)-चिकि.-7 के कार्यालय को देते हुए आई ए एम (एयरक्रू के लिए)/एम एच के विशेषज्ञ (गैर-एयरक्रू के लिए) को भेजी जाएगी। यदि आई ए एम में उस रोग अथवा अशक्तता के स्थायी प्रकृति के होने का पता चलता है तो कैडेट के सर्विस/षाखा/स्ट्रीम में बने रहने के संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। यदि डी जी एम एस (वायु) की विशिष्ट छूट का अनुरोध किया जाता है तो आई ए पी 4303 चौथे संस्करण (संशोधित) के संबंधित पैरा के अनुसार मामले का पूरा औचित्य भेजा जाएगा।

सामान्य चिकित्सा और सर्जिकल आकलन

4. प्रत्येक अभ्यर्थी को वायु सेना के लिए फिट होने के लिए आगे के पैराग्राफों में निर्धारित किए गए न्यूनतम मानकों के अनुरूप होना चाहिए। सामान्य कद-काठी अच्छी प्रकार से विकसित और आनुपातिक होनी चाहिए।

5. कार्यक्षमता की किसी भी प्रकार की सीमा के लिए फ्रैक्चर/पुरानी चोटों के बाद के प्रभावों का आकलन किया जाएगा। यदि उनका कार्य पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा हो तो अभ्यर्थी को फिट कहा जा सकता है। रीढ़ की हड्डी के पुराने फ्रैक्चर से संबंधित मामलों को अनफिट माना जाएगा। रीढ़ की हड्डी में बाद में हुई विकृति अथवा कषेरुका (वरटेब्रा) के दबने को अयोग्यता माना जाएगा। यदि बड़ी नसों के अगले हिस्से में जखम हो, जिनसे कार्यक्षमता कम हो रही है अथवा ऐसे घाव हों जिनके कारण दर्द या ऐंठन हो, तो यह उड़ान ड्यूटी में नियुक्ति के लिए अयोग्यता को निर्दिष्ट करता है। बड़े-बड़े या कई केलोइड्स होने के कारण भी अयोग्य माना जाएगा।

6. मामूली निषान अथवा जन्म के निषान, जैसे तपेदिक ग्रंथियों को हटाने से बने निषान, उड़ान ड्यूटी में नियुक्ति के लिए अयोग्यता के कारण नहीं माने जाएंगे। यदि हाथ-पैरों या धड़ पर घाव के कई निषान हों जिनसे कार्य करने में बाधा हो अथवा वे भद्दे लग रहे हों तो उन्हें अयोग्यता का कारण माना जाएगा।

7. यदि अभ्यर्थी की सरवाइकल रिब के कारण उसके न्यूरोवसक्यूलर सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हो तो उसे स्वीकार किया जाएगा। इसे चिकित्सा बोर्ड की कार्यवाही में दर्ज किया जाएगा।
8. यदि चेहरा और सिर टेढ़ा-मेढ़ा हो जिससे ऑक्सीजन मास्क और हेलमेट की उपयुक्त फिटिंग में रुकावट हो तो उसे उड़ान ड्यूटी के लिए अयोग्यता का कारण माना जाएगा।
9. यदि किसी अभ्यर्थी का साधारण अपेन्डिसेक्टॉमि के अतिरिक्त पेट का ऑपरेशन हुआ है जिसमें बड़ी सर्जरी की गई है अथवा उसमें किसी अंग को आंशिक या पूरी तरह से शरीर से निकाल दिया गया है, तो वह उड़ान ड्यूटी के लिए अयोग्य होगा। यदि खोपड़ी का ऑपरेशन (क्रैनियल वॉल्ट) (जैसे चीड़-फाड़) किया गया हो अथवा छाती का बड़ा ऑपरेशन किया गया हो तो अभ्यर्थी उड़ान के लिए अयोग्य माना जाएगा।
10. छाती का आकार पूरी तरह आनुपातिक और भली-भांति विकसित होना चाहिए जो कम से कम 5 सेमी तक फैल सकती हो।
11. कद, बैठते समय लंबाई, टांग की लंबाई और जांघ की लंबाई
 - (क) ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में भर्ती के लिए न्यूनतम कद 157.5 सेमी होना चाहिए। गोरखा और भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों तथा उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों के व्यक्तियों का न्यूनतम स्वीकृत कद 5 सेमी कम (152.5 सेमी) होगा। यदि अभ्यर्थी लक्षद्वीप से हो तो न्यूनतम स्वीकृत कद 2 सेमी (155.5 सेमी) तक कम किया जा सकता है।
 - (ख) उड़ान शाखा के लिए न्यूनतम कद 162.5 सेमी होगा। इन एयरक्रू के लिए टांग की लंबाई, जांघ की लंबाई और बैठते समय लंबाई का स्वीकृत माप इस प्रकार होगा :-
 - (i) बैठते समय लंबाई : न्यूनतम-81.5 सेमी अधिकतम-96.0 सेमी
 - (ii) टांग की लंबाई : न्यूनतम-99.0 सेमी अधिकतम-120.0 सेमी
 - (iii) जांघ की लंबाई : अधिकतम-64.0 सेमी
12. प्रारूप नियमावली के परिशिष्ट क में दिया गया निर्धारित वजन चार्ट लागू होगा। शरीर के मानक वजन से अधिकतम 10% की छूट दी जा सकती है। आधा किग्रा. से कम के अंतर को नोट नहीं किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी का वजन मानक से 10% से ज्यादा कम है तो उसका पिछला पूरा विवरण पूछा जाएगा और सावधानीपूर्वक जांच कर यह पता लगाया जाएगा कि इस कम वजन का कारण तपेदिक, हाइपरथायरोइड, डायबिटीज़ इत्यादि तो नहीं है। यदि किसी कारण का पता नहीं

लगता तो अभ्यर्थी को फिट घोशित कर दिया जाएगा। यदि किसी कारण का पता लगता है तो अभ्यर्थी की फिटनेस उसके अनुसार निर्धारित की जाएगी।

13. हृदय वाहिका तंत्र (कार्डियोवस्कुलर)

- (क) हृदय वाहिका तंत्र (कार्डियोवस्कुलर) का आकलन करते समय छाती में दर्द, सांस फूलने, घबराहट, बेहोशी के दौरों, चक्कर आने, गठिये के बुखार, अपने-आप एंठन होने (कोरिया), बार-बार गले में खराब होने और टॉन्सिल की भली-भांति जांच की जाएगी।
- (ख) सामान्य पल्स रेट 60-100 बी पी एम तक घटती बढ़ती रहती है। भावनात्मक कारणों के बाद दीर्घकालिक साइन टेचीकाडिया से अधिक (100 बी पी एम से अधिक) और बुखार को कारणों के रूप में छोड़ दिया जाता है, इसके साथ-साथ कार्मिक कारणों को दीर्घकालिक साइनस (60 बी पी एम से अधिक) को विशेषज्ञ की राय के लिए भेज दिया जाएगा। साइनस अरिदेमियां और वेगोटोनिया को भी निकाल दिया जाएगा।
- (ग) चिकित्सीय परीक्षा के तनाव के कारण अभ्यर्थियों में व्हाइट कोट हाईपरटेंशन उत्पन्न होने की प्रवृत्ति रहती है जो रक्तचाप में अल्पकालिक वृद्धि होती है। मूल परिस्थितियों के अंतर्गत बार-बार रिकॉर्ड करते हुए व्हाइट पोट प्रभाव को दूर करने का प्रयास किया जाए। जब सूचित किया जाए, रक्तचाप की संचारी रिकॉर्डिंग की जाए या अंतिम स्वस्थता प्रमाणित करने से पूर्व अभ्यर्थी के प्रेशन के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाए। लगातार एच जी के 140/90 से अधिक या इसके बराबर के रक्तचाप वाले व्यक्ति को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (घ) कायिक हृदवाहिका रोग का प्रमाण अस्वीकार किए जाने का कारण होगा। डाइस्टोलिक मर्मर निरपवाद रूप से कायिक होते हैं। निश्कासन सिस्टोलिक प्रकृति के अल्पसिस्टोलिक मर्मर हैं जो रोमांच से संबंधित नहीं होते हैं और खड़े रहने पर घटते हैं विशेषतः जब वे सामान्य ई सी जी और छाती के रेडियोग्राफ से संबंधित होते हैं वे प्रायः काम करते हैं। तथापि एक इकोकार्डियोग्राम कायिक हृदय रोग को दूर करने के लिए किया जाएगा। संदेह की किसी भी स्थिति में मामले को हृदय रोग विशेषज्ञ की राय लेने के लिए भेजा जाएगा।
- (च) इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। चिकित्सीय विशेषज्ञ द्वारा उपयुक्त रूप से रिकॉर्ड की गई ई सी जी (रेस्टिंग-14 लीड) का मूल्यांकन किया जाएगा। तरंग पेटर्न, विस्तार (आयाम), अंतराल और समय के संबंधों पर नोट लिए जाएंगे। ढांचागत हृदय रोग, के न होने पर अपूर्ण आर बी बी बी को छोड़कर जिसे अवष्य हटाया जाए प्रवेश के समय कोई भी

असामान्यता स्वीकार्य नहीं है। ऐसे मामलों में वरिष्ठ सलाहकार (चिकित्सा) या हृदय रोग विशेषज्ञ की राय ली जाएगी।

14. **ष्वसन तंत्र**

- (क) चेस्ट रेडियोग्राम पर किसी प्रमाण्य अपारदर्शिता के रूप में पल्मोनरी पैरेनकीमा या प्लेयूरा में कोई अवशिष्ट स्कारिंग का अस्वीकार किए जाने का आधार होगा। पल्मोनरी ट्यूबरकलोसिस के पूर्व में इलाज किए गए मामले जिनमें कोई महत्वपूर्ण अवशिष्ट अपसामान्यता नहीं होती उसे तब स्वीकार किया जा सकता है जब निदान और इलाज दो वर्ष से भी अधिक पहले स्वीकार किया जा चुका हो। इन मामलों में चिकित्सक के निर्णय के अनुसार यू एस जी, ई एस आर, पी सी आर, इम्यूनोलॉजिकल जांच और मैन्टॉक्स टेस्ट के साथ चेस्ट का एक सी टी स्कैन और फाइबर ऑप्टिक ब्रॉकोस्कोपी ब्रॉन्कियल लेवेज सहित की जाएगी। यदि सभी जांच सामान्य आती है तो अभ्यर्थी को फिट माना जा सकता है। हालांकि इन मामलों में फिटनेस का निर्णय केवल अपील/पुनर्विचार चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
- (ख) एफ्यूजन सहित प्लेयूरीजी महत्वपूर्ण अपशिष्ट प्लेयूरल स्थूलता का कोई भी साक्ष्य अस्वीकार किए जाने का कारण होगा।
- (ग) खांसी/सांस लेने में घरघराहट/ब्रॉकाइटिस के बार-बार हुए रोगाक्रमण का इतिहास ष्वसन पथ के दीर्घकालीन ब्रॉकाइटिस या अन्य दीर्घकालिक पैथॉलॉजी का परिणाम हो सकता है। ऐसे मामलों को अनफिट मूल्यांकित किया जाएगा। यदि उपलब्ध हो तो पल्मोनरी फंक्शन जांच की जाएगी।
- (घ) ब्रॉकियल अस्थमा/सांस लेने में घरघराहट/एलर्जिक राइनिटिस के बार-बार हुए रोगाक्रमणों का इतिहास अस्वीकार कर दिए जाने का कारण होगा।
- (च) चेस्ट का रेडियोग्राफ करना। फेफड़ों, मीडियास्टिनम और प्लूरा संबंधी रोगों के सुस्पष्ट रेडियोलॉजिकल साक्ष्य वायुसेना में नियोजन के लिए अनुपयुक्तता दर्शाते हैं। यदि अपेक्षित हो तो छाती के चिकित्सक के सुझाव के अंतर्गत उपर्युक्त पैरा 13 (क) में दिए अनुसार जांच की जाएगी।

15. **जठरांत्र तंत्र**

- (क) मुंह, जीभ, मसूड़ों या गले के फोड़े या संक्रमण के किसी भी पिछले इतिहास के साथ किसी मुख्य दंत्य परिवर्तन को नोट किया जाएगा।

(ख) दंत्य संबंधी निम्नलिखित मानकों का अनुपालन किया जाएगा :-

(i) अभ्यर्थी के 14 दंत्य बिंदु अवश्य हों और ऊपरी जबड़े में मौजूद निम्नलिखित दांतों के साथ निचले जबड़े से संबंधित सामने के दांत अच्छी कार्य स्थिति में हों और स्वस्थ हों या मरम्मत योग्य हों :-

(कक) आगे के छह में से कोई चार

(कख) पीछे के दस में से कोई छह

(कग) ये दोनों ओर से संतुलित होने चाहिए। एक ओर से चबाने की अनुमति नहीं है।

(कघ) किसी निकालने वाली या तारों वाली कृत्रिम अंग (प्रोस्थेसिस) की अनुमति नहीं है।

(ii) जिस अभ्यर्थी के दंत्य मानक निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(iii) पायरिया, घोर अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस के अग्रवर्ती चरण में व्यापक जिंदा घाव के द्वारा प्रभावित दंत्य आर्च वाले अभ्यर्थी या जबड़ों की कुल अपसामान्यता या असंख्य दंतक्षयों या सेप्टिक दांतों वाले अभ्यर्थी को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ग) गैस्ट्रो डुओडेनल अक्षमता। वे अभ्यर्थी जो सिद्ध पेट्टिक अल्सरेषन सहित पुराने अपचन के सांकेतिक लक्षणों से गुजर रहे हैं या पिछले दो वर्षों के दौरान इन लक्षणों से गुजर चुके हैं, उनको इन लक्षणों के दोबारा उभरने के अत्यंत उच्च जोखिम के कारण और अक्षमता की संभावना को ध्यान में रखते हुए स्वीकार नहीं किया जाएगा। पहले हुई किसी षल्य क्रिया जिसमें किसी अंग (अवषेशांगों/पित्ताषय के अतिरिक्त) की आंशिक या कुल क्षति लोप होने से अस्वीकार कर दिए जाने का मामला बनेगा।

(घ) यदि यह पता लगता है कि अभ्यर्थी को पहले पीलिया हो चुका है या उसका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आकलन के लिए पूरी जांच की जाएगी। वायरल हेपेटाइटिस या किसी अन्य प्रकार के पीलिये से पीड़ित अभ्यर्थियों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को कम से कम छह

महीने की न्यूनतम अवधि पूरा होने के बाद इस बर्त पर फिट घोशित किया जाएगा कि वे चिकित्सीय दृष्टि से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं एच बी वी एवं एच बी सी दोनों निगेटिव हों एवं लिवर सामान्य सीमा में कार्य कर रहा है।

(च) यदि अभ्यर्थी का प्लीहा का ऑपरेशन (स्प्लेनेक्टॉमी) हुआ तो वह अनफिट माना जाएगा, चाहे ऑपरेशन का कारण कुछ भी हो। यदि प्लीहा किसी भी डिग्री तक बढ़ गया हो (स्प्लेनोमिगलि), तो अभ्यर्थी को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(छ) यदि किसी अभ्यर्थी की सफल सर्जरी के बाद हर्निया पूरी तरह से ठीक हो चुका है और उसका केवल निषान है तो सर्जरी के छह महीने बाद फिट माना जाएगा, बर्त कि उसे हर्निया फिर से होने की कोई संभावना न हो और पेट की दीवार की मांसपेशियां पुष्ट हों।

(ज) **पेट की सर्जरी**

(i) यदि अभ्यर्थी के पेट की सर्जरी के पूरी तरह ठीक होने का निषान हो तो उसे सफल सर्जरी के एक वर्ष बाद फिट माना जाएगा बर्त कि मूल बीमारी के फिर से होने की कोई संभावना न हो और पेट की दीवार की मांसपेशियां पुष्ट हों।

(ii) यदि अभ्यर्थी की लैपरोस्कोप से पित्ताशय की सर्जरी (कॉलेसिस्टेक्टॉमी) हुई है तो उसे उस सर्जरी के 08 हफ्ते बाद फिट माना जाएगा, बर्त कि उसमें रोग का कोई चिह्न और लक्षण न बचा हो और उसका एल एफ टी और पेट का अल्ट्रासाउंड सामान्य आया हो और पूरा गॉल ब्लैडर न हो तथा इंद्रा-एब्डॉमिनल कलैक्सन न हो। पेट के अन्य लैपरोस्कोपिक प्रोसीजर को भी सर्जरी के 08 हफ्ते बाद फिट माना जाएगा बर्त कि व्यक्ति में रोग का कोई लक्षण न हो, वह पूरी तरह ठीक हो गया हो और रोग से संबंधित कोई भी परेषानी न हो अथवा रोग के फिर से होने का कोई लक्षण न हो।

(झ) अल्ट्रासोनोग्राफिक (यू एस जी) जांच से फैटी लिवर, छोटे सिस्ट, हीमेंजियोमा, सेप्टेट गॉल ब्लैडर आदि के पता लगने पर ऐसे मामलों का निपटान चिकित्सीय दृष्टि और कार्यक्षमता के आधार पर किया जाएगा। व्यवस्थित तरीके से की गई यू एस जी जांच के दौरान निम्नलिखित की ध्यानपूर्वक जांच की जाएगी। आगामी पैराग्राफों में सूचीबद्ध जांच परिणाम एवं रिपोर्ट किए गए अन्य इंसिडेंटल यू एस जी जांच परिणामों

का चिकित्सीय दृष्टि एवं कार्यक्षमता के आधार पर संबंधित विशेषज्ञ द्वारा आकलन किया जाएगा।

(ट) लिवर

(i) फिट

(कक) लिवर का सामान्य इकोएनॉटमी, सी बी डी, आई एच बी आर, पोर्टल एवं हैपेटिक वेन और मिड-क्लैविक्युलर लाइन में लिवर की चौड़ाई 15 सेमी. से ज्यादा न हो।

(कख) 2.5 सेमी व्यास की अकेली साधारण रसौली ; (थिन वाल, अनेकोइक)

(ii) अनफिट

(कक) मिड.क्लैविकुलर लाइन में 15 सेमी से अधिक हेप्टोमीगेली।

(कख) फैटी लीवर।

(कग) 2.5 से बड़ी अकेली रसौली।

(कघ) थिक वाल ए सेप्टेसन तथा डेब्रिस के साथ किसी भी आकार की अकेली रसौली।

(कच) 03 मिण्मीण् से बड़ी किसी भी आकार की कैल्सिफिकेसन।

(कछ) तीन कैल्सिफिकेसन से अधिक चाहे प्रत्येक आकार में 03 मिमी से कम क्यों न हो।

(कज) किसी भी आकार की कई हेप्टिक रसौली।

(कझ) हीमैंगिओमा >02 सेमी।

(कट) पोर्टल वेन थ्रॉबोसिस।

(कठ) पोर्टल हायपर्टेसन; 13 मिमी से बड़ा पी वीए कोलेटेरल ए जलोदरदध के साक्ष्य।

(iii) अपील मेडिकल बोर्ड्स समीक्षा मेडिकल बोर्ड के दौरान अनफिट अभ्यर्थियों की विशेष जांच तथा विस्तृत नैदानिक परीक्षण करायी जाएगी। विशेष स्थितियों के लिए फिटनेस का निर्णय निम्नानुसार किया जाएगा :-

(कक) सामान्य एल एफ टी, कोई मेटाबोलिक असमान्यता न हो तथा निगेटिव HBsAg तथा Anti - HCV सीरोलोजी वाले पतले व्यक्ति के फैटी लीवर को फिट माना जा सकता है।

(कख) 2.5 - 05 सेमी तक वाली अकेल साधाराण रसौली की पुनः एल एफ टीए सी ई सी टीए उदर तथा हाइड्राटिड सीरोलोजी से जांच की जाएगी। यदि एल एफ टी सामान्य ए हाइड्रेटिड सीरोलोजी निगेटिव तथा सी ई सी टी से यू एस जी फाइंडिंग की पुष्टि होती है तो उसे फिट माना जाएगा।

(कग) कोई भी लीवर कैल्सिफिकेशन चाहे उसका आकार तथा संख्या कुछ भी हो उसे फिट माना जाएगा बशर्ते कि जांच के बाद इस बात का पता चलता है कि संगत नैदानिक जांच तथा परीक्षण (एल एफ टी, हाइड्राटिड सीरोलोजी) के आधार पर इनमें से कोई भी सक्रिय बीमारी जैसे टीबीए सार्कोइडोसिस ए हाइड्रेटिड बीमारी ए मेटास्टैटिक ट्यूमर अथवा लीवर अबसेस के कोई साक्ष्य न हों।

(ठ) गाल ब्लैडर

(I) फिट

(कक) गाल ब्लैडर की सामान्य इक्राटोमी।

(कख) लेपोरोस्पिक कोलेसिस्टेक्टोमी के बाद। ऐसे अभ्यर्थी जिनका लैप. कोलेसिस्टेक्टोमी हुआ है उन्हें फिट माना जा सकता है यदि सर्जरी होने के 8 सप्ताह बीत गए हों तथा बिना इंद्रा.अब्डोमिनल कलेक्सन के गाल ब्लैडर को पूरी तरह से हटा दिया गया है। बिना चीरा हर्निया के घाव अच्छी तरह से ठीक हो गए हों।

(कग) ओपेन कोलेसिस्टेक्टोमी। जिन अभ्यर्थी का ओपेन कोलेसिस्टेक्टोमी हुआ है को फिट माना जा सकता है यदि सर्जरी होने के बाद एक वर्ष पूरा बीत गया हो तथा बिना चीरा हर्निया के दाग ठीक हो गया हो तथा बिना इंद्रा.अब्डोमिनल कलेक्सन के गाल ब्लैडर को पूरी तरह से हटा दिया गया हो।

(ii) अनफिट

(कक) कोलेलीथियासिस अथवा बायलियरी स्लज।

(कख) कोलेडेकोलीथियसिस।

(कग) किसी भी आकार या संख्या की पॉलिप।

- (कघ) कोलेडोकल सिस्ट ।
- (कच) गॉल ब्लैडर मास ।
- (कछ) 5 मिमी से अधिक मोटी गॉल ब्लैडर वाल।
- (कज) सेप्टेट गॉल ब्लैडर ।
- (कझ) दोबारा यू एस जी करने पर संकुचित गॉल ब्लैडर का बना रहना।
- (कट) अपूर्ण कोलेसिस्टेक्टोमी ।
- (ड) अनुलंब अक्ष अथवा यदि(नैदानिक रूप से स्पृश्य हो) में 13 सेमी से अधिक बड़ा प्लीहाए जगह घेरने वाला घाव तथा प्लीहाभाव के होने पर अनफिट माना जाएगा ।
- (ढ) अग्न्याशय की किसी भी ढांचागत असामान्यताए जगह घेरने वाले घावए बडे घावए दीर्घकालिक अग्न्याशय जलन के लक्षणों ;कैल्सीभवनए वातमार्गिय असामान्यताए क्षीणताद्ध को अनफिट माना जाएगा।
- (त) उदरावरण गुहिका। जलोदरए 1 सेमी से बडे एकल आंत्रयोजनी अथवा पश्चपर्युदर्य लसीका पर्वी के होने को अनफिट माना जाएगा।
- (थ) जननमूत्र तंत्र
- (i) एक वृक्क ;किडनी में 2.5 सेंमी से छोटे आकार के एक साधारण अनवरोधी वृक्क रसौली को फिट माना जाएगा।
- (ii) वृक्कों की निम्नलिखित जन्मजात ढांचागत असामान्यताओं को अनफिट घोषित किया जाएगा।
- (कक) एकपार्श्विक वृक्कीय विकास
- (कख) 08 सेंमी से छोटे आकार के एकपार्श्विक अथवा द्विपार्श्विक अविकसित सकुचित वृक्क।
- (कग) अपरिक्रमण
- (कघ) नालाकार वृक्क
- (कच) वर्त्मपातित वृक्क

(कछ) तिर्यक संयुक्तध्अस्थानी वृक्क

- (iii) एक वृक्क में 2.5 सेंमी से बड़े आकार की साधारण एकल वृक्कीय रसौली।
- (iv) दोनों वृक्क में किसी भी आकार की एकल रसौली अथवा एक वृक्क में अनेक रसौली।
- (v) वृक्कीयध्मूत्र वाहिनी संबंधीध्मूत्राशय संबंधी संपुंज
- (vi) जल वृक्कताए जलगवीनी वृक्कता
- (vii) पथरी.वृक्कीयध्मूत्रवाहिनी संबंधीध्मूत्राशय संबंधी।
- (viii) अपील मेडिकल बोर्डध्पुनर्विचार मेडिकल बोर्ड के दौरान अनफिट उम्मीदवारों की विशिष्ट जांच और विस्तृत नैदानिक परीक्षण कराया जाएगा। विशिष्ट अवस्थाओं के लिए नीचे दिए गए रूप में फिटनेस का निर्णय किया जाएगा।

(कक) ऐसे उम्मीदवार जिनके वृक्क के अंकोमा गठन की वियुक्त अकेली असामान्यता हो को, फिट माना जा सकता है यदि वृक्कीय प्रकार्यए डीपीटीए स्कैन और सी ई सी टी वृक्क सामान्य हो।

- (थ) बड़ा उदरीय संवहन न्यास (महाधमनीध् आई वी सी)। किसी भी ढांचागत असामान्यता विकारस्थानिक विस्फार, ऐन्यूरिज्म और कैल्सीभवन को अनफिट माना जाएगा।
- (द) वृष्णकोश और वृषण
 - (i) एकपार्श्विक अन्तरुदरीय वृष्ण होने को फिट घोषित किया जाएगा बशर्ते दूसरा वृष्ण पूरी तरह नीचे आया हुआ हो।
 - (ii) द्विपार्श्विक नीचे न आए वृष्णों अथवा द्विपार्श्विक अपुष्ट वृष्ण होने को अनफिट घोषित किया जाएगा।
 - (iii) एकपार्श्विक नीचे न आया वृष्ण यदि वंक्षण नलिका मं पड़ता होए बाह्य वलय पर हो अथवा उदरीय भित्ति में हो तो ऐसे में अनफिट घोषित किया जाएगा।
 - (iv) स्फीतवृष्ण होना अनफिट होगा।

16. मूत्र प्रजनन तंत्र

(क) मूत्रण में किसी भी बदलाव जैसे कि मूत्रकृच्छ्र अथवा बारंबारता को नोट किया जाएगा। मूत्राशयशोथय गोणिकावृक्कशोथ और रक्तमेह के पुनरावर्ती रोगाक्रमण को अवश्य छोड़ दिया जाए। वृक्कीय वृहदान्त्र के किसी भी इतिहासए घोर वृक्कशोथ के रोगाक्रमणए एक वृक्क के लोफ ;क्षयद्धए अश्म के पास होने अथवा मूत्रमार्गीय आस्राव सहित वृक्कीय पथ पर किसी भी शल्य क्रिया के बारे में विस्तार से पूछताछ की जाएगी। यदि असंयत मूत्रता का वर्तमान में अथवा विगत में कोई भी इतिहास हो पूरा ब्योरा अवश्य प्राप्त किया जाए।

(ख) मूत्र परीक्षण

(i) प्रोटीनमेह यदि ऊर्ध्वस्थितिज सिद्ध न होता हो तो अस्वीकृति का एक कारण होगा।

(ii) जब शर्करामेह का पता चले तो एक रक्त शर्करा परीक्षण ;भूखा रहकर और 75 ग्रा ग्लूकोज़ लेने के बादद्ध और ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन की जांच की जाएगी और नतीजों के अनुसार फिटनेस का निर्णय किया जाएगा। वृक्कीय शर्करामेह अस्वाकार करने का एक कारण एक नहीं है।

(iii) जब उम्मीदवार का मूत्रीय संक्रमण का इतिहास अथवा साक्ष्य हो तो ऐसे में वृक्क की पूरी जांच की जाएगी। मूत्रीय संक्रमण लगातार बने रहे के साक्ष्य से अस्वीकार करने का मामला बनेगा।

(iv) रक्तमेह के इतिहास वाले उम्मीदवारों को संपूर्ण वृक्कीय जांच से गुजरना होगा।

(ग) स्तवकवृक्क शोथ

(i) घोर स्थिति मेंएविशेषकर शैशव अवस्था में स्वास्थ्यलाभ दर उच्च होती है। कोई अभ्यर्थी जिसने पूर्ण रूप से स्वास्थ्यलाभ ले लिया है तथा जिसके प्रोटीनमेह नहीं है उसे पूर्ण स्वास्थ्यलाभ से कम से कम एक वर्ष उपरांत फिट घोषित किया जाए।

(ii) चिरकालिक स्तवकवृक्क शोथ वाले अभ्यर्थी को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(घ) वृक्कीय बृहदांत्र तथा वृक्कीय पथरी। पूर्ण वृक्कीय तथा चयापचयी मूल्यांकन अपेक्षित है। वृक्कीय पथरी वाले अभ्यर्थियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

- (च) जिन अभ्यर्थियों में जन्म से एक ही वृक्क है अथवा जिनका एकपार्श्विक वृक्कछेदन हुआ है उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। नालाकार वृक्क होने पर भी अस्वीकार कर दिया जाएगा। अकेला कामकर रहा वृक्कए रोग ग्रस्त काम न कर रहे प्रतिपक्षी वृक्क के होने पर भी अस्वीकार कर दिया जाएगा। तिरछी अस्थानताए ऊपर न आया हुआए अथवा गलत जगह पर वृक्कए एकपार्श्विक जन्मजात अल्पविकास अस्वीकार किए जाने के कारण होंगे।
- (छ) नीचे न आए हुए दोनों वृषणध् अपुष्ट वृषण अस्वीकार किए जाने का कारण है। नीचे न आया हुआ एक वृषण, जो पूर्ण रूप से पेट में है, स्वीकार्य है। यदि यह बाहरी घेरे के वंक्षण नाल अथवा उदरीय भित्ति में है तो ऐसे मामलों को या तो वृष्णोच्छेदन अथवा वृषणस्थिरिकरण शल्य.क्रिया के उपरांत स्वीकार किया जाए। फिटनेस से जुड़े सभी संदेहास्पद मामलों में शल्यक राय अवश्य प्राप्त की जाए।
- (ज) जलवृषण अथवा स्फीतिवृषण का विधिवत इलाज कराने के बाद ही फिटनेस पर विचार किया जाए। थोड़ा स्फीतिवृषण होने की स्थिति में अभ्यर्थी को अस्वीकार न किया जाए।
- (झ) यौन संक्रमित रोग तथा ह्यूमन इम्यूनों डिफिशिएंसी वाइरस ;एच आई वी वीध सेरोपोजिटिव एच आई वी स्थिति तथाध् या यौन संक्रमित रोग का साक्ष्यहोने से अस्वीकार करने का मामला बनेगा।

17. अंतःस्रावी तंत्र

- (क) साधारणतया अंतःस्रावी विकारों की तरफ सांकेतिक इतिहास अस्वीकार्यता के लिए एक कारण होगा।
- (ख) थाइराइड ग्रंथि सूजने/फूलने के सभी मामले जिसमें असामान्य आयोडीन उद्गहण तथा असामान्य थाइराइड हार्मोन स्तर शामिल है को अस्वीकार कर दिया जाएगा। कम से कम थाइराइड सूजने के साथ साधारण गलकंड के मामले जो चिकित्सीय रूप से प्राकृत अवटु है तथा सामान्य आयोडीन उद्गहण एवं सामान्य थाइराइड क्रिया के साथ स्वीकार किए जा सकते हैं।
- (ग) ऐसे अभ्यर्थी जिनमें मधुमेह मेलिटस पाया जाएगा, अस्वीकार कर दिए जाएंगे। वे अभ्यर्थी जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि मधुमेह मेलिटस से संबंधित है, का रक्त शर्करा

(भूखे रहने पर तथा ग्लूकोज ग्रहण करने के बाद तथा ग्लाइकोसिलेटेड एच बी/ एच बी
ए 1 सी मूल्यांकन किया जाएगा जो रिकॉर्ड किया जाएगा।

18. **त्वचारोग संबंधी प्रणाली**

- (क) यदि त्वचा की स्थिति बहुत अच्छी न हो तो अभ्यर्थी को त्वचा विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा। यदि अभ्यर्थी विगत में कमर्षियल सेक्स वर्कर (सी एस डब्ल्यू) के साथ यौन संबंध स्थापित कर चुका हो, अथवा इस बात का प्रमाण हो कि उसके लिंग पर घाव के ठीक होने का निषान बाकी है तो उसे स्थायी रूप से अनफिट घोषित कर दिया जाएगा, यदि एस टी डी न होने का स्पष्ट प्रमाण हो क्योंकि ऐसे अभ्यर्थियों की ऐसे अविवेकपूर्ण आचरण में पुनः आसक्त होने की संभावना बनी रहती है।
- (ख) जिन नॉन-एक्सेन्थिमेटस और नॉन-कम्यूनिकेबल बीमारियों में सामान्यतया थोड़े दिन इलाज किया जाता है, उन्हें अभ्यर्थी को अस्वीकृत करने का कारण नहीं माना जाएगा। साधारण बीमारियों और जिन बीमारियों से सामान्य स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो अथवा जिनसे अक्षमता उत्पन्न हो, उन्हें अस्वीकृत करने का कारण नहीं माना जाएगा।
- (ग) त्वचा की कुछ स्थितियां उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों में सक्रिय हो जाती हैं और अक्षमता उत्पन्न कर देती हैं। यदि किसी व्यक्ति को निश्चित रूप से त्वचा की पुरानी या बार-बार होने वाली बीमारी है अथवा उसके लक्षण हैं तो वह सेना के लिए अनुपयुक्त होगा। ऐसी कुछ स्थितियों का नीचे वर्णन किया गया है :-
- (i) कुछ मात्रा में पसीना अधिक आना शारीरिक क्रिया है, जो चिकित्सा जांच के दौरान रंगरूट को आ सकता है, परंतु यदि उम्मीदवार को बहुत अधिक ही पसीना आता है तो उसे अनफिट माना जाएगा।
- (ii) हल्के (ग्रेड प) एक्ने वल्गेरिस जिनमें केवल मुंह पर कुछ मस्से अथवा फुंसियां हों तो वह स्वीकार्य है। परंतु मध्यम से बहुत अधिक डिग्री वाले एक्ने (ग्रांठ की तरह के जिन पर पपड़ीदार निषान हो या नहीं हो) अथवा पीठ पर एक्ने हों तो अभ्यर्थी को अनफिट माना जाएगा।

- (iii) हथेलियों, तलवों और एड़ियों की त्वचा कटी-फटी होने और हाइपरकेरेटोटिक के स्पष्ट लक्षण सहित किसी भी डिग्री का पाल्मोप्लांटर केरेटोडर्मा होने पर अभ्यर्थी को अनफिट माना जाएगा।
- (iv) हाथ-पैरों में इक्थियासिस वल्गेरिस जिसमें त्वचा स्पष्ट रूप से सूखी, पपड़ीदार, कटी-फटी हो, तो अभ्यर्थी को अनफिट माना जाएगा। मामूली जेरोसिस (सूखी त्वचा) को फिट माना जा सकता है।
- (v) किसी भी प्रकार के केलॉइड होने पर अभ्यर्थी को अनफिट माना जाएगा।
- (vi) चिकित्सीय दृष्टि से उंगलि और पैर के नाखून में स्पष्ट रूप से ऑनकोमॉयकोसिस होने पर अनफिट घोषित किया जाएगा, विशेष रूप से यदि इसके साथ नाखून के पूरी तरह विकसित न होने की समस्या भी हो। किसी एक नाखून पर हल्के-फुल्के धब्बे हों परंतु नाखून के अविकसित होने की समस्या न हो तो यह स्वीकृत होगा।
- (vii) 10 सेमी से अधिक बड़े जाइंट कॉंजेनिटल मेलेनोसिटिक नेवि को अनफिट होने का कारण माना जाएगा, क्योंकि इतने बड़े आकार के नेवि के घातक होने की संभावना होती है।
- (viii) उपचार के बाद छोटे आकार के किण (कैलोसिटी) घट्टा (कॉर्न) तथा मस्सा (वार्ट) स्वीकार्य माने जा सकते हैं। तथापि अनेक सामान्य मस्स (वार्ट) या विकीर्ण पामोप्लांटर मोजेइक मस्सा (वार्ट) हथेलियों तथा तलवों के दबाव क्षेत्रों पर बड़े किण (कैलोसिटी) तथा अनेक घट्टे (कॉर्न) वाले उम्मीदवार अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
- (ix) सोरियासिस एक चिरकारी चर्म अवस्था है जो फिर से हो जाती है तथाध्या लौट आती है। तथा इससे इससे ग्रस्त उम्मीदवारों को अनफिट समझा जाएगा।
- (x) ऐसे उम्मीदवार जो शरीर के ढके हुए हिस्सों पर अल्प मात्रा में शिवत्र (ल्यूकोडर्मा) से प्रभावित हैं को स्वीकार किया जा सकता है। विटिलिगो जो केवल मुण्ड (ग्लैन) तथाशिशनमुंडच्छद (प्रीपयूस) तक सीमित है को उपयुक्त समझा जा सकता है। वे जिनकी त्वचा का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें सम्मिलित है तथा विशिष्टता जब इसमें शरीर के उघड़े हिस्से भी प्रभावित हों चाहे कम ही क्यों न हों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- (घ) त्वचा संक्रमण के चिरकालिक या बार.बार होने वाले रोगाक्रमणों का इतिहास भी अस्वीकार्यता का कारण होगा। फोड़ों (बॉयल) का एक साधारण रोगाक्रमण या सायकोसिस जिससे की पूर्ण स्वास्थ्यलाभ हो चुका है को स्वीकार करने पर विचार किया जा सकता है।
- (च) ऐसे व्यक्ति जो त्वचा संबंधी रोगों के चिरकालिक या बार.बार होने वाले गंभीर या अक्षम प्रकृति के रोगों से ग्रस्त है उदाहरण के तौर पर एकजीमाए को स्थायी रूप से अयोग्य समझा जाएगा तथा अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (छ) कुष्ठ रोग का कोई भी चिह्न अस्वीकार्यता का कारण होगा।
- (ज) नीवस विवर्णकता तथा बेकर्स नीवस को फिट समझा जा सकता है। अंतरत्वचा नीवसए वाहिका संबंधी नीवस को अयोग्य समझा जाए।
- (झ) उपचार के बाद हल्के शल्क रोग वर्णशबल (माईल्ड पिटिरियासिस वर्सिकलर) को फिट समझा जा सकता है। विस्तृत शल्क रोग वर्णशबल को अनफिट समझा जाए।
- (ट) स्वास्थ्यलाभ के उपरांत टीनिया क्रूरिस तथा टीनिया कारपोरिस को फिट समझा जाए।
- (ठ) स्वास्थ्यलाभ के उपरांत अंडकोष एकजीमा को फिट समझा जाए।
- (ड) कैनिटी ;समय पूर्व घूसर दागद्ध को फिट समझा जा सकता है यदि हल्के किस्म की हो और इसका कोई नियमित संयोजन न दिखाई दे।
- (ढ) स्वास्थ्यलाभ के उपरांत त्वग्वलिशोथ (इंटर ट्राइगो) को फिट समझा जा सकता है।
- (त) जननांग फोड़ों सहित यौन संक्रमित रोग अनफिट समझे जाएंगे।
- (थ) कच्छ (स्केबीज) को केवल स्वास्थ्यलाभ के उपरांत ही फिट समझा जाएगा।

19. पेशीय अस्थि.पिंजर प्रणाली तथा शारीरिक क्षमता

- (क) अभ्यर्थी की शारीरिक बनावट का आकलन सामान्य मानकों जैसे प्रत्यक्ष पेशीय विकासए आयुए कदए वजन और इनका अन्तरसंबंध अर्थात प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप शारीरिक बल हासिल करने की क्षमता को सावधानी पूर्वक ध्यान में रखकर किया जाएगा। अभ्यर्थी की शारीरिक क्षमता सामान्य शारीरिक विकास अथवा अन्य मूलभूत या रोगात्मक परिस्थितियों से प्रभावित होती है।

- (ख) बीमारी का पिछला चिकित्सा संबंधी विवरण या सक्रोड़लियाक जोड़ों या रीढ़ की जोड़ जो अदृश्य अथवा दिखाई देने वाले लक्षणों से युक्त होए जिससे अभ्यर्थी शारीरिक रूप से सफलतापूर्वक सक्रिय जीवन नहीं बिता पा रहा होए को कमीशन के लिए निरस्त किया जाएगा। रीढ़ की हड्डी में फ्रेक्चर/ प्रोलाप्सड इंटरवर्टिबरल डिस्क और इन परिस्थितियों के लिए शल्य चिकित्सा को अस्वीकार किए जाने के लिए आधार माना जाएगा।
- (ग) ऐसी हल्की कुब्जता अथवा अग्रकुब्जता जहां विकृति मुश्किल से ही दिखाई दे और इसमें किसी तरह का दर्द अथवा हरकत करने में बाधा न होए को स्वीकार किया जा सकता है। जब पाश्वकुब्जता दिखाई पड़े और रीढ़ के कोई रोगात्मक लक्षण पर संदेह होए तो रीढ़ के उस हिस्से की रेडियोग्राफी जांच की जानी चाहिए।
- (घ) उड़ान संबंधी ड्यूटियों के लिए सर्विकलए थोरासिक तथा लुंबोसकराल रीढ़ की रेडियोग्राफी ;ए पी और पार्श्विक जांचद्ध की जाएगी। ग्राउंड ड्यूटियों के लिए यदि जरूरी समझा जाए तो रीढ़ की रेडियोग्राफी की जा सकती है।
- (च) रेडियोग्राफी में निम्नलिखित स्थितियों के होने पर अभ्यर्थी को वायु सेना सेवा के लिए अयोग्य माना जाएगा:-
- (i) रीढ़ का ग्रेनुलोमेटस रोग।
 - (ii) अर्थिरिटिसधस्पोंडिलाइटिस।
 - (कक) रूमाटोइड अर्थिरिटिस और संबंधित रोग।
 - (कख) अंकीलोसिस स्पोंडिलाइटिस।
 - (कग) ऑस्टियो अर्थिरिटिसए स्पोंडिलाइटिस और डिजेनरेटिव जोड़ों से संबंधी रोग।
 - (कघ) नॉन आर्टिकुलर रूमाटिस्म (जैसे रोटटर कफफ में जख्मए टेनिस एल्बोए रिकररेंट लुंबागों आदि)।
 - (कच) एस एल ईए पॉलीमयोसिटिस अँड वासकुलिटिस सहित विविध रोग।
 - (कछ) स्पोंडिलोलिसथेसिस/ स्पोंडिलाइटिस।
 - (कज) रीढ़ के जोड़ पर दबाव से उत्पन्न फ्रेक्चर।

- (कझ) शैयूरमैन रोग (किशोरावस्था की हल्की कुब्जता)।
- (कट) सर्विकल लॉर्डोडोसड्स की कमी जब चिकित्सीय कारणों से सर्विकल रीढ़ संबंधी हरकतें भी सीमित हों।
- (कठ) प्रदर्षनीय तंत्रिका अथवा परिसंचारी कमी वाली एकतरफा/दोतरफा सर्विकल पसली।
- (iii) विशेषज्ञ की राय के अनुसार अन्य कोई भी विकृति।
- (च) ऊपर के पैरा में वर्णित विकृति/रोगों का होना भा वा से की सभी शाखाओं के लिए अस्वीकृत माना जाएगा। इसके अतिरिक्त उड़ान शाखाओं के अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित नियम भी लागू होंगे :-
- (i) उड़ान ड्यूटियों के लिए स्वीकार्य रीढ़ संबंधी असंगतियां :-
- (कक) एल वी 5 का दोतरफा पूर्ण सेक्रालाइजेशन तथा एस वी 1 का दोतरफा पूर्ण लंबराइजेशन।
- (कख) सेक्रम तथा एल वी 5 में स्पाइना ब्राइफिडा यदि यह पूरी तरह सेक्रमी हो।
- (कग) सर्विकल में पूर्णतः कलाक (फ्यूज्ड) बरटेब्रा और/अथवा एकल स्तर पर डोरसेल स्पाइन।
- (ii) उड़ान ड्यूटियों के लिए रीढ़ की अस्वीकार्य स्थितियां
- (कक) कॉब पद्धति के द्वारा मापने पर 15 डिग्री से ज्यादा का स्कॉलिओसिस।
- (कख) डिजनरेटिव डिस्क रोग
- (कग) एटलांटो-ओसिपिटल तथा एटलांटो-एक्सियल असंगतियां।
- (कघ) सर्विकल, डोर्सल अथवा लुंबार रीढ़ के किसी भी स्तर पर हेमी बर्टेब्रा और/अथवा अपूर्ण ब्लाक (फ्यूज्ड) बर्टेब्रा तथा सर्विकल अथवा डोर्सल रीढ़ पर एक से ज्यादा स्तर पर पूरी तरह ब्लॉक (फ्यूज) बर्टेब्रा।

(कच) सभी स्तरों पर (पूर्ण अथवा अपूर्ण) एकतरफा सेक्रलाइजेशन अथवा लुंबराइजेशन तथा दोतरफा अपूर्ण सेक्रलाइजेशन अथवा लुंबराइजेशन।

(ज) उपरी अंगों के आकलन को प्रभावित करने वाली स्थितियां

- (i) अंग-विच्छेदन वाले अभ्यर्थी को प्रवेश के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि, दोनों तरफ की कनिशिकों के टर्मिनल फ्लैक्स का विच्छेदन स्वीकार्य है।
- (ii) उपरी अंगों अथवा इनके हिस्सों में विकृति रद्दीकरण का आधार होगा। कटे हुए पॉलिडैकटिली के सिवाय सिन्डैकटिली तथा पॉलिडैकटिली का अयोग्य माना जाएगा।
- (iii) कलाई की दर्दरहित सीमित हरकत की कठोरता की मात्रा के अनुसार श्रेणीकरण किया जाएगा। डोरसीफ्लेशन का क्षय पॉलमट फ्लेक्सन से ज्यादा गंभीर है।
- (iv) कुहनी की थोड़ी-बहुत सीमित हरकत स्वीकृति में बाधक नहीं होगी बशर्ते कि कार्यात्मक क्षमता पर्याप्त हो। एंकीलोसिस को रद्दीकरण का आधार माना जाएगा जब कैरिंग एंगल (सीधे खड़े होने की भंगिमा की स्थिति में बांह और कोहिनी के बीच का कोण) बेहद ज्यादा हो, तो क्यूबिटस वाल्गस की उपस्थिति मानी जाती है। कार्यात्मक अक्षमता न होने पर और फ्रैक्चर सही से न जुड़ने, फिबरोसिस अथवा ऐसी अन्य स्थिति में, जब 15 डिग्री तक कैरिंग कोण हो, स्वीकार्य होगा।
- (v) कंधे के बार-बार खिसकने को अस्वीकार किए जाने का कारण माना जाएगा।
- (vi) पुराने फ्रैक्चर क्लैविकल के सही से नहीं जुड़ने/जोड़ा ही नहीं जाने को अस्वीकार किए जाने का कारण माना जाएगा।

(झ) नीचे के अंगों के आकलन को प्रभावित करने वाली स्थितियां

- (i) हैलक्स वाल्गस के मामूली मामले (20 डिग्री से कम), एसिंटोमेटिक, असंबद्ध कॉर्न/कैलोसिटीज/बुनियन स्वीकार्य हैं। अन्य मामले अस्वीकृत होंगे। पहले मेटाटर्सल का छोटा होना भी अयोग्य माना जाएगा।
- (ii) हैलक्स रिजिडस स्वीकार्य नहीं हैं।

- (iii) बिना लक्षणों वाला अलग एकल लचीला हल्का हैमर टो स्वीकार्य है। कॉर्न्स, कैलोसिटीस, मैलेट टो या मैटाटासोफैलंजियल जोड़ पर हाइपरएक्सटेंशन (पंजे की कुरूपता) से संबद्ध फिक्सड (रिजिड) कुरूपता अथवा हैमर टो को अस्वीकार किया जाएगा।
- (iv) पंजे की किसी अंगुली का न होना अस्वीकृत करने का आधार होगा।
- (v) अतिरिक्त अंगुलियां अस्वीकृत करने का आधार होंगी यदि वह हड्डी के साथ की अंगुलियों को छू रही हो। सिनडैक्टिली अथवा पंजे/अंगुलियों के न होने के मामले रद्द कर दिए जाएंगे।
- (vi) पैर देखने में सपाट हो सकते हैं। यदि पंजे पर खड़े होने पर पैरों की आर्क पुनः दिखने लगती हैं, यदि अभ्यर्थी पंजे पर उछल सकता हो और अच्छी तरह से भाग सकता हो, यदि पैर लचीले, गतिशील और दर्दरहित हों तो अभ्यर्थी स्वीकार्य है। पैर के हिलने-डुलने में बाधा होना अस्वीकृत करने का कारण होगा। पैर का आकार भले ही कैसा भी हो, पैरों की कठोरता अस्वीकृत करने का कारण होगी।
- (vii) हल्की मात्रा का इडियोपाथिक पेस कवुस स्वीकार्य है। मंद और तीव्र मात्रा का पेस कवुस एवं आनुवांशिक बीमारी के पेस कवुस को अस्वीकार्य माना जाएगा। तालिपेस (क्लब फूट) के सारे मामले अस्वीकार्य होंगे।
- (viii) टकने के जोड़ में पहले से हुए किसी चोट के कारण हरकत में होने वाली कोई भी परेशानी अस्वीकार्य है। तथापि ऐसी पुनरावर्तक परेशानी जिसका कोई पूर्व विवरण न हो और कम से कम 20 डिग्री के प्लांटर एवं डोर्सिफ्लेक्सन हरकत के मामले ग्राउंड इयूटी के लिए उपयुक्त माने जाएंगे। एयरक्रू इयूटी के लिए उपयुक्तता क्रियागत मूल्यांकन पर आधारित होगी।
- (ix) घुटने के जोड़ के आंतरिक अव्यवस्था से संबंधित पूर्ववर्ती या रोग विषयक संकेतों पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है। ऐसे मामलों में स्वस्थता का आधार क्रियागत मूल्यांकन एवं रोगविज्ञान की दृष्टि से उपचार किए गए मामलों की संभावना/प्रगमन/पुनरावृत्ति पर निर्भर करेगा।
- (x) अगर किसी अभ्यर्थी के आंतरिक मल्लेओली के बीच की दूरी 5 सेण्टीमीटर से कम हो एवं उसमें कोई विकृति न हो तो उसे गेणु वेल्गुम (क्नोक्क घुटना) की दृष्टि से उपयुक्त माना जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी के आंतरिक मल्लेओली के बीच की दूरी 5

सेण् मीण् से अधिक हो तो उसे गेणु वल्गुम की दृष्टि से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा।

(xi) यदि किसी अभ्यर्थी के फेमोरल कोन्ड्यलेस के बीच की दूरी 10 सेण् मीण् के भीतर हो तो उसे गेणु वरूम (बाऊ लेग्स) की दृष्टि से उपयुक्त माना जाएगा।

(xii) यदि किसी अभ्यर्थी के घुटने का अतिप्रसार 10 डिग्री के भीतर हो और इसके साथ कोई अन्य विकृति न हो तो उसे गेणु रेकुर्वटुम की दृष्टि से स्वीकार किया जाएगा।

(xiii) कमर के जोड़ की वास्तविक चोट को अस्वीकृत माना जाएगा।

20. केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली

(क) ऐसे अभ्यर्थी जिसने मानसिक बीमारी/मनोवैज्ञानिक रोग का पिछला इतिहास प्रस्तुत किया हो उनकी विस्तृत जांच की जाएगी और उन्हें मनचिकित्सा की जाँच के लिए नामांकित किया जाएगा। ऐसे मामलों को अवीकार किया जाएगा। पारिवारिक विवरण एवं दवाई ग्रहण करने का पूर्व विवरण भी प्रासंगिक है।

(ख) अनिद्रारोग, दुरुःस्वप्न या रात में लगातार उठकर चलना या रात में पलंग पर ही पेशाब करना जैसे रोगों की पुनरावृत्ति या निरंतरता अवीकृति के कारण होंगे।

(ग) प्रचंड स्पंदित सिर-दर्द और माईग्रेन। साधारण किस्म के बार.बार होने वाले सिर-दर्द जो पहले की सिर की चोट या माईग्रेन के कारण होते हैं। दूसरे प्रकार के कभी-कभी होने वाले सिर-दर्द के संभाव्य कारण को ध्यान में रखा जाए। ऐसे अभ्यर्थी जिसे इतना ज्यादा माईग्रेन हुआ हो जिसके लिए उसने डॉक्टर से परामर्श लिया हो, वह अस्वीकृति का कारण होगा। माईग्रेन का साधारण सा दौरा जिसमें दिखाई न दें या माईग्रेन से युक्त मिरगी हुई हो, को स्वीकृति के लिए बाधक माना जाएगा।

(घ) उम्मीदवार/अभ्यर्थी में एपीलेप्सी का इतिहास होना अस्वीकृति का एक कारण है। पांच वर्ष की आयु के बाद ऐंठन/दौरे भी अस्वीकृति का एक कारण हैं। शिशु अवस्था में ऐंठन बुरा नहीं है बशर्ते ऐसा लगता हो कि ऐंठन फेबराईल ऐंठन हो और किसी प्रत्यक्ष न्यूरोलोजिकल कमी से संबंध ना रखती हो। एपीलेप्सी के कारणों में अनुवांशिक कारक भयानक दिमागी चोटए दिल का दौराए संक्रमण डिमाईलिनेटिंग और डिजनरेटिव रोग जन्म संबंधी कमियां नशे का सेवन विथड्राल सिजेरस् आदि शामिल हैं। सिजेरस बेहोशी का रूप ले सकती हैं और इसलिए जिस बारम्बारता और परिस्थितियों में बेहोशी आती है उसको अवश्य विस्तार से देखना चाहिए। सिजेरस अटैक उड़ान के लिए असक्षमता दर्शाता है चाहे वह किसी भी प्रकृति का हो।

(च) बा-बार हीट स्ट्रोक हाईपरपाईरेक्सिया या गर्मी से थकान का इतिहास एयर फोर्स की ड्यूटी में भर्ती करने से मनाही करती है क्योंकि यह एक दोषपूर्ण गर्मी नियमन मैकेनिज्म का सबूत है। गर्मी के प्रभावों का एक गम्भीर आक्रमण अपने आप में उम्मीदवार की अस्वीकृति का कारण नहीं है बशर्ते गर्मी में काम करने का इतिहास गंभीर हो, और कोई स्थाई रोगोत्तर लक्षण ना दिखते हों।

(छ) सिर में गंभीर चोट या कोनकसेन का इतिहास अस्वीकृति का एक कारण है। गंभीरता के स्तर को पोस्ट ट्रॉमेटिक अमनेशिया (पी टी ए) की अवधि के इतिहास से माप सकते हैं। सिर की चोट के दूसरे रोगोत्तर लक्षणों में पोस्ट कोनकसेन सिंड्रोम आता है जिसमें व्यक्तिगत लक्षण जैसे सिर में दर्द जी मितलाना , नींद ना आना बैचैनी चिड़चिड़ापन एकाग्रता न होना और ध्यान में कमी फोकल न्यूरोलोजिकल कमी पोस्ट ट्रॉमेटिक एपीलेप्सी हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक न्यूरोसाइकोलोजिकल रोग भी हो सकता है जिसमें ध्यान एकाग्रता में कमी सूचना प्रोसेसिंग स्पीड दिमागी लचीलापन फ्रंटल लोब एक्जीक्यूटिव फंक्सन तथा साईकोसोसल फंक्सनिंग शामिल हैं। सिर के कपाल का टूटना अस्वीकृति का कारण नहीं होगा जब तक संबंधित इंटराक्रैनियल क्षति या डीप्रेसड फ्रैक्चर या हड्डी के न होने से सम्बद्ध इतिहास रहा हो। जब गंभीर चोट या कोई संबंधित दौरे के अटैक का इतिहास रहा हो तब इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राम किया जाएगा जो आवश्यक रूप से सामान्य होना चाहिए। बुर होल की उपस्थिति उड़ान सेवाओं के लिए अस्वीकृति का कारण होगी लेकिन ग्राउंड ड्यूटी के लिए नहीं। प्रत्येक मामले को व्यक्तिगत गुणों के आधार पर जांचा जाना चाहिए। स्वीकृति से पूर्व न्यूरोसर्जन तथा मनोवैज्ञानिक की सलाह अवश्य प्राप्त करनी होगी।

(ज) जब परिवारिक इतिहास में मनोवैज्ञानिक रोगों जैसे नर्वस ब्रेकडाउन, मानसिक बीमारी या नजदीकी रिश्तेदार की आत्महत्या का पता चलता है तो एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तिगत पूर्व इतिहास की सावधानीपूर्ण जांच प्राप्त की जानी चाहिए। हालांकि इस प्रकार का इतिहास वायु सेना में सेवा करने से नहीं रोकता है, फिर भी व्यक्तिगत इतिहास या वर्तमान स्थिति में थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक अस्थिरता का प्रमाण मिलने पर चयन से रोक दिया जाएगा।

(झ) यदि परिवार में एपीलेप्सी का इतिहास पाया जाता है तो इसके प्रकार को निर्धारण करने का प्रयास करना चाहिए। जब यह स्थिति किसी नजदीकी रिश्तेदार ;प्रथम स्तरद्धमें मिलती है तो उम्मीदवार को स्वीकार किया जा सकता है यदि उसमें संबंधित चेतना की परेशानीए न्यूरोलोजिकल कमी या उच्चतर मानसिक कार्य का इतिहास ना हो और उसका इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राम एकदम सामान्य हो।

(त) भावनात्मक स्थिरता के आंकलन में व्यक्तिगत एवं पारिवारिक इतिहास को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए इसमें तनाव के दौरान भावनात्मक अस्थिरता के लक्षण जो बचपन में व्याप्त असंगत भावनात्मकता के कारण प्रदर्शित होते हैं या फिर पूर्व की कोई नर्वस (तंत्रिका संबंधी) बीमारी या विकार शामिल हैं। हकलाना, टिक, नाखून चबाना, हाइपर-हाइड्रोसिस या परिक्षा के दौरान बेचैनी भावनात्मक अस्थिरता के लक्षण है।

(थ) मानसिक उन्माद से ग्रसित अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया जाएगा। किसी भी रूप में ड्रग पर निर्भरता भी अस्वीकृती का कारण होगी।

(द) मानसिक रूप से अस्थिर एवं विक्षिप्त व्यक्ति कमीशनिंग के लिए अयोग्य है। किशोर या वयस्क अपचार (अपराध) तंत्रिका संबंधी विकार (नर्वस ब्रेक-डाउन) या लंबी बीमारी का इतिहास भी अस्वीकृती का कारण बनेगा। नाखुश बचपन अभावग्रस्त पारिवारिक पृष्ठभूमि ट्रांसी किशोर या वयस्क अपचार (अपराध) रोजगार एवं सामाजिक अपसमायोजन के खराब रिकार्ड नर्वस ब्रेक-डाउन या लंबी बीमारी का इतिहास आदि कारकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा विशेषतया यदि इन कारकों ने पूर्व में रोजगार में बाधा पहुंचाई हो तो।

(ध) किसी प्रकार का प्रत्यक्ष न्यूरोलाजिकल डेफिसिट भी अस्वीकृती का कारण बनेगी।

(न) ट्रेमर्स (कंपकंपी) पारस्परिक उतेजित पेशीय समूह (इनरवेटेड मसल ग्रुप) की लयात्मक दोलक गतिविधि (रिदमिक आसिलेटरी मूवमेंट) होते हैं। अत्यधिक डर, क्रोध, चिंता अत्यधिक शारीरिक थकान मटोबालिक परेशानी जिसमें हाइपर-थाइराइडिज्म शामिल हैं, शराब का प्रत्याहार और लीथियम के जहरीले प्रभाव धूम्रपान (निकोटिन) एवं चाय काफी का अत्याधिक उपभोग का अवस्था में ट्रेमर्स (कंपकंपी) होते हैं। कोअर्स ट्रेमर्स के अन्य कारक पार्किंसनिज्म सेरेबेलर (इंटेन) ट्रेमर, अपरिहार्य (पारिवारिक) ट्रेमर न्यूरोपैथी के ट्रेमर्स एवं मुद्रा विषयक (पास्च्यूरल) या ऐक्शन ट्रेमर्स हैं।

(प) हकलाने वाले अभ्यर्थी वायुसेना ड्यूटीज में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संदेहास्पद मामलों में ई एन टी विशेषज्ञ स्पीच थेरेपिस्ट, मनोविज्ञानी/मनोरोग विज्ञानी द्वारा सावधानी पूर्वक किया गया मूल्यांकन प्राप्त किया जा सकता है।

(फ) केवल वे अभ्यर्थी जो एयर क्रू ड्यूटीज के लिए हैं उनका बेसल इलेक्ट्रोइन्सिफैलोग्राम (ई ई जी) परीक्षण कराया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के विश्राम अवस्था में किए गए ई ई जी या चुनौतीपूर्ण अवस्था में किए गए ई ई जी में असामान्यता पाई जाएगी वे एयर क्रू ड्यूटीज के लिए अस्वीकार माने जाएंगे :-

- (i) बैकग्राउंड ऐक्टिविटी ऐम्प्लीट्यूड में बैकग्राउंड ऐक्टिविटी की तरफ बढ़ती स्लो वेक्स का फोकल रन एवं 2.3 Hz सामान्य से अधिक की फोकल अत्याधिक एवं उच्च ऐम्प्लीट्यूड बीटी ऐक्टिविटी हेमीस्फेरिकल एसेमेट्री
- (ii) हाइपरवेंटिलेशन. पैराक्जिमल स्पाइक्स एवं स्लो वेक्स/स्पाइक्स/फोकल स्पाइक्स पैटर्न
- (iii) फोटो उद्दीपन। बीलेटरेल्ली साइनेक्रोनस या फोकल पेरोकजाइमल स्पाइक्स और पोस्ट फोटिक उद्दीपन अवधि/निरूद्ध में निरंतर धीमी गति से तरंगों का प्रवाह या हेमीस्फेयर के ऊपर तेज प्रतिक्रिया

(ब) अविशिष्ट ई ई जी अपसामान्यता को न्यूरोसाइकेटरिस्ट/न्यूरोफीजिसीयन से प्राप्त सुझाव के आधार पर स्वीकार किया जाएगा। यदि ई ई जी को अपसामान्य पाया जाता है तो वैसी स्थिति में अभ्यर्थी को सी एच ए एफ (बी) में न्यूरोफीजिसीयन के द्वारा व्यापक जांच के लिए रेफर किया जाएगा जिसकी समीक्षा आई ए एम भारतीय वायु सेना के बोर्ड द्वारा की जाएगी।

21. कान, नाक और गला

(क) नाक और पैरानेजल साइनस

- (i) मार्कड सेपटल डेविएसन के कारण उन्मुक्त रूप से स्वांस लेने में आने वाली दिक्कत अस्वीकार का एक कारण है। पर्याप्त रूप से स्वांस लेने के लिए शेष बचे हुए मध्यम विसामान्यता को ठीक करने वाली सर्जरी को स्वीकार किया जाएगा।
- (ii) किसी भी प्रकार का सेपटल परफोरेसन अस्वीकृति का कारण होगा।
- (iii) एट्रोफीक राइनाइट्स अस्वीकृति का कारण होगा।
- (iv) एलर्जिक राइनाइट्स संबंधी केस फ्लाइंग ड्यूटी पर जाने के लिए अस्वीकृति का कारण होगा।
- (v) किसी भी प्रकार का पैरानेजन साइनस होने पर अस्वस्थ घोषित किया जाएगा। ऐसे मामलों को प्राधिकृत चिकित्सा परिषद के द्वारा सफल इलाज के बाद ही स्वीकार किया जाएगा।
- (vi) मल्टीपल पॉलीपोजीज अस्वीकृति का एक कारण होगा।

(ख) ओरल केविटि और गला

(i) ऐसे अभ्यर्थी जिनमें टोनसिलेक्टोमि पाया जाता है, उन्हें अस्वीकृत किया जाएगा।
ऐसे अभ्यर्थियों को प्राधिकृत चिकित्सा परिषद के द्वारा सफल सर्जरी के बाद ही स्वीकार किया जाएगा।

(ii) क्लेफ्ट पालेट का पाया जाना अस्वीकृति का एक कारण होगा।

(iii) आवाज में लगातार आ रहे फटेपन के साथ फेरिन्क्स या लैरिन्क्स में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के लिए अस्वीकृत किया जाएगा।

(ग) यूस्टेशियन ट्यूब का कार्य न करना या उसमें किसी भी प्रकार की बाधा आना अस्वीकृति का एक कारण होगा।

(घ) टित्रीट्स का पाया जाना उसकी अवधि स्थानीकरण, पृथकता और संभावित कारणों की जांच को आवश्यक बना देता है।स्थायी टित्रीट्स अस्वीकृति का एक कारण है। क्योंकि नाक के माध्यम से परित्याग होने पर इसके और अधिक खराब होने की संभावना बन जाती है और यह प्रारंभिक स्थिति से ओटोस्कलेरोसिस और मेनियर बीमारी में बदल सकती है।

(च) किसी भी प्रकार के मोसन सिकनेस की संभावना पाए जाने पर विशिष्ट जांच कराई जाएगी। ऐसे मामलों का पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और मोसन सिकनेस की बीमारी का खतरा होने पर उन्हें फ्लाइंग इयूटी करने के लिए अस्वीकृत किया जाएगा।

(छ) एक अभ्यर्थी जिसको चक्कर आने की बीमारी का इतिहास रहा है, उसकी पूरी तरह से जांच किया जाना अनिवार्य है।

(ज) हियरिंग लोस

(i) फ्री फील्ड हियरिंग लोस अस्वीकृति का एक कारण है।

(ii) 250 और 8000 Hz के बीच की आवृत्ति में ऑडियोमैट्रीक लोस 20 डी बी से अधिक नहीं होना चाहिए।
ई एन टी विशेषज्ञ की सिफारिश पर 30 डी बी तक पृथक यूनिटेटरल हियरिंग लोस को ई एन टी की परीक्षा देने से छूट दिया जाना सामान्य माना जाएगा।

(झ) जब हियरिंग को पूरी तरह एपीथेलियालाइज्ड और सही पाया गया है ऐसी स्थिति में भी एक मूलधपरिवर्तित रेडिकल मासटोइडेक्टोमी के लिए अस्वीकृत किया जाएगा। पूर्व में टाइमपैनिक मेमब्रैन

इनटेक्ट सामान्य हियरिंग और वर्तमान में किसी भी प्रकार की बीमारी न होने की स्थिति के साथ कोरटिकल मासटोइडेक्टोमि के मामलों को स्वीकार किया जा सकता है।

(ट) एगजोस्टोसेस या अनड्यूलि नैरो मिटी के साथ क्रोनिक ओटिटिस एक्सट्रेना के मामलों को अस्वीकृत किया जाएगा। कैनल के टोरट्यूसिटी का बढ़ना टाइमपैनिक मेमब्रेन के अगले प्रकट रूप का अभिलोपन अस्वीकृति का कारण होगा।

(ठ) अल्टीट्यूड चैंबर में इयर क्लिरेन्स परीक्षण को सामान्य पाए जाने पर सर्जरी के 12 सप्ताह के बाद टाइमपेनोप्लास्टी टाइप को स्वीकृत माना जाएगा। मध्य कान की निम्नलिखित स्थितियों के अंतर्गत अस्वीकृत माना जाएगा .

(i) एटीक सेंट्रल या मार्जिनल परफोरेशन।

(ii) चिन्हित प्रतिकर्षण के साथ टाइमपैनिक मेमब्रेन का दाग।

(iii) टाइमपैनोप्लास्टी टाइप प् से किंतु टाइप प् से नहीं।

(iv) कालकारीयस प्लाक्यूज (टाइमपैनोस्कालेरोसिस) यदि पार्स टेंसा के 1/3 हिस्से से अधिक जगह घेरता हो।

(v) मिडल इयर संक्रमण

(vi) बाहरी ऑडिटरी नली में ग्रान्यूलेसन या पॉल्येप

(vii) स्टापेडेक्टोमी ऑपरेशन

(त) कान की विविध स्थितियाँ अस्वीकृति के लिए कान की निम्नलिखित स्थितियाँ होगी :-

(i) आटोस्क्लेरोसिस

(ii) मेनिरी रोग

(iii) ऑफ वेस्टिबूलर मूल का निस्टेगमस सहित वेस्टिबूलर डिस्फंगसन

(iv) बेल्स पाल्सी के पश्चात् कर्ण संक्रमण

22. नेत्र प्रणाली

(क) उड़ान ड्यूटियों के लिए अस्वीकृत होने का बड़ा कारण दृष्टि दोष और चिकित्सीय नेत्र दशाएं हैं।

(ख) व्यक्तिगत और पारिवारिक इतिहास और बाह्य परीक्षण।

(i) भेंगापन और अन्य कारणों से चश्मों की आवश्यकता प्रायः अनुवांशिक है और विकृति की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए पारिवारिक इतिहास (पृष्ठभूमि) महत्वपूर्ण सूचना प्रदान कर सकता है। अभ्यर्थी जो चश्मा लगाए हैं अथवा जिनमें दृष्टिगत दोष पाया गया हो उनका उचित निर्धारण किया जाएगा।

(ii) वतर्मपात जिसमें साथ ही दृष्टि या दृष्टिक्षेत्र में बाधा हो अस्वीकृति का एक कारण है जब तक छह माह की अवधि के लिए सर्जरी उपचार सफल न हो। अनियंत्रित वतर्मशोथ वाले अभ्यर्थी विशेषकर जिनमें आइलैसेस की हानि है समान्यतः अनुपयुक्त हैं और इन्हें अस्वीकृत किया जाएगा। वतर्मशोथ और पुराने नेत्रश्लेष्मलाशोथ के गंभीर मामलों का निर्धारण तब तक अस्थाई रूप से अनफिट के रूप में किया जाएगा जब तक कि उपचार से रेस्पॉस का निर्धारण न किया जा सकता हो।

(iii) नासाश्रु अंतर्रोध जिससे ऐपिफोरा अथवा श्लेष्मपुटी के मामले अस्वीकृत होंगे जब तक सर्जरी द्वारा अधिकतम छह माह में राहत न मिले।

(iv) यूविआशोथ (रंजित पटल शोथ, रोमक पिण्ड शोथ, परितारिका शोथ) की अक्सर पुनरावृत्ति होती हो और अभ्यर्थी जिसके परिवार में पहले से ये बीमारी चली आ रही हो अथवा अभ्यर्थी में ये लक्षण दिखायी देते हों उनका निर्धारण सावधानी पूर्वक किया जाएगा। अभ्यर्थियों में जहाँ स्थायी विकृति के साक्ष्य हों ऐसे अभ्यर्थियों को अस्वीकृत किया जाएगा।

(v) कार्नियल स्कार्स ओपेसिटी अस्वीकृति का कारण होंगे जब तक कि ये दृष्टि में बाधा न डाले। स्वीकृति से पूर्व ऐसे मामलों का सावधानीपूर्वक निर्धारण किया जाएगा चूंकि कई स्थितियों की पुनरावृत्ति होती है।

(vi) लेंटिकुलर ओपेसिटी के मामलों का निर्धारण सावधानीपूर्वक किया जाएगा। जैसाकि दिशानिर्देश है कोई भी ओपेसिटी जिसके कारण दृष्टिगत खराबी होती हों अथवा यह दृष्टि अक्ष में है अथवा प्यूपिल के परित 7 मिमी. के क्षेत्र में मौजूद है जिससे चौंध लगती हो, को फिट नहीं माना जाएगा। फिटनेस का निर्धारण करते समय इस पर भी विचार किया जाएगा कि ओपेसिटी की प्रवणता संख्या अथवा आकार न बढ़े हो।

(vii) माइग्रेनियस किस्म के सिरदर्द के साथ दृष्टि बाधाएं पूर्णत (विक्षोभ): नेत्र संबंधी समस्या नहीं हैं और इनका निर्धारण तदनुसार किया जाएगा। डिप्लोपिया की

मौजूदगी अथवा नाइस्टागमस की पहचान के लिए उचित परीक्षण की आवश्यकता है।
चूंकि ये मनोवैज्ञानिक कारणों से हो सकते हैं।

(viii) रतौंधी अधिकांशतः जन्मजात होती है परंतु आँख की कुछ बिमारियों में रतौंधी एक पूर्व लक्षण के रूप में प्रकट होती है इसलिए अंतिम निर्धारण करने से पहले उचित जाँच आवश्यक है। चूंकि रतौंधी के लिए जाँच नेमी रूप से निष्पादित नहीं की जाती है इसलिए प्रत्येक मामले में इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाएगा कि व्यक्ति रतौंधी से पीड़ित नहीं है। प्रमाणपत्र ड्राफ्ट नियम परिशिष्ट-ख के अनुसार होगा।

(ix) नेत्र गोलक का किसी में दिशा में न घूमने और नेत्र गोलक के अनुचित दबाव/उभार के लिए उचित निर्धारण की आवश्यकता (प्रोमिनेंस) है।

(ग) दृष्टि तीक्ष्णता और कलर विजन की आवश्यकताओं का ब्योरा इस नियम के परिशिष्ट.ग में दिया गया है। अभ्यर्थी जो इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं उन्हें अस्वीकृत किया जाएगा।

(घ) यदि परिवार में मायोपिया का इतिहास रहा है विशेषकर यदि यह निर्धारित होता है कि दृष्टि दोष हाल ही में हुआ है यदि इसके फिजीकल ग्रोथ की अभी भी संभावना है अथवा यदि फण्डस उपस्थिति प्रोग्रेसिव मायोपिया का संकेत हो भले ही दृष्टि की प्रखरता (एक्विटी) निर्धारित सीमा में हो अभ्यर्थी को अनफिट घोषित किया जाएगा।

(च) रिफ्रेक्टिव सर्जरियां अभ्यर्थी जिनका पीआरके (फोटो रिफ्रेक्टिव केराटोमी) लासिक (केराटोमिलेयूसिस के स्थान पर लेजर) हुआ हो उन्हें वायुसेना की सभी ब्रांचों में कमीशन प्रदान करने के लिए फिट माना जाएगा।

(छ) पी आर के लासिक हुए अभ्यर्थियों का चयन होने से पूर्व उनमें निम्नलिखित मानदंड निर्धारित होने हों:-

(i) पी आर के/लासिक सर्जरी 20 वर्ष की आयु से पहले नहीं होनी चाहिए।

(ii) आई ओ एल मास्टर द्वारा मापी गयी आँख की अक्षीय लम्बाई 25.5 मिमी. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) स्टेबल पी आर के/लासिक हुए न्यूनतम 12 माह की अवधि बिना किसी जटिलता के बीत चुकी हो और साथ ही किसी जटिलता का इतिहास अथवा साक्ष्य न हो।

(iv) कोर्नियल पैकिमीटर द्वारा पी आर के/लासिक के बाद की मापी गई कोर्नियल मोटाई 450 माइक्रोन्स से कम नहीं होनी चाहिए।

(v) पी आर के/लासिक से पूर्व उच्च रिफ्रेक्टिव कमियों(>6डी) वाले व्यक्तियों को निकाल दिया जाएगा।

(ज) वायु सेना की किसी भी ड्यूटी के लिए रिफ्रेक्टिव कमियों को ठीक करने के लिए रेडियल क्लिरेटोमी (आर के) सर्जरी की अनुमति नहीं है। आई ओ एल इम्प्लांट सहित या इसके बिना कैटेरेक्ट सर्जरी करवाने वाले अभ्यर्थियों को भी अनफिट घोषित किया जाएगा।

(झ) नेत्र मांसपेशी का संतुलन

(i) भंगापन दिखायी देने वाले व्यक्तियों को कमीषन प्रदान करने के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ii) वायुकर्मी दल के मामले में लेटेन्ट स्क्विंट या हीट्रोफोरिया का निर्धारण प्रमुखतः फ्यूजन क्षमता के मूल्यांकन पर आधारित होगा। फ्यूजन की एक मजबूत समझ, तनाव और थकान होने पर बाइनाकुलर विजन का अनुरक्षण सुनिश्चित करती है। इसलिए स्वीकार्यता के लिए यह मुख्य मानदंड है।

(कक) अभिसरण

(ककक)अभिदृश्यक अभिसरण। इसका औसत 6.5 से 8 सेमी तक है। यह 10 सेमी और उससे अधिक पर खराब होता है।

(ककख)सब्जेक्टिव अभिसरण (एस सी)। यह अभिसरण के तनाव के अधीन बाइनाकुलर विजन के एंड प्वाइंट (अंतिम छोर) को दर्शाता है। यदि सब्जेक्टिव अभिसरण ऑब्जेक्टिव अभिसरण की सीमा से परे 10 सेमी से अधिक है तो फ्यूजन क्षमता खराब होती है। यह विशेषकर तब होती है जब ऑब्जेक्टिव अभिसरण 10 सेमी और इससे अधिक होता है।

(कख) एकमोडेसन। मायोप्स (निकटदृष्टिक) के मामले में एकमोडेसन का करेक्टिव निर्धारण ग्लास को सही पॉजिशन में रखकर किया जाना चाहिए। विभिन्न आयु समूहों में एकमोडेसन के लिए स्वीकार्य मानक नीचे तालिका में दिए गए हैं :-

आयु वर्ष में	17-20 21-25	26-30	31-35	36-40	41-45
एकमोडेसन (सेमी में)	10-11 11-12	12.5-13.5	14-16	16-18.5	18.5-27

- (ठ) नेत्र मांसपेशी का संतुलन गतिज होता है और एकाग्रता, उत्तेजना, थकान, हाइपोक्सिया, ड्रग्स और शराब का सेवन करने से इसमें परिवर्तन होता है। अंतिम निर्धारण के लिए, उपर्युक्त जांचों पर एक साथ विचार किया जाएगा। उदाहरण के लिए, मैडुडोक्स रॉड जांच की अधिकतम सीमा से थोड़े अधिक वाले मामले, परन्तु जो अच्छी बाइनाकुलर, प्रतिक्रिया एक अच्छी ऑब्जेक्टिव अभिसरण जिसमें सब्जेक्टिव अभिसरण के मुकाबले बहुत कम अंतर होता है को दर्शाते हैं और कवर जांचों पर पूर्ण और तीव्र स्वास्थ्यलाभ देते हैं को स्वीकार किया जा सकता है। दूसरी तरफ मैडुडोक्स रॉड जांच सीमाओं के भीतर के मामले परन्तु जो बहुत कम या शून्य फ्यूजन क्षमता दर्शाते हैं, कवर जांचों पर अपूर्ण या कोई स्वास्थ्यलाभ नहीं दर्शाते और खराब सब्जेक्टिव अभिसरण दर्शाते हैं, को अस्वीकार किया जाएगा। नेत्र मांसपेशी के संतुलन के मूल्यांकन के लिए मानक ड्राफ्ट नियमों के परिषिष्ट-ग में उल्लिखित हैं।
- (ड) मीडिया (कोर्निया, लेंस, विट्रियस) या फंडस में कोई क्लिनिकल परिणाम जो कि पैथोलॉजिकल प्रकृति का है और जिसकी बढ़ने की संभावना है, अस्वीकृति का एक कारण होगा। यह जांच माइड्रियासिस के अंतर्गत स्लिट लेंप और ऑफ्थैलमोस्कोपि द्वारा की जाएगी।

23. हीमोपॉइटिक प्रणाली

- (क) सभी अभ्यर्थियों की पेल्लौर (एनीमिया), कुपोशण, पीलिया, पेरिफेरल लिम्फेडिनोपैथी, पुरपुरा, पेटिकेई/एकिमोसिस और हिपेटोस्प्लनोमिगेली की क्लिनिकल साक्ष्य के लिए जांच की जाएगी।
- (ख) प्रयोगशाला द्वारा एनीमिया (पुरुशों में <13g/dl) की पुष्टि होने की स्थिति में, एनीमिया के प्रकार और एटियोलॉजी का पता लगाने के लिए आगे जांच की जाएगी। इसमें संपूर्ण हीमोग्राम (पीसीवी एमसीवी, एम सी एच, एम सी एच सी, टी आर बी सी, टी डब्ल्यू बी सी, डी एल सी, प्लेटलेट की मात्रा, रेटिकुलोसाइट की मात्रा और ईएस आर शामिल होंगे) और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर शामिल होगा। इटियोलॉजी का निर्धारण

करने के लिए अन्य सभी जांच यथावश्यक की जाएंगी। पित्त की थैली में पथरी के लिए पेट की अल्ट्रासेनोग्राफी, ऊपरी जी आई एंडोस्कोपी/प्रैक्टोस्कोपी और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इत्यादि दर्शाए अनुसार की जाएंगी और अभ्यर्थी की फिटनेस का निर्धारण प्रत्येक मामले की मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

- (ग) प्रथम दृष्टया माइल्ड माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक (लौह की कमी से होने वाला एनीमिया) या डाइमोर्फिक एनीमिया (पुरुषों में $11\text{ng}5\text{हृदकस}$) वाले अभ्यर्थियों को 04 से 06 सप्ताह की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अनफिट घोषित किया जाएगा जिसकी बाद में समीक्षा की जाएगी। इन अभ्यर्थियों को स्वीकार किया जा सकता है यदि पूर्ण हीमोग्राम और पी सी वी पेरिफेरल स्मीयर की जांच का परिणाम सामान्य रेंज के भीतर रहता है। मैक्रोसाइटिक/मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया वाले अभ्यर्थियों को अनफिट माना जाएगा।
- (घ) आनुवंशिक हीमोलाइटिक एनीमिया (लाल रक्त कोशिका की मेंबरेंस में खराबी के कारण या लाल रक्त एन्जाइम की कमी के कारण) और हीमोग्लोबिनोपेथीज (सिकल सेल रोग, बीटा थैलेसीमिया : मेजर, इंटरमीडिया, माइनर, ट्रेट और अल्फा थैलेसीमिया इत्यादि) के लक्षण वाले सभी अभ्यर्थियों को सर्विस (सेवा) के लिए अनफिट समझा जाएगा।
- (च) त्वचा में किसी प्रकार के पुराने हीमोरहेज जैसे एकीमोसिस/पेटिकेई, एपिस्टेक्सस, मसूढ़ों और पोशण नली से रक्तस्राव, छोटे आघात या लेसरेषन/दांत निकलने के बाद लगातार रक्तस्राव और हीमोफीलिया या अन्य रक्तस्राव की बीमारियों का कोई पुराना पारिवारिक इतिहास होने पर संपूर्ण जांच की जाएगी। सर्विस (सेवा) में प्रवेश के लिए इन अभ्यर्थियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुरपुरा की क्लिनिकल पुशिट या थ्रोम्बोसाइटोपीनिया के लक्षण वाले सभी अभ्यर्थियों को सर्विस (सेवा) के लिए अनफिट माना जाएगा।
- (छ) जांच के बाद पुरानी हीमोफीलिया, वॉन वाइलब्रांड रोग के लक्षण वाले अभ्यर्थियों को शुरुआती स्तर पर सर्विस (सेवा) के लिए अनफिट घोषित किया जाएगा।

एन डी ए (फ्लाइंग एवं ग्राउंड ड्यूटी) में अभ्यर्थियों की भर्ती के समय विभिन्न आयु समूहों के पुरुषों की ऊंचाई एवं मानक निर्वस्त्र वजन

(औसत के उच्च स्तर पर 10 प्रतिशत परिवर्तन स्वीकार्य)

ऊंचाई (सेमी में)	आयु वर्ग (वर्षों में)/वजन (किग्रा में)			
	15-16	16-17	17-18	18-19
152	41	42.5	44	45
155	42	43.5	45.3	47
157	43	45	47	48
160	45	46.5	48	49
162	46	48	50	51
165	48	50	52	53
167	49	51	53	54
170	51	52.5	55	56
173	52.5	54.5	57	58
175	54.5	56	59	60
178	56	58	61	62
180	58.5	60	63	64.5
183	61	62.5	65	66.5

परिषिष्ट 'ख'

(पैरा 22(ख);अपपपद्ध देखें)

रतौंधी के संबंध में प्रमाणपत्र

आद्यक्षर सहित नाम

बैंच

संख्या

चेस्ट सं.

मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार मेरे परिवार में रतौंधी का कोई मामला नहीं रहा है, और मैं इससे पीड़ित नहीं हूँ।

दिनांक

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

(चिकित्सा अधिकारी का नाम)

भर्ती के समय एन डी ए (फ्लाइंग एवं ग्राउंड ड्यूटी) अभ्यर्थियों के दृष्टिगत मानक

क्रम सं.	ब्रांच	अपवर्तक त्रुटि की अधिकतम सीमा	दृश्यता तीक्ष्णता त्रुटि	कलर विजन
1.	एफ (पी) डब्ल्यू एस ओ सहित	हायपरमेट्रोपिया + 2.0 डी एस पी एच मेनीफेस्टमायोपिया : शून्य, रेटिनोस्कोपिक मायोपिया -0.5 किसी भी यामोत्तर परमिटिड एसटिगमेटिज्म में ± 0.75 डी क्लीनिकल (अधिकतम +2.0 डी की सीमा में)	एक आंख 6/6 एवं दूसरी 6/9 केवल हाइपरमेट्रोपिया के लिए 6/6 तक संशोधनीय	सी पी - I
2.	एफ (पी) को छोड़कर एयरक्रू	हायपरमेट्रोपिया +3.5 डी एस पी एच मायोपिया - 2.0 डी एस पी एच ऐस्टिगमेटिज्म ± 0.75 डी क्लीनिकल	एक आंख 6/24 एवं दूसरी 6/36 संशोधनीय 6/6 एवं 6/9	सी पी - I
3.	प्रशासन/प्रशा. (ए टी सी)/प्रशा.(एफ सी)	हायपरमेट्रोपिया +3.5 डी एस पी एच मायोपिया -3.5 डी एस पी एच ऐस्टिगमेटिज्म किसी यामोत्तर में ± 2.5 डी क्लीनिकल	संशोधनीय दृश्यता तीक्ष्णता प्रत्येक आंख में 6/9 होनी चाहिए।	सी पी - II
4.	ए ई (एम) ए ई (एल)	हायपरमेट्रोपिया +3.5 डी एस पी एच मायोपिया -3.50 डी एस पी एच ऐस्टिगमेटिज्म किसी यामोत्तर में ± 2.5 डी क्लीनिकल	प्रत्येक आंख में संशोधनीय तीक्ष्णता 6/9 होनी चाहिए। सलाह के मुताबिक चष्मा पहनना अनिवार्य होगा।	सी पी - II

5.	मेट	हायपरमेट्रोपिया +3.5 डी एस पी एच मायोपिया -3.50 डी एस पी एच ऐस्टिगमेटिज्म ± 2.50 डी क्लीनिकल	संशोधनीय दृश्यता तीक्ष्णता बेहतर आंख में 6/6 एवं खराब आंख में 6/18 होनी चाहिए। चष्मा पहनना अनिवार्य होगा।	सी पी - II
6.	लेखा/संभा./षिक्षा	हायपरमेट्रोपिया +3.5 डी एस पी एच मायोपिया -3.50 डी एस पी एच ऐस्टिगमेटिज्म ± 2.50 डी क्लीनिकल	संशोधनीय दृश्यता तीक्ष्णता बेहतर आंख में 6/6 एवं खराब आंख में 6/18 होनी चाहिए। चष्मा पहनना अनिवार्य होगा।	सी पी - III

नोट 1 -क्रम सं. 1 और 2 में आने वाले कार्मिकों का नेत्र मांसपेशी संतुलन नीचे दी गई सारणी के अनुरूप होना चाहिए

फलाइंग ड्यूटियों के लिए नेत्र मांसपेशी संतुलन

क्रम सं.	टेस्ट	फिट	अस्थायी रूप से अनफिट	स्थायी रूप से अनफिट
1	6 मी. पर मेडोक्स रोड टेस्ट	एक्सो-6 प्रिज्म डी ईसो-6 प्रिज्म डी हायपर-1 प्रिज्म डी हायपो-1 प्रिज्म डी	एक्सो-6 प्रिज्म डी ईसो से ज्यादा-6 प्रिज्म डी हायपर से ज्यादा-1 प्रिज्म डी हायपो से ज्यादा-1 प्रिज्म डी से ज्यादा	यूनिओक्यूलर सपरेषन हायपर/हायपो 2 प्रिज्म डी से ज्यादा
2.	33 सेमी. पर मेडोक्स रोड टेस्ट	एक्सो-16 प्रिज्म डी ईसो-6 प्रिज्म डी हायपर-1 प्रिज्म डी हायपो-1 प्रिज्म डी	एक्सो-16 प्रिज्म डी ईसो से ज्यादा-6 प्रिज्म डी हायपर से ज्यादा-1 प्रिज्म डी हायपो से ज्यादा-1 प्रिज्म डी से ज्यादा	यूनिओक्यूलर सपरेषन हायपर/हायपो 2 प्रिज्म डी से ज्यादा

3.	हैंड हेल्ड स्टीरियोस्कोप	बी एस वी ग्रेड के सभी	पूअर फ्यूजनल रिजर्व	एस एम पी की अनुपस्थिति, फ्यूजन स्टीरियोसिस
4.	कनवर्जेस	10 सेमी. तक	15 सेमी. तक प्रयास सहित	प्रयास करने पर 15 सेमी से अधिक
5.	नजदीक एवं दूर के लिए कवर टेस्ट	लेटेंट डायवर्जेस/कनवर्जेस रिकवरी रेपिड एवं कम्पलीट	कम्पनसेटिड हीटिरियो-फोरिया/ट्रोफिया जिसके उपचार के पश्चात सुधार की संभावना हो/सही उपचार के पश्चात भी बना रहता है।	कम्पनसेटिड हीटिरियो फोरिया

नोट 2-एन डी ए में एयर विंग कैडेट एवं ए एफ ए में एफ (पी) के फ्लाइट कैडेट के दृश्यता मानक ए1 जी1 एफ (पी) मानक (क्रम सं. 1) के अनुरूप होने चाहिए।

नोट 3- उपरोक्त उल्लिखित एस पी एच संशोधन कारकों में निर्दिष्ट एस्टिमेटिक संशोधन कारक शामिल होंगे। विनिर्दिष्ट दृश्यता तीक्ष्णता तक जो न्यूनतम संशोधन कारक स्वीकार किए जा सकते हैं।

परिशिष्ट-V

सेवा आदि का संक्षिप्त विवरण

1. अकादमी में भर्ती होने से पूर्व माता-पिता या संरक्षक को निम्नलिखित प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

(क) इस आशय का प्रमाणपत्र कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप यदि कोई चोट लग जाए या ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल आपरेशन या संवेदनाहरण दवाओं के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर वह या उसके वैध उत्तराधिकारी को सरकार के विरुद्ध किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक न होगा।

(ख) इस आशय का बंधपत्र कि, यदि उम्मीदवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से इस आधार पर बर्खास्त या निकाला या वापस किया गया कि उसने उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लेने के लिए अपने आवेदन-प्रपत्र में जानबूझ कर गलत विवरण दिया अथवा महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया अथवा उसे उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से अनुशासनिक आधार पर बर्खास्त या निकाला अथवा वापस किया गया अथवा उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान विवाह के कारण अथवा किसी ऐसे कारण से जो कैडेट के नियंत्रण में है, वह अपने प्रशिक्षण की अवधि पूरी नहीं करता अथवा वह कैडेट, ऊपर बताए गए के अनुसार किसी कमीशन को स्वीकार नहीं करता तो गारंटीकर्ता तथा कैडेट अलग-अलग तथा संयुक्त रूप से तत्काल सरकार को वह रोकड़ राशि देने के लिए बाध्य होंगे जो सरकार नियत करेगी। किंतु यह राशि उस व्यय से अधिक नहीं होगी जो सरकार ने कैडेट के प्रशिक्षण के दौरान उस पर खर्च की है तथा कैडेट द्वारा सरकार से प्राप्त किए गए वेतन तथा भत्ते सहित सारी राशि पर ब्याज भी लगेगा जिसकी दर सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर लगने वाली ब्याज दर, जो उस समय लागू है, के समान होंगी।

2. आवास, पुस्तकें, वर्दी, रहने तथा चिकित्सा उपचार सहित प्रशिक्षण का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि, कैडेट के माता-पिता या संरक्षक को अपना निजी खर्च वहन करना अपेक्षित होगा। सामान्यतः यह व्यय 3,000.00 रुपए प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि किसी कैडेट के माता-पिता या संरक्षक इस व्यय को भी पूरी तरह या आंशिक रूप से वहन करने की स्थिति में नहीं हैं, तो ऐसे कैडेटों के माता-पिता या संरक्षक जिनकी मासिक आय 21,000/- रुपए प्रति माह से कम है, के मामले में सरकार द्वारा प्रशिक्षण की अवधि के दौरान 1,000.00 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। जिन कैडेट्स के माता-पिता या संरक्षक की मासिक आय 21,000/- रुपए प्रति माह से अधिक है, वे वित्तीय सहायता के पात्र नहीं होंगे। यदि एक से अधिक पुत्र/वार्ड (प्रतिपाल्य) एनडीए, आईएमए, ओटीए तथा नौसेना और वायु सेना की संगत प्रशिक्षण

प्रतिस्थापना में साथ-साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो वे दोनों ही वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे।

3. अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने गये उम्मीदवारों को आने पर कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पास निम्नलिखित राशि जमा करनी होगी:--

(क) प्रतिमाह 3000.00 रुपए की दर से पांच माह का पाकेट भत्ता	रुपये	15,000.00
(ख) कपड़ों एवं उपस्कर की मदों के लिए	रुपये	21831.00
(ग)सेना समूह बीमा निधि	रुपये	7200.00
(घ) ज्वाइनिंग के समय कपड़ों हेतु	रुपये	8681.00
(च)पहले सेमेस्टर के दौरान होने वाले आनुषंगिक व्यय	रुपये	7138.00
योग	रुपये	59850.00

यदि उम्मीदवार के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी मिल जाती है तो उपर्युक्त उल्लिखित राशि में से निम्नलिखित राशि वापिस लौटा दी जाएगी:--

(क) प्रति माह 400.00 रुपए की दर से पांच माह के लिए पाकेट भत्ता (सरकारी वित्तीय सहायता के अनुरूप)	रुपये	2000.00
(ख) कपड़ों एवं उपस्कर की मदों के लिए	रुपये	13935.00

4. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियां/वित्तीय सहायता उपलब्ध हैं:

(1) **परशुराम भाऊ पटवर्धन छात्रवृत्ति:** यह छात्रवृत्ति पासिंग आउट पाठ्यक्रम के अंतर्गत अकादमिक क्षेत्र में समग्रत प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कैडेट को प्रदान की जाती है। एकबारगी छात्रवृत्ति की राशि 5000/- रु है।

(2) **कर्नल कैडिल फेक मेमोरियल छात्रवृत्ति:** यह 4800 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति उस मराठा कैडेट को दी जाएगी जो भूतपूर्व सैनिक का पुत्र है। यह छात्रवृत्ति सरकार से प्राप्त होने वाली किसी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होती है।

(3) **कौर सिंह मेमोरियल छात्रवृत्ति:** दो छात्रवृत्तियां उन दो कैडेटों को प्रदान की जाती हैं जिन्हें बिहार के उम्मीदवारों में उच्चतर स्थान प्राप्त हो। प्रत्येक छात्रवृत्ति 37 रु. प्रति मास की होगी तथा अधिकतम 4 वर्ष के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला में प्रशिक्षण के दौरान तथा उसके बाद भारतीय सेना अकादमी, देहरादून तथा वायु सेना फ्लाईंग कालेज तथा भारतीय नौ सेना अकादमी, इज़ीमाला में जहां कैडेट को प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, प्रशिक्षण पूर्ण करने पर भेजा जाएगा, दी जाती रहेगी। छात्रवृत्ति तभी मिलती रहेगी जब कैडेट उपर्युक्त संस्थाओं में अच्छी प्रगति करता रहे।

(4) **असम सरकार छात्रवृत्ति:** दो छात्रवृत्तियां असम के कैडेटों को प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक छात्रवृत्ति 30 रु. प्रति मास की रहेगी तथा जब तक छात्र राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में रहेगा उसे मिलती रहेगी। छात्रवृत्ति असम के दो सर्वोत्तम कैडेटों को उनके माता-पिता की आय पर ध्यान दिए बिना प्रदान की जाएगी। जिन कैडेटों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, उन्हें सरकार की ओर से अन्य वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

(5) **उत्तर प्रदेश सरकार प्रोत्साहन योजना — उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि.** उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल के अधीन एक ट्रस्ट ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी /भारतीय सैन्य अकादमी अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी / वायु सेना अकादमी/नौ सेना अकादमी/महिला प्रवेश में शामिल होने वाले राष्ट्रीय कैडेटों के लिये एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है जो उत्तर प्रदेश के जेसीओ रैंक तक के पूर्व सैनिकों के आश्रित हैं, जिसमें प्रति उम्मीदवार 25,000/- रु के एक बार अनुदान का प्रावधान है।

(6) **केरल सरकार छात्रवृत्ति—** सभी पुरुष /महिला कैडेट लिंग के बावजूद और बिना किसी पूर्व शर्त के सभी केरल राज्य कैडेट को अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी / राष्ट्रीय रक्षा अकादमी /भारतीय सैन्य अकादमी / नौ सेना अकादमी/ वायु सेना अकादमी /सशस्त्र बल मेडिकल कोलेज / राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कोलेज स्कूलों प्रवेश होने पर केवल रु 2,00,000/- सांत्वना राशि दी जाएगी की और जिन्हें सैन्य, नौ सेना और वायु सेना नर्सिंग स्कूलों में प्रवेश मिलेगा, उन्हें रु 1,00,000/- की सांत्वना दी जाएगी।

(7) **बिहारी लाल मंदाकिनी पुरस्कार:** यह 500 रुपये का नकद पुरस्कार सर्वोत्तम बंगाली लड़के को अकादमी से प्रत्येक कोर्स के लिए मिलता है, आवेदन पत्र कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से मिलते हैं।

(8) **उड़ीसा सरकार छात्रवृत्तियां:** तीन छात्रवृत्तियां--एक थल सेना, एक नौ सेना तथा एक वायु सेना के कैडेट के लिए प्रत्येक 80 रु. प्रति मास के हिसाब से उड़ीसा सरकार द्वारा उन कैडेटों को दी जाएंगी जो उड़ीसा राज्य के स्थायी निवासी हैं। इनमें से दो छात्रवृत्तियां कैडेटों की योग्यता तथा आय के साधन के आधार पर दी जाएंगी जिनके माता-पिता या अभिभावक की आय रु. 5000 प्रति वर्ष से अधिक न हो तथा तीसरी छात्रवृत्ति बिना उसके माता-पिता या अभिभावकों की आय को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम कैडेट को दी जाएगी।

	राज्य सरकार	राशि	पात्रता
9	पश्चिम बंगाल प्रारंभिक एकमुश्त अनुदान प्रति सत्र छात्रवृत्ति ¹ आय समूह सारणी निम्न--9000/- रुपए प्रति माह तक मध्य--9001/- रुपए से 18000/- प्रति माह तक उच्च--18000/-रुपए	निम्न मध्य उच्च रु.5000/- रु.3750/- रु.500/- रु.1800/- रु.1350/- रु.900/-	(i) कैडेट भारतीय नागरिक होना चाहिए और कैडेट और/अथवा उसके माता-पिता पश्चिम बंगाल राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए अथवा उनका स्थायी निवास स्थान पश्चिम बंगाल होना चाहिए। (ii) कैडेट को मैरिट पर प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति अथवा वजीफे के सिवाए भारत सरकार और/अथवा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकरण से कोई अन्य वित्तीय सहायता/अनुदान प्राप्त नहीं होता है।
10	गोवा	1000/- रुपए प्रति माह प्रशिक्षण की अवधि के दौरान,(अधिकतम 24 माह अथवा कोर्स की अवधि के दौरान, जो भी कम हो) और 12000/- रुपए का एकबारगी वर्दी भत्ता।	(i) कैडेट के माता-पिता/ अभिभावक की आय की सीमा 15,000/- रुपए प्रति माह (1,80,000/- रुपए प्रति वर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए। (ii)अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. से संबंधित की आय सीमा 37,500/- रुपए प्रति माह (4,50,000/- रुपए प्रतिवर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए। (iii) वे किसी भी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता/छात्रवृत्ति/निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त न कर रहे हों।
11	नागालैंड	1,00,000/- रुपए एकबारगी भुगतान	नागालैंड राज्य का अधिवासी होना चाहिए।
12	मणिपुर	1,00,000/- रुपए एकबारगी भुगतान	मणिपुर राज्य का अधिवासी होना चाहिए।

13	अरुणाचल प्रदेश	छात्रवृत्ति 1000/- रुपए प्रति माह एकबारगी वर्दी भत्ता 12,000/- रुपए	अरुणाचल प्रदेश राज्य का अधिवासी होना चाहिए।
14	गुजरात	छात्रवृत्ति 6000/- रुपए प्रति वर्ष	गुजरात के सेवारत/भूतपूर्व सैनिक मूल/अधिवासी सैनिक (भूतपूर्व/सेवारत अधिकारी सहित) के आश्रित/ अधिवासी को
15	<p>उत्तराखंड</p> <p>(क) उत्तराखंड के अधिवासी एनडीए कैडेटों हेतु 250/- रु. प्रतिमाह की जेब खर्च राशि ऐसे कैडेटों के पिता/संरक्षक को प्रदान की जाती है (पूर्व-सैनिक/विधवा के मामले में संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से)।</p> <p>(ख) उत्तराखंड के अधिवासी एनडीए कैडेटों के पिता/संरक्षक को उच्च शिक्षा निदेशालय, हलद्वानी के माध्यम से 50,000/- रु. का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।</p>		
16	पंजाब	1,00,000/- रुपए एकबारगी भुगतान	पंजाब राज्य का अधिवासी होना चाहिए।
17	राज्य सरकार, सिक्किम	सभी अधिकारी प्रवेश योजनाओं के लिए 1.5 लाख रुपए	सभी अधिकारी प्रवेश योजनाओं के लिए सिक्किम के सफल उम्मीदवारों हेतु पुरस्कार
18	<p>उड़ान अधिकारी अनुज नांचल स्मारक छात्रवृत्ति- छठे सत्र में समग्रतः द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले वायु सेना कैडेट को 1500/- रु. (एकबारगी भुगतान)।</p>		
19	<p>पाइलट अधिकारी गुरमीत सिंह बेदी स्मारक छात्रवृत्ति - पाइलट अधिकारी गुरमीत सिंह बेदी स्मारक छात्रवृत्ति। छठे सत्र में पासिंग आउट के समय समग्रतः सर्वश्रेष्ठ वायु सेना कैडेट को 1500/- रु. (एकबारगी भुगतान)।</p>		

(20) हिमाचल प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति: हिमाचल प्रदेश के कैडेटों को 4 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। प्रशिक्षण के प्रथम दो वर्षों के लिए छात्रवृत्तियां 30 रुपये प्रतिमास तथा प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष के लिए 40 रुपये प्रतिमास मिलेगी। यह छात्रवृत्ति उन कैडेटों को मिलेगी जिनके माता-पिता की मासिक आय 500 रुपये प्रतिमास से कम होगी, जो कैडेट सरकार से वित्तीय सहायता ले रहा हो उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।

(21) तमिलनाडु सरकार की छात्रवृत्ति: तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रति कोर्स रु. 30 प्रतिमास की एक छात्रवृत्ति तथा साथ में रु. 400 सज्जा भत्ता (कैडेट के प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान केवल एक बार) देना शुरू किया है जो उस कैडेट को दिया जाएगा जो तमिलनाडु राज्य का हो तथा जिसके अभिभावक/संरक्षक की मासिक आय रु. 500 से अधिक न हो। पात्र कैडेट अपना आवेदन कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को वहां पहुंचने पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

(22) कर्नाटक सरकार की छात्रवृत्तियां- कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश पाने वाले कर्नाटक राज्य के कैडेटों को छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। छात्रवृत्ति की राशि 1000/- रु.(एक हजार रुपए) प्रतिमाह और वर्दी (आउटफिट) भत्ते की राशि प्रथम सत्र में 12000/- रु. होगी।

(23) एलबर्ट एक्का छात्रवृत्ति: बिहार सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में रु. 50/- प्रतिमास की 25 योग्यता छात्रवृत्तियां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में छः समयावधि के पूरे समय के वास्ते एक बार और रु. 650/- वस्त्र तथा उपस्कर के वास्ते देना शुरू किया है। जिस कैडेट को उपर्युक्त योग्यता छात्रवृत्ति मिलती है वह सरकार से कोई अन्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता का पात्र नहीं होगा। पात्र कैडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आने पर कमांडेंट को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(24) फ्लाइंग आफिसर डीवी पिंटू स्मारक छात्रवृत्ति: ग्रुप कैप्टन एम. वशिष्ठ ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में वरीयताक्रम में प्रथम तीन स्थान पाने वाले कैडेटों को पहला सेमेस्टर पूरा करने पर दूसरे सत्र के समाप्त होने तक, एक सत्र के लिए 125/- रु. प्रतिमाह की दर से तीन छात्रवृत्तियां प्रारंभ की हैं। सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कैडेट उपर्युक्त छात्रवृत्ति पाने के हकदार नहीं होंगे। पात्र कैडेट प्रशिक्षण पर पहुंचने के बाद कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं।

(25) महाराष्ट्र राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के वार्डों को वित्तीय सहायता

महाराष्ट्र के भूतपूर्व सैन्य अधिकारियों/सैनिकों के जो वार्ड एनडीए में कैडेट के तौर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें एकमुश्त प्रोत्साहन के रूप में 50,000/- रुपए दिए जाएंगे। कैडेटों के माता-पिता/संरक्षकों को अकादमी से प्राप्त प्रमाण-पत्र के साथ अपने आवेदन पत्र को संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। छात्रवृत्तियों पर लागू निबंधन और शर्तें कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, पुणे - 411023 से प्राप्त की जा सकती हैं।

(26) एनडीए में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हरियाणा के अधिवासी उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता।

हरियाणा राज्य सरकार ने एनडीए/आईएमए/ओटीए तथा राष्ट्रीय स्तर की अन्य रक्षा अकादमियों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाले हरियाणा राज्य के अधिवासी प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) के नकद पुरस्कार की घोषणा की है।

(27) एनडीए में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के अधिवासी कैडेटों को प्रोत्साहन।

चंडीगढ़ प्रशासन ने उन कैडेटों को 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु योजना प्रारंभ की है जो संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के निवासी हैं तथा जिन्होंने एनडीए में प्रवेश लिया है।

(28) छात्रवृत्ति/अनुदान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निवासी जो कैडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उन्हें मासिक अनुदान 2000/- रु मिलेगा। एक प्रामाणिक निवासी का मतलब उन कैडेटों से होगा जिनका स्थायी घर का पता राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल होने के समय दस्तावेजों में दर्ज किया गया है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का है, (और इसमें एनसीआर शामिल नहीं हैं) इसके लिए निवास प्रामाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, उनके माता पिता के सेवा रिकॉर्ड आदि) के एक प्रति के साथ सहायता करने की आवश्यकता होगी।

5. चुने हुए उम्मीदवारों के अकादमी में आने के बाद तत्काल उनके लिए निम्नलिखित विषयों में एक प्रारंभिक परीक्षा होगी:--

- (क) अंग्रेजी
- (ख) गणित
- (ग) विज्ञान
- (घ) हिन्दी

(क), (ख) तथा (ग) के लिए परीक्षा का स्तर, भारतीय विश्वविद्यालय या हायर सैकेंडरी शिक्षा बोर्ड की हायर सैकेंडरी परीक्षा के स्तर से ऊंचा नहीं होगा।

(घ) पर लिखित विषय की परीक्षा में यह जांचा जायेगा कि उम्मीदवारको अकादमी में भर्ती होने के समय हिन्दी का कितना ज्ञान है। अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि प्रतियोगिता परीक्षा के उपरांत अध्ययन के लिए उदासीन न हो जाएं।

प्रशिक्षण:

6. तीनों सेवाओं, अर्थात् थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए चयनित उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), जो कि अंतर-सेवा संस्थान है, में 3 वर्ष की अवधि का अकादमिक और शारीरिक, दोनों प्रकार का प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पहले ढाई वर्षों के दौरान दिया जाने वाला प्रशिक्षण तीनों स्कंधों के उम्मीदवारों के लिए समान है। उत्तीर्ण अर्थात् पास आउट होने वाले सभी उम्मीदवारों को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा निम्नानुसार डिग्रियां प्रदान की जाएंगी :-

- | | | |
|-----|-----------------|---|
| (क) | थल सेना कैडेट | - बी.एससी./ बी.एससी. (कंप्यूटर)/ बी.ए. |
| (ख) | नौसेना कैडेट | - बी.टेक. डिग्री * |
| (ग) | वायु सेना कैडेट | - बी.टेक. डिग्री */ बी.एससी./ बी.एससी. (कंप्यूटर) |

*नोट : बी.एससी./ बी.एससी. (कंप्यूटर)/ बी.ए. डिग्री करने वाले सभी कैडेटों को एनडीए में अकादमिक, शारीरिक तथा सेवा संबंधी प्रशिक्षण पूरा कर लिए जाने पर डिग्री प्रदान की जाएगी। बीटेक पाठ्यक्रम में शामिल सभी कैडेटों को बीटेक की डिग्री संबंधित कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण अकादमी/संस्थान/पोत/विमान में प्रशिक्षण के उपरांत प्रदान की जाएगी।

नौसेना अकादमी के लिए चयनित उम्मीदवारों को भारतीय नौसेना अकादमी, इज़ीमाला में 4 वर्ष की अवधि के लिए शैक्षिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम को भारतीय नौसेना अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त करने (पासिंग आउट) पर बी. टेक डिग्री प्रदान की जाएगी।

7. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पास होने के बाद थल सेना कैडेट भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में, नौसेना कैडेट, भारतीय नौसेना अकादमी एजीमाला में और वायु सेना कैडेट (उड़ान और ग्राउंड इयूटि (Non-Tech) शाखाएँ), वायु सेना अकादमी, हैदराबाद जाएंगे एवम वायु सेना कैडेट ग्राउंड इयूटि (Tech) शाखाएँ वायु सेना तकनीकी कालेज,बैंगलुरु में जाएंगे।

8. भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) के सेना कैडेटों को जेंटलमैन कैडेट कहा जाता है। इन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए कड़ा सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसका उद्देश्य इन कैडेटों को इन्फैन्ट्री सब-यूनिटों का नेतृत्व करने हेतु सक्षम अधिकारी बनाना है। प्रशिक्षण सफलता से पूरा करने के बाद जेन्टलमैन कैडेटों को उनके शेप-वन (शेप-एक) शारीरिक दृष्टि से योग्य होने पर लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी कमीशन दिया जाता है।

9. (क) नौ सेना कैडेटों के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने पर उन्हें नौ सेना का कार्यपालक शाखा के लिए चुना जाता है, भारतीय नौसेना अकादमी इज़ीमाला में एक वर्ष की अवधि के लिए और आगे प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उन्हें उप लेफ्टिनेंट के रैंक में पदोन्नत किया जाता है।

¼[k½ ukS lsuk vdkneh ds fy, 10+2 dSMsV ,aVªh Ldhe ds rgr p;fur mEehnokjksa izk;ksfxd bysDVªkWfud ,oa lapkj bthfu;jh ¼,XthD;wfVo czkap½] esdSfudy bathfu;jh ¼ukS lsuk vkfdZVsDV fo"ks'kKrk lfgr baathfujh czkap ds fy,½ ;k bysDVªkWfud ,oa lapkj baathfu;jh ¼bysfDVªdy czkap ds fy,½ gsrq vko";drkuqlkj pkj izkS|ksfxd Lukrd ¼ch Vsd½ ds fy, crkSj dSMsV HkrhZ fd;k tk,xkA mEehnokj }kjk dkslZ ikl fd, tkus ij tokgjyky usg: fo"ofo|ky; }kjk ^izkS|ksfxd Lukrd dh fMxzh^ iznku dh tk,xhA

10. (क) वायु सेना कैडेटों को हवाई उड़ान का डेढ़ वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। तथापि उन्हें एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा होने पर अनन्तिम रूप से फ्लाईंग अफसर के रूप में कमीशन प्रदान किया जाता है। उनके बाद छः महीने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर स्थायी रूप से कमीशन अफसर के रूप में समाहित कर दिया जाता है।

(ख) वायु सेना की ग्राउंड इयूटी शाखा के कैडेटों को एक वर्ष की अवधि तक उनकी स्ट्रीम के अनुसार स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें फ्लाईंग अफसर के रैंक में अनन्तिम रूप से कमीशन प्रदान किया जाता है। बाद में उन्हें स्थायी कमीशन प्राप्त अफसर के रूप में शामिल कर लिया जाता है और एक वर्ष तक परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

सेवा की शर्तें:

11. सेना अधिकारी एवं वायु सेना व नौ सेना के समकक्ष रैंक

(i) कैडेट प्रशिक्षण के लिए नियत छात्रवृत्ति (स्टाइपेंड) :-

सेवा अकादमियों में प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि, अर्थात् भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, पुरुष कैडेटों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति	56,100/- रु. प्रतिमाह* (वेतन स्तर 10 से प्रकरE0)
--	---

* सफलतापूर्वक कमीशन होने के उपरांत, कमीशन हुए अधिकारी का वेतन स्तर 10 के प्रथम सेल में निर्धारित किया जाएगा और प्रशिक्षण की अवधि को कमीशन सेवा की अवधि नहीं माना जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान देय भत्तों, यथालागू की बकाया राशि का भुगतान कैडेटों को किया जाएगा।

(ii) वेतन

(क)

रैंक	वेतन स्तर(रु. में)
लेफ्टिनेंट से मेजर	लेफ्टिनेंट - स्तर 10 (56,100-1,77,500) कैप्टन - स्तर 10 ख (61,300- 1,93,900) मेजर - स्तर 11 (69,400-2,07,200)
लेफ्टिनेंट कर्नल से मेजर जनरल	लेफ्टिनेंट कर्नल - स्तर 12 क (1,21,200-2,12,400) कर्नल - स्तर 13 (1,30,600-2,15,900) ब्रिगेडियर - स्तर 13 क (1,39,600-2,17,600) मेजर जनरल - स्तर 14 (1,44,200-2,18,200)
लेफ्टिनेंट जनरल	स्तर 15 (1,82,200-2,24,100)

(उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड वेतनमान)	
लेफ्टिनेंट जनरल (उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड+ वेतनमान)	स्तर 16 (2,05,400-2,24,400)
उप सेनाध्यक्ष/ सेना कमांडर/ लेफ्टिनेंट जनरल(एनएफएसजी)	स्तर 17 (2,25,000/-) (नियत)
सेनाध्यक्ष	स्तर 18 (2,50,000/-) (नियत)

(ख) अधिकारियों को दिया जाने वाला सैन्य सेवा वेतन(एमएसपी) निम्नानुसार है:-

लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों को दिया जाने वाला सैन्य सेवा वेतन	15,500 रु. प्रतिमाह नियत
---	--------------------------

(ग) उड़ान भत्ता

सेना विमानन (एवियेशन) कोर में कार्यरत थलसेना के विमानचालक (पाइलट) 25000/-रु. प्रतिमाह उड़ान भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(घ) अन्य भत्ते :-

महंगाई भत्ता	उन्हीं दरों और शर्तों पर देय होगा जो, समय-समय पर सिविलियन कार्मिकों के मामले में लागू हैं।
पैरा भत्ता	10,500/- रु. प्रतिमाह
पैरा रिज़र्वभत्ता	2,625/- रु. प्रतिमाह
पैरा जंप प्रशिक्षक भत्ता	10,500/- रु. प्रतिमाह
परियोजना भत्ता	3,400/- रु. प्रतिमाह
विशेष बल भत्ता	25,000/- रु. प्रतिमाह
तकनीकी भत्ता (स्तर-I)	3,000/- रु. प्रतिमाह
तकनीकी भत्ता (स्तर-II)	4,500/- रु. प्रतिमाह

(च) फील्ड क्षेत्रों में तैनात अधिकारी, अपने रैंक तथा तैनाती क्षेत्र के आधार पर, निम्नानुसार फील्ड क्षेत्र भत्तों के पात्र होंगे:-

अत्यधिक सक्रिय क्षेत्र भत्ता	फील्ड क्षेत्र भत्ता	मध्यम फील्ड क्षेत्र भत्ता
16900/- रु. प्रतिमाह	10500/- रु. प्रतिमाह	6300/- रु. प्रतिमाह

अधिक ऊंचाई (हाई ऑल्टीट्यूड) वाले स्थानों संबंधी भत्ता

श्रेणी-I (प्रतिमाह)	श्रेणी-II (प्रतिमाह)	श्रेणी-III (प्रतिमाह)
3400/- रु. प्रतिमाह	5300/- रु. प्रतिमाह	25000/- रु. प्रतिमाह

काउन्टर विद्रोह भत्ता

लेवल	काउन्टर विद्रोह भत्ता शांति क्षेत्र	काउन्टर विद्रोह भत्ता फील्ड क्षेत्र	काउन्टर विद्रोह भत्ता संशोधित फील्ड क्षेत्र
अधिकारियों	10,500/- रु. प्रतिमाह	16,900/- रु. प्रतिमाह	13,013/- रु. प्रतिमाह

(छ) सियाचिन भत्ता

42,500/- रु. प्रतिमाह

(ज) वर्दी भत्ता

20,000/- रु. प्रतिवर्ष।

(झ) मुफ्त राशन

फील्ड और शांति क्षेत्र में

(ट) परिवहन भत्ता

वेतन स्तर	अधिक परिवहन भत्ते वाले शहर (रु. प्रतिमाह)	अन्य स्थान (रु. प्रतिमाह)
अधिकारियों	7200 रु. + महंगाई भत्ता	3600 रु. + महंगाई भत्ता

(ठ) संतान शिक्षा भत्ता - केवल पहले दो जीवित बच्चों के लिए 2250/- रु. प्रतिमाह । संतान शिक्षा भत्ता नर्सरी से कक्षा 12 तक के लिए लागू है ।

(ड) छात्रावास की सब्सिडी केवल पहले दो जीवित बच्चों के लिए 6750/- रु. प्रतिमाह प्रति बच्चा । छात्रावास की सब्सिडी नर्सरी से कक्षा 12 तक के लिए देय होगा ।

(ढ) सैन्य प्रशिक्षण के कारण उत्पन्न हुई अथवा बदतर हुई स्थिति के चलते चिकित्सा आधार पर अक्षम होने अथवा कैडेट (सीधी भर्ती) की मृत्यु हो जाने पर कैडेट (सीधी भर्ती)/निकटतम संबंधियों को निम्नानुसार आर्थिक राशि प्रदान की जाएगी :

(I) अशक्तता के मामले में

- (i) रु. 9000/- प्रतिमाह की दर से मासिक अनुग्रह राशि।
- (ii) अशक्तता की अवधि के दौरान 100% अशक्तता के लिए रु. 16,200/- प्रतिमाह की दर से अशक्तता अनुग्रह राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी जो कि अशक्तता की डिग्री 100% से कम होने पर समानुपातिक रूप से कम कर दी जाएगी। अशक्तता की डिग्री 20% से कम होने की स्थिति में कोई अशक्तता राशि देय नहीं होगी।
- (iii) अशक्तता चिकित्सा बोर्ड (आईएमबी) की सिफारिश पर 100% अशक्तता के लिए रु. 6,750/- प्रतिमाह की दर से स्थाई परिचारक भत्ता(सीसीए)।

(II) मृत्यु के मामले में

- (i) निकटतम संबंधियों को रु. 12.5 लाख की अनुग्रह राशि
- (ii) निकटतम संबंधियों को रु. 9,000 प्रतिमाह की दर से अनुग्रह राशि
- (iii) कैडेटों (सीधी भर्ती)/ निकटतम संबंधियों को अनुग्रह राशि पूर्णतः अनुग्रह आधार पर स्वीकृत की जाएगी और इसे किसी भी उद्देश्य के लिए पेंशन नहीं माना जाएगा। तथापि, मासिक अनुग्रह राशि के साथ-साथ अनुग्रह अशक्तता राशि पर लागू दरों के अनुसार महंगाई राहत प्रदान की जाएगी।

12. (क) सेना सामूहिक बीमा फंड प्री-कमीशन प्रशिक्षण यानी 3 साल के लिए ज्वाइनिंग की तारीख से कैडेट्स द्वारा रुपया 7,200/- के एक बार के गैर-वापसी योग्य प्रीमियम के भुगतान पर 15 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करता है। यदि किसी कैडेट को निर्वासित किया जाता है तो उससे निर्वासित अवधि के लिये 1355/- रु की दर से अतिरिक्त प्रीमियम देना पड़ेगा । अशक्तता के कारण जिन्हें अशक्तता चिकित्सा बोर्ड द्वारा से बाहर कर दिया जाता है और जो किसी प्रकार की पेंशन के हकदार नहीं हैं, उन मामलों में 100% अशक्तता के लिए 15 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। अशक्तता

के लिए इसे समानुपातिक रूप से कम करके 20% तक कर दिया जाएगा। तथापि, 20% से कम अशक्तता के लिए प्रशिक्षण के **पहले दो वर्ष** के लिए केवल रु. 50,000/- का अनुग्रह अनुदान और प्रशिक्षण के **तीसरे** वर्ष के दौरान रु. 1,00,000/- का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। मदिरापान, नशे की लत तथा भर्ती से पहले हुए रोगों से उत्पन्न अशक्तता के लिए अशक्तता लाभ और अनुग्रह अनुदान देय नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, अनुशासनिक आधार पर अपना नाम वापस लेने वाले, अवांछनीय के तौर पर निष्कासित अथवा स्वेच्छा से अकादमी छोड़ने वाले कैडेट भी अशक्तता लाभ और अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। इस योजना में कोई बचत घटक नहीं है।

(ख) भारतीय सैन्य अकादमी में स्टाइपेंड प्राप्त कर रहे जेंटलमैन कैडेटों को नियमित अधिकारियों 75 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाता है। अशक्तता के कारण जिन्हें अशक्तता चिकित्सा बोर्ड द्वारा भारतीय सैन्य अकादमी से बाहर कर दिया जाता है, और वे किसी प्रकार की पेंशन के हकदार नहीं हैं, उन मामलों में 100% अशक्तता के लिए 25 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। 20% अशक्तता के लिए इसे समानुपातिक रूप से कम करके 5 लाख रु. दिया जाएगा। तथापि, 20% से कम अशक्तता के लिए केवल 50,000/- रु. का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। मदिरापान, नशे की लत तथा भर्ती से पहले हुए रोगों से उत्पन्न अशक्तता के लिए अशक्तता लाभ और अनुग्रह अनुदान देय नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, अनुशासनिक आधार पर अपना नाम वापस लेने वाले, अवांछनीय ठहराए जाने के कारण निष्कासित अथवा स्वेच्छा से अकादमी छोड़ने वाले जेंटलमैन कैडेट भी अशक्तता लाभ और अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। नियमित सेना अफसरों पर यथा लागू मुख्य सेना सामुहिक बीमा योजना के तहत सदस्य बनने के लिये जेंटलमैन कैडेटों को मासिक आधार पर अंशदान के रूप में 5,000/- रु की दर से अग्रिम भुगतान **देना पड़ेगा**। निर्वासन अवधि के लिये अंशदान की वसूली भी इसी दर से की जायेगी।

13. प्रोन्नति के अवसर:

क्रम सं.	सेना	नौसेना	वायु सेना	मूल पदोन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम संगणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
(क)	लेफ्टिनेंट	सब लेफ्टिनेंट	फ्लाइंग आफिसर	कमीशन प्राप्त होने पर
(ख)	कैप्टन	लेफ्टिनेंट	फ्लाइट लेफ्टिनेंट	02 वर्ष

(ग)	मेजर	लेफ्टिनेंट कमांडर	स्क्वाड्रन लीडर	06 वर्ष
(घ)	लेफ्टिनेंट कर्नल	कमांडर	विंग कमांडर	13 वर्ष
(ङ)	कर्नल (चयन)	कैप्टन (चयन)	ग्रुप कैप्टन(चयन)	चयन के आधार पर
(च)	कर्नल(समयमान)	कैप्टन (समयमान)	ग्रुप कैप्टन(समयमान)	26 वर्ष
(छ)	ब्रिगेडियर	कोमोडोर	एअर कोमोडोर	चयन के आधार पर
(ज)	मेजर जनरल	रियर एडमिरल	एअर वाइस मार्शल	
(झ)	लेफ्टिनेंट जनरल	वाइस एडमिरल	एअर मार्शल	
(ञ)	जनरल	एडमिरल	एअर चीफ मार्शल	

14. सेवा निवृत्ति लाभ

पेंशन, उपदान और ग्रेच्युटी अवार्ड समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार स्वीकार्य होंगे।

15. छुट्टी

समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार छुट्टी स्वीकार होगी।
